खण्ड-409, अंक-1
सोमवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(21 फरवरी, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 409 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची	ग-झ
श्री राज्यपाल, मंत्रि परिषद्, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	ट-ड
उपस्थित सदस्य	ढ
प्रदेश में विगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत दी गई सूचना (जारी)	1-2
राष्ट्रीय गीत	2
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	3-10
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	11
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (सदन के पटल पर रखा गया)	11
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 में शाब्दिक संशोधन का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	12
दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को विधान मण्डल के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र	12

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	12-13
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	13
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	13
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुसूचित जातियों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	13
उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	14
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	14
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1993 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	14-15
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना (जारी)	15-49
नियम 311 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	49-50
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना (जारी)	50-60
नियम 311 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न	61-65
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना	65-83
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	83-85

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1-अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2-अकबर अली, श्री — जालौन
3-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
4-अखलाख, श्री — मेरठ
5-अखिलेश, श्री — महराजगंज
6-अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
7-अछैयवर भारती, श्री — मऊ
8-अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
9-अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
10-अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11-अनिल कुमार, श्री — सीतापुर
12-अफजाल अन्सारी, श्री — गाजीपुर
13-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
14-अमरनाथ यादव, श्री — वाराणसी
15-अमर सिंह, श्री — अलीगढ़
16-अमर सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
17-अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
18-अम्बिका, श्री — बलिया
19-अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
20-अम्बिका सिंह श्री — देवरिया
21-अ0 रईस, श्री — सुल्तानपुर
22-अरविन्द्र कुमार, श्री — ललितपुर
23-अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
24-अरिमर्दन सिंह, श्री — हमीरपुर
25-अवधपाल सिंह यादव, श्री — एटा
26-अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
27-अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
28-अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
29-अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री — उन्नाव
30-अशोक बाजपेई, श्री — हरदोई
31-आनन्द यादव,श्री — देवरिया
32-इन्द्रदेव सिंह, श्री — बिजनौर
33-इन्द्रपाल सिंह, श्री — इटावा
34-इन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
35-इरशाद, श्री — आजमगढ़
36-इश्तेयाक अंसारी, श्री — गाजीपुर
37-इश्तियाक अहमद, श्री — बाराबंकी
38-उदय प्रकाश, श्री — हमीरपुर
39-उदयभान सिंह, श्री — आगरा
40-उपदेश सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
41-उमाकान्ति यादव, श्री — जौनपुर
42-उमाशंकर, श्री — जौनपुर
43-उर्मिला देवी यादव, श्रीमती — मैनपुरी
44-उर्मिला राजपूत, श्रीमती — फर्रुखाबाद
45-ऊदल, श्री — वाराणसी
46-ओंकार सिंह, श्री — एटा
47-ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
48-ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
49-ओम प्रकाश गुप्ता, श्री — सीतापुर
50-ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
51-करन सिंह, श्री — मुरादाबाद
52-कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
53-कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
54-काशी सिंह ऐरी, श्री — पिथौरागढ़
55-किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
56-किशन लाल, श्री — पीलीभीत

57-किशन लाल दिलेर, श्री अलीगढ़
58-कृष्ण कुमार नवमान, श्री अलीगढ़
59-कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री गाजियाबाद
60-केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
61-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
62-कोकब हमीद खां, श्री मेरठ
63-गजराज सिंह, श्री गाजियाबाद
64-गजाधर सिंह, श्री रायबरेली
65-गनपति सिंह, श्री महराजगंज
66-गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
67-गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री रायबरेली
68-गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री अल्मोड़ा
69-गौरी शंकर एडवोकेट लखनऊ
70-घनश्याम शुक्ल, श्री गोण्डा
71-घूरा राम, श्री बलिया
72-चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
73-चन्द्र भान मौर्य, श्री आगरा
74-चन्द्र भूषण सिंह
उर्फ मुन्नू बाबू, श्री फर्रुखाबाद
75-चन्द्रमणि कान्ति सिंह. श्री बहराइच
76-चन्द्र विजय सिंह
उर्फ बेबी राजा, श्री मुरादाबाद
77-चन्द्र शेखर, श्री गाजीपुर
78-चन्द्र शेखर, श्री बस्ती
79-चरन सिंह, श्री मेरठ
80-चेतराम, श्री शाहजहांपुर
81-चैनसुख भारती, श्री जालौन
82-छब्बू, श्री वाराणसी
83-छोटे लाल, श्री हरदोई
84-छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
85-छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
86-जगत सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
87-जगदम्बा, श्री बस्ती
88-जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
89-जगदीश मुनि, श्री हरिद्वार
90-जगन्नाथ प्रसाद, श्री खीरी
91-जगरनाथ चौधरी, श्री जौनपुर
92-जगराम सिंह, श्री कानपुर नगर
93-जगवीर सिंह, श्री अलीगढ़
94-जदुरानी, श्रीमती हरदोई
95-जमुना मिश्र, श्री सुल्तानपुर
96-जयपाल सिंह, श्री मेरठ
97-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98-जयराम कुशवाहा, श्री गाजीपुर
99-जयवीर सिंह भदौरिया, श्री इटावा
100-जवाहर यादव
उर्फ पंडित, श्री इलाहाबाद
101-जवाहर लाल दिवाकर, श्री इलाहाबाद
102-जसवन्त सिंह, श्री कानपुर देहात
103-जितेन्द्र कुमार जायसवाल
उर्फ पप्पू भइया, श्री गोरखपुर
104-जुगेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
105-जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
106-ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
107-ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
108-तिलकराज बेहड़, श्री नैनीताल
109-तीरथराज, श्री सोनभद्र
110-तुलसीदास राय चन्दानी, श्री गोण्डा
111-तुलाराम सैनी, श्री मुरादाबाद
112-तेज पाल सिंह, श्री बिजनौर
113-तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
114-तेजपाल सिंह पवार, श्री हरिद्वार
115-तेजभान सिंह श्री, सुल्तानपुर
116-त्रिपाल सिंह धामा, श्री मेरठ
117-दया सिन्धु शंखधर, श्री बदायूं
118-दरोगा, श्री आजमगढ़
119-दल बहादुर कोरी, श्री रायबरेली
120-दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
121-दीनानाथ चौधरी, श्री बलिया
122-दीनानाथ भास्कर, श्री वाराणसी

123-देवकी नन्दन, श्री उन्नाव
124-देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री ललितपुर
125-दौलतराम, श्री सीतापुर
126-धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर
127-धनीराम वर्मा, श्री इटावा
128-धर्मपाल यादव
उर्फ डी0पी0यादव, श्री बुलन्दशहर
129-धामू राम भास्कर, श्री फैजाबाद
130-धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कुंवर खीरी
131-धू राम चौधरी, श्री हमीरपुर
132-नजमउद्दीन, श्री इलाहाबाद
133-नन्द किशोर मिश्रा, श्री देवरिया
134-नन्द लाल, श्री सुल्तानपुर
135-नन्द लाल सिंह पटेल,
एडवोकेट इलाहाबाद
136-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री इलाहाबाद
137-नरेन्द्र सिंह, श्री मेरठ
138-नरेन्द्र सिंह, श्री मैनपुरी
139-नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
140-नरेन्द्र सिंह चौधरी,श्री कानपुर देहात
141-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
142-नरेश अग्रवाल, श्री हरदोई
143-नवल किशोर, श्री बुलन्दशहर
144-नसीम, श्री मऊ
145-नसीरुद्दीन, श्री फिरोजाबाद
146-निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री खीरी
147-निर्भयपाल शर्मा, श्री सहारनपुर
148-नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
149-परमानन्द दण्डी, स्वामी रामपुर
150-परशुराम, श्री फैजाबाद
151-पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
152-पीतम सिंह, श्री एटा
153-पुत्तू सिंह यादव, श्री शाहजहांपुर
154-पुर्णमासी देहाती, श्री देवरिया
155-पृथ्वी सिंह विकसित, श्री हरिद्वार
156-प्रणतपाल सिंह, श्री मथुरा
157-प्रताप सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
158-प्रभा रावत, श्रीमती गोरखपुर
159-प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
160-प्रवीण सिंह ऐरन, श्री बरेली
161-प्रीतम सिंह, श्री देहरादून
162-प्रीतम सिंह, श्री मुरादाबाद
163-प्रेम प्रकाश
उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री सिद्धार्थनगर
164-प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
165-प्रेम सिंह, श्री गाजियाबाद
166-फजलुर्रहमान अंसारी, श्री बहराइच
167-फ्रेन्सिस डब्लू0 मूर नाम-निर्देशित
आंग्ल भारतीय
168-फौजदार प्रसाद, श्री मऊ
169-बंशीधर, श्री नैनीताल
170-बचनू राम पटेल, श्री वाराणसी
171-बची सिंह रावत, श्री अल्मोड़ा
172-बच्चा पाठक, श्री बलिया
173-बदन सिंह, श्री आगरा
174-बनवारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
175-बनवारी सिंह, श्री बदायूं
176-बरकत अली खां, श्री सुल्तानपुर
177-बी0आर0वर्मा, श्री आजमगढ़
178-बराफेया लाल जुवांठा, श्री उत्तरकाशी
179-बलराम यादव, श्री आजमगढ़
180-बशीर, श्री हमीरपुर
181-बाबू खां, श्री हरदोई
182-बाबूराम यादव, श्री मैनपुरी
183-बाबूराम वर्मा, श्री बस्ती
184-बाबू लाल, श्री उन्नाव
185-बाल गोविन्द राजवंशी, श्री सीतापुर
186-बालचन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
187-बालेश्वर त्यागी, श्री गाजियाबाद
188-बालेश्वर यादव, श्री देवरिया
189-विहारी लाल आर्य, श्री झांसी
190-बी0के0 गुप्ता, श्री पीलीभीत
191-बेचन राम, श्री गोरखपुर
192-बेनी प्रसाद वर्मा, श्री बाराबंकी

193-बैजनाथ रावत, श्री बाराबकी
194-ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री फर्रुखाबाद
195-ब्रह्मा शकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
196-भगवत शरण गगवार, श्री बरेली
197-भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री लखनऊ
198-भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुरदेहात
199-भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
200-भागवत पाल, श्री मिर्जापुर
201-भैरो प्रसाद मिश्र, श्री बांदा
202-मजूर अहमद, श्री बरेली
203-मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
204-मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
205-मदन भइया, श्री मेरठ
206-मनव्वर हसन, श्री मुजफ्फरनगर
207-मनोहर लाल, श्री उन्नाव
208-मन्नू लाल कुरील, श्री बांदा
209-मयंकर सिंह, श्री बहराइच
210-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
211-मसूद अहमद, डा0 फैजाबाद
212-महबूब अली, श्री मुरादाबाद
213-महराज सिह यादव, इटैली, श्री इटावा
214-महाबीर सिंह, श्री बिजनौर
215-महाबीर सिंह, कुंवर हरदोई
216-महिपाल सिंह यादव, श्री बरेली
217-महेन्द्र अरिदमन सिह राजा, श्री आगरा
218-महेन्द्र पाल सिंह, श्री बिजनौर
219-महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री फतेहपुर
220-महेन्द्र सिह माहरा, श्री (महू भाई) पिथौरागढ
221-महेश बाबु, श्री कानपुर नगर
222-मातवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
223-माम चन्द्र, श्री सहारनपुर
224-माया शंकर पाठक, श्री वाराणसी
225-मारकण्डेय सिंह, श्री बलिया
226-मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
227-मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां, श्री बदायू
228-मुक्तिनाथ, श्री देवरिया
229-मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
230-मुनीश गौड़, श्री अलीगढ़
231-मुरलीधर, श्री फतेहपुर
232-मुलायम सिंह यादव, श्री फिरोजाबाद
233-मेवा लाल बागी, श्री वाराणसी
234-मोलई, श्री गोरखपुर
235-मोहम्मद अरशद खान, श्री जौनपुर
236-मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
237-मोहर सिंह, श्री सहारनपुर
238-मोहसिन, डा0 गोरखपुर
239-यशपाल आर्य, श्री नैनीताल
240-यशपाल चौधरी, श्री खीरी
241-यशपाल सिंह चौधरी, श्री सहारनपुर
242-योगेन्द्र कुमार सागर, श्री बदायूं
243-रंगनाथ, श्री वाराणसी
244-रघुराज प्रताप सिंह, उर्फ राजा भइया, कुवंर प्रतापगढ़
245-रघुवीर सिंह, श्री एटा
246-रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
247-रणधीर सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
248-रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
249-रतन पाल पवार, श्री मुजफ्फरनगर
250-रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
251-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री देवरिया
252-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
253-रमेश कान्त लवानियां, श्री आगरा
254-रमेश चन्द्र चंचल, श्री फिरोजाबाद
255-रमेश पोखरियाल निशंक, श्री गढ़वाल

256-रमेश बहादुर, श्री प्रतापगढ़
257-रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर मेरठ
258-रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
259-रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री देवरिया
260-रवीन्द्र शुक्ल, श्री झांसी
261-राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
262-राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
263-राजकुमार शिवहरे, श्री बांदा
264-राजवली जैसल, श्री इलाहाबाद
265-राजबली यादव, श्री आजमगढ़
266-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
267-राजबीर सिंह, श्री अलीगढ़
268-राजा राम त्यागी, श्री रायबरेली
269-राजीव कुमार, श्री नैनीताल
270-राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
271-राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
272-राजेन्द्र प्रसाद, श्री लखनऊ
273-राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
274-राजेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
275-राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
276-राजेश कुमार यादव, श्री बदायूं
277-राजेश कुमार, श्री वाराणसी
278-राधेश्याम, श्री बाराबंकी
279-राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
280-रानी देव लता, श्रीमती सहारनपुर
281-राम अचल राजभर, श्री फैजाबाद
282-राम अधार यादव, श्री महराजगंज
283-राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
284-राम औतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
285-राम करन आर्य, श्री बस्ती
286-राम किशोर बिन्द, श्री वाराणसी
287-राम कुमार वर्मा, श्री खीरी
288-राम कुमार शुक्ल, श्री लखनऊ
289-राम कृष्ण वर्मा, श्री मेरठ
290-राम खेलावन, श्री उन्नाव
291-राम गोपाल, श्री खीरी
292-रामजीत भारद्वाज, श्री वाराणसी
293-राम तेज, श्री बहराइच
294-रामदर्शन यादव, श्री आजमगढ़
295-राम दवर, श्री जौनपुर
296-रामदास पाल, श्री कानपुर देहात
297-राम देव वर्मा, श्री फैजाबाद
298-रामधनी, श्री गाजीपुर
299-राम नरेश यादव, श्री रायबरेली
300-रामपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
301-राम प्रकाश, श्री बस्ती
302-राम प्रकाश गुप्त, श्री लखनऊ
303-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री फर्रुखाबाद
304-राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
305-राम प्रसाद टम्टा, श्री अल्मोड़ा
306-राम प्रसाद, श्री बुलन्दशहर
307-राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
308-राम बाबू हरित, डा0 आगरा
309-राममूर्ति सिंह, श्री शाहजहांपुर
310-रामलखन यादव, श्री प्रतापगढ़
311-राम लखन वर्मा, श्री फैजाबाद
312-रामलोटन सिंह पटेल, इंजी0 मिर्जापुर
313-राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
314-रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
315-राम सजीवन निर्मल, श्री इलाहाबाद
316-राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
317-राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
318-राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
319-राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
320-राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
321-राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
322-रामेश्वर दयाल, श्री मैनपुरी
323-रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री गोण्डा
324-रेखा छागला, श्रीमती इटावा
325-लक्ष्मी चन्द्र, श्री बुलन्दशहर
326-लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरु जी, श्री प्रतापगढ़
327-लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
328-लाज कृष्ण गांधी, श्री सहारनपुर

329-लालजी, श्री वाराणसी
330-लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री जौनपुर
331-लाल बहादुर सिंह, श्री प्रतापगढ़
332-लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
333-वकार अहमद शाह, श्री बहराइच
334-वासुदेव सिंह, श्री बुलन्दशहर
335-विक्रमा सिंह, श्री बलिया
336-विजय सिंह, श्री सोनभद्र
337-विजेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
338-विनय कुमार पाण्डेय
उर्फ विन्नू, श्री गोण्डा
339-विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
340-विश्वनाथ, श्री देवरिया
341-विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री गोण्डा
342-विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
443-विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
344-वीर अभिमन्यु सिंह, श्री फतेहपुर
345-वीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बुलन्दशहर
346-वीरेन्द्र प्रताप सिंह
उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
347-वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री पीलीभीत
348-वीरेश्वर सिंह
उर्फ वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
349-शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
350-शराफत यार खां, श्री बरेली
351-शशिबाला पुण्डीर, श्रीमती सहारनपुर
352-शशि बाला भारती, श्रीमती खीरी
353-शाकिर, श्री देवरिया
354-शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
355-शारदा प्रसाद
जायसवाल, श्री महराजगंज
356-शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
357-शिव दानी, श्री इलाहाबाद
358-शिव प्रताप यादव, डा0 गोण्डा
359-शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
360-शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
361-शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री जालौन
362-शिवेन्द्र, श्री महराजगंज
363-शूरवीर सिंह
सजवाण, श्री टेहरी गढ़वाल
364-श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ
365-श्याम देव राय चौधरी,(दादा) वाराणसी
366-श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
367-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
368-श्रीराम पाल, श्री जालौन
369-श्रीराम, श्री मिर्जापुर
370-श्रीराम यादव, श्री जौनपुर
371-श्रीराम सिंह, श्री गोण्डा
372-संग्राम सिंह यादव, श्री बलिया
373-संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
374-सज्जन पाल सिंह
उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री एटा
375-सतीश कुमार, श्री बिजनौर
376-सतीश भाटिया, श्री लखनऊ
377-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
378-सत्य प्रकाश, श्री मुरादाबाद
379-सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
380-सत्येन्द्र सिंह, श्री मुरादाबाद
381-सन्त बक्श सिंह रावत, श्री लखनऊ
382-सफदर रजा खां, श्री सुल्तानपुर
383-समई, श्री आजमगढ़
384-समर पाल, श्री मुरादाबाद
385-समीर भाटी, श्री गाजियाबाद
386-सरजीत सिंह डंग, डा0 मिर्जापुर
387-सर्वराज सिंह, कुंवर बरेली
388-सर्वेश कुमार
उर्फ राकेश, श्री मुरादाबाद
389-सावित्री देवी, श्रीमती जौनपुर
390-सियाराम सागर, डा0 बरेली
391-सुखदेव, श्री आजमगढ़

392-सुखदेवी, श्रीमती इटावा
393-सुधीर कुमार बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
394-सुन्दर पाल सिंह, श्री सीतापुर
395-सुन्दर लाल दीक्षित, श्री बाराबंकी
396-सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
397-सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री बांदा
398-सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री गढ़वाल
399-सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
400-सुरेश चन्द्र तितौरेया, श्री मुजफ्फरनगर
401-सुरेश पासी, श्री प्रतापगढ़
402-सुरेश प्रताप सिंह, श्री मुरादाबाद
403-सुरेश संगल, श्री मुजफ्फरनगर
404-सुशीला सरोज, श्रीमती हरदोई
405-सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
406-स्वयंबर चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
407-स्वामी नाथ यादव, श्री देवरिया
408-हरक सिंह रावत, श्री गढ़वाल
409-हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
410-हरपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
411-हरवंश कपूर, श्री देहरादून
412-हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
413-हरी किशन श्रीवास्तव, श्री कानपुर देहात
414-हरी शंकर माहौर, श्री अलीगढ़
415-हरीश कुमार गंगवार, श्री बरेली
416-हरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
417-हरेन्द्र सिंह, श्री रामपुर
418-हाजी मोहम्मद हयात, श्री मुरादाबाद
419-हीरा मनि पटेल, श्री इलाहाबाद
420-हृदय नारायण, श्री उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोती लाल बोरा

मंत्रि-परिषद्

1-श्री मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, ऊर्जा, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, सार्वजनिक उद्यम, आवास, न्याय विधायिका, गन्ना विकास, चीनी मिलें, उद्योग, सिंचाई आबकारी, पर्यटन, पर्यावरण, श्रम, कृषि, उत्तरांचल विकास, प्राविधिक शिक्षा, उ0 शिक्षा, नियोजन, खाद्य, दुग्ध विकास, राज्य सम्पत्ति, उद्यान, युवा कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण, इलेक्ट्रानिक्स ।
2-श्री बेनी प्रसाद वर्मा	लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य ।
3-श्री मोहम्मद आजम खां	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ ।
4-श्री राज बहादुर	समाज कल्याण ।
5-श्री राम लखन वर्मा	पंचायती राज ।
6-श्री रमा शंकर कौशिक	नगर विकास ।
7-श्री भगवती सिंह	वन ।
8-श्री बलराम यादव	स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा ।
9-श्री बाबूराम यादव	राजस्व ।
10-श्री मनोहर लाल	पशुधन तथा मत्स्य ।
11-श्री अवधेश प्रसाद	कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन ।
12-श्री आर0 के0 चौधरी	परिवहन
13-डा0 मसूद अहमद	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा ।
14-श्री श्रीराम यादव	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास ।

राज्य मंत्री

1-श्री शारदानन्द अंचल	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री ।
2-श्री रामधनी	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री ।
3-श्री दीनानाथ भास्कर	स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ।
4-श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा	परिवहन मंत्री ।
5-श्री श्रीराम पाल	मत्स्य तथा पशुधन मंत्री ।
6-श्री सन्त बक्श सिंह रावत	नगर विकास मंत्री ।

7-श्री सुन्दर सिंह बघेल	समाज कल्याण मंत्री ।
8-श्री सुखराम सिंह यादव	लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री ।
9-श्री अशोक कुमार सिंह बेबी	पंचायती राज मंत्री ।
10-श्री सुखदेव राजभर	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री ।
11-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	राजस्व मंत्री ।

उप मंत्री

1-श्री राम किशोर विन्द	कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री ।
2-श्री लालजी चौहान	वन मंत्री ।

नेता विरोधी दल

श्री कल्याण सिंह	भारतीय जनता पार्टी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री धनीराम वर्मा

उपाध्यक्ष

रिक्त

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
2-श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी),
3-श्री राम करन आर्य, सदस्य, विधान सभा (बस्ती),
4-श्री बरखूराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़),
5-श्री सत्य प्रकाश विकल, सदस्य, विधान सभा (आगरा),
6-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर),
7-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),
8-श्री नरेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
9-श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
10-श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा (महराजगंज) ।

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	राम किशोर विन्द, श्री	वाराणसी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	राम कृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	राम दवर, श्री	जौनपुर
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ	राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	लक्ष्मी चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ	लालजी, श्री	वाराणसी
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ	लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर	विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली	विश्वम्भर प्रसाद निषाद,श्री	बांदा
प्रीतम सिंह, श्री	देहरादून	विश्वम्भर सिंह, श्री	मथुरा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा	वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर	वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
माम चन्द्र, श्री	सहारनपुर	सुखदेव, श्री	आजमगढ़
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर	सुधीर कुमार बालियान, श्री	मुजफ्फनगर
योगेन्द्र कुमार सागर, श्री	बदायूं	सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फरनगर
रतन लाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
		हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
		हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पूरे राज्य में जंगल राज्य स्थापित हो गया है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

पहले मान्यवर, "बंदे मातरम्" हो जाने दे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

पूरे प्रदेश में जंगल राज्य है, सरकार जैसी कोई चीज नहीं है (व्यवधान) राज्यपाल के अभिभाषण का क्या औचित्य रह जाता है ?

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)-

पहले "बंदे मातरम्" हो जाय । (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं आपके माध्यम से सरकार को चुनौती देता हूं पिछले दो महीनों के अंदर इस सरकार ने जंगल राज्य कायम कर रखा है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है यह लोग "बंदे मातरम्" का प्रकारांतर में विरोध करना चाहते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, 311 में नोटिस दी है । (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को चुनौती देता हूं, इस पर चर्चा करा लें पूरे प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो गया है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

पहले जो कार्यसूची में है उसे लें, उसी हिसाब से चलने दें । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ कर सुनाया जाना है उसके बाद जिस चीज को सुनना चाहें सुन लें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

इनके सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था का नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है ।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं (व्यवधान) पहले बंदे मातरम् हो जाय (व्यवधान) विधिवत् पहले कार्यवाही शुरू होने तो दीजिये ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय गुप्त जी से कहूंगा कि माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण पहले विधिवत् पढ़ लिया जाय । उसके बाद आप जो चाहें माननीय अध्यक्ष जी 31। या औचित्य का प्रश्न, चर्चा चला लें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक तरफ जातीयता और दूसरी तरफ साम्प्रदायिकता से इस प्रदेश को बचाने के लिये आप चर्चा करा लें (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

(× × ×) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं (व्यवधान) कार्यवाही में कुछ नहीं लिखा जायेगा । देखिये सबसे पहले "बंदे मारतम्" से हमारी कार्यवाही शुरू होगी (व्यवधान) सर्वप्रथम "बंदे मातरम्" हो जाना चाहिये उसके बाद मैं सबकी बात सुनने के लिये तैयार हूं । परम्परा, नियमों के बारे में आपको जानकारी है, सदन की प्रक्रिया की जानकारी है उसके बाद भी इस तरह की बात कर रहे हैं । हम सबसे पहलें "बंदे मातरम् से कार्यवाही शुरू करते हैं ।..

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
सुजलाम् ।।
सुफलाम् ।
मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् ।
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
शुभ्र- ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

श्री राज्यपाल द्वारा एक साथ समवेत दोनो सदनो को दिये गये अभिभाषण को मैं पढ़ रहा हूं ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)-

व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग बैठ जायं । मैं अभिभाषण को पढ़ रहा हूं ।

विधान मंडल के वर्ष 1994 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं । अभी पिछले सप्ताह गुजरात के मुख्य मंत्री श्री चिमन भाई पटेल हमारे बीच नहीं रहे । मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सर्वसम्मति से श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना गया)

(लगभग दो माह पूर्व मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार की नीतियों की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की थी। मैं उन नीतियों को यहां पुन: दोहराना नहीं चाहता हूं । परन्तु मैं यह अवश्य बताना चहूंगा कि मेरी सरकार इन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये दृढ संकल्प है । इस दो माह की अल्प अवधि में मेरी सरकार ने इन नीतियों के कार्यान्वयन की दिशा में अनेक कदम उठाये हैं ।

आगामी वर्ष (1994-95) आठवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष होगा । माननीय सदस्यों को यह अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य की आगामी वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना के लिये 4762 करोड़ रुपया का आकार स्वीकृत हुआ है जो वर्तमान वर्ष की योजना के आकार (4250 करोड़ रुपये) से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है । इस योजना के वित्त पोषण के लिये मेरी सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के साथ-साथ अनुत्पादक व्यय में कमी की जायेगी । अतिरिक्त संसाधन जुटाने के संबंध में मेरी सरकार ने विधिक, व्यवहारिक एवं अन्य प्रासंगिक कार्यों पर विचार करके आख्या देने हेतु मंत्रि-परिषद् की एक समिति का गठन किया है । इस समिति की रिपोर्ट

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । शासन द्वारा गठित व्यय बचत आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिस पर विचार कर संस्तुति देने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है । उक्त कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर मेरी सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा कतिपय योजनाओं की उपादेयता के सम्बन्ध में भी अलग से विचार किया जा रहा है जिनके कार्यान्वयन से जनसाधारण को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती । इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त शीघ्र निर्णय लिये जायेंगे ।

जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, मेरी सरकार के लिये त्वरित ग्रामीण विकास एवं किसानों की समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होगा । इसलिये मेरी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि योजना धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित किया जायेगा ।

खरीफ 1993 में जुलाई तथा अगस्त के महीनों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों मे अवर्षण की स्थिति रही जिससे खरीफ उत्पादन प्रभावित हुआ । खरीफ उत्पादन में सम्भावित कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान रवी में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं जिससे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके । इसी परिपेक्ष्य में मेरी सरकार द्वारा किसानों को बिजली एवं पानी की सुविधा समयबद्ध कार्यक्रमानुसार उपलब्ध कराये जाने के स्पष्ट आदेश दे दिये गये हैं । इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु स्थल निरीक्षण किये जा रहे हैं और शासन स्तर से सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है ।

मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाया जाना चाहिए । मेरी सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गन्ना उत्पादकों के हित में गन्ना मूल्य में दिनांक 1-1-1994 से 4.50 रुपया प्रति कुन्तल की वृद्धि की है जिसके फलस्वरूप इसके पूर्व में जो वृद्धि की गई है उसको लेकर शीघ्र पकने वाली गन्ना प्रजातियों का मूल्य 61.00 रुपया प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 58.00 रुपया प्रति कुन्तल हो गया है जबकि गत वर्ष इनका मूल्य क्रमशः 49 रुपया प्रति कुन्तल तथा 46 रुपया प्रति कुन्तल था । गन्ना मूल्य में इस वृद्धि के फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों को अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा और उनकी सुखहाली बढ़ेगी । मेरी सरकार ने किसानों के गन्ना मूल्य को बैंकों के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था से होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखते हुए गन्ना किसानों को नकद भुगतान पुनः समिति के माध्यम से करने की व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त गुड़ के स्टाक एवं अवधि की पाबन्दी को समाप्त कर दिया गया है ।

मत्स्य पालकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए तथा उन्हें मत्स्य पालन कार्य का सम्यक् लाभ दिलाने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं । कुम्हारी कला को संरक्षण देने तथा इस कार्य में लगे प्रजापति समाज के व्यक्तियों की दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से भूमि उपलब्ध कराने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं जिससे उन्हें अपनी कला के विकास एवं आजीविका हेतु मिट्टी बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध हो सके ।

जिन व्यक्तियों को आवास हेतु ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि एवं सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि के पट्टे दिये गये हैं और उन्हें कब्जा नहीं मिल सका है उसके लिए एक विशेष अभियान पहली जनवरी, 1994 से चलाया गया है । उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में दाखिल-खारेज की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए दिसम्बर, 1993 से एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 2 लाख 14 हजार मामलों का निस्तारण हो गया है ।

मेरी सरकार राजनैतिक एवं आर्थिक सत्ता को विकेन्द्रित कर चौखम्भा राज बनाये जाने की पक्षधर है । और इसके लिए उत्तर प्रदेश में पंचायतों एवं स्थानीय निकायों, जिनका इतिहास अत्यन्त गौरवशाली रहा है, को मजबूती प्रदान करने एवं स्थानीय प्रशासन में जनसाधारण की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायतों, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों, महापालिकाओं, नगर पालिकाओं, नोटीफाइड एरिया कमेटियों और टाउन एरिया कमेटियों से सम्बन्धित विधिक व्यवस्था को संविधान के 73वें एव 74वें संशोधन के अनुरूप किये जाने के लिए इस सत्र में आपके विचारार्थ विधेयक लाये जायेंगे ।

मेरी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा में नकल एवं अनुचित साधनों की प्रवृत्ति को रोकने, परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति में सुधार तथा शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करके अपने सुविचारित मत देने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है । नकल एवं अनुचित साधनों की प्रवृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में इस समिति की संस्तुति प्राप्त हो गई है जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

मेरी सरकार समान शिक्षा की पक्षधर है । प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिये प्रत्येक गांव सभा में प्राथमिक विद्यालय तथा न्याय पंचायत में एक पूर्व-माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य तीन वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिये शैक्षणिक सुविधा का विस्तार करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा असंवित विकास खण्डों में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने को शीर्ष वरीयता प्रदान की जायेगी ।

छात्र-छात्राओं में राष्ट्रीय एकता की अनुभूति तथा पारस्परिक सद्भाव जागृत करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा अहिन्दी भाषाई क्षेत्रों की आठ आधुनिक भारतीय भाषाओं-तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, गुजराती तथा बंगाली भाषा को प्रदेश के 16 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-6 से कक्षा-8 तक शिक्षण हेतु समुचित व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त उर्दू, संस्कृत तथा अरबी के पढ़ने की समुचित व्यवस्था सरकार करेगी ।

मेरी सरकार उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में शैक्षिक स्तर में सुधार एवं उन्नयन, विश्वविद्यालयों मे वित्तीय अनुशासन मे वृद्धि, सत्र के विनियमितीकरण, नये व्यवसायपरक पाठ्यक्रमों को चलाये जाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार, परिसर में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था आदि बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु कृत संकल्प है ।

तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने एवं उन्हें तकनीकी दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से कतिपय संस्थाओं में कम्प्यूटर, फार्मेसी आदि का पाठ्यक्रम चलाये जाने की योजना है । इसी प्रकार छात्र ग्रामोन्मुख प्रशिक्षण योजना भी प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को विद्युत् वायरिंग, पम्पिंग सेट तथा अन्य कृषि यंत्रों के बारे में आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है ।

मेरी सरकार पर्यावरण की समस्याओं के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है और प्रदूषण जनित समस्याओं का प्रभावशाली रूप से निदान किये जाने हेतु अनेक कदम उठाये जा रहे हैं । ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वन विभाग के सहयोग से ताजमहल के आस-पास 82 हेक्टेयर भूमि में वनीकरण के कार्य हेतु योजनायें चलायी जा रही हैं । औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं । गोमती तथा यमुना नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।

मेरी सरकार अनुसूचित जाति एवं समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों के उत्पीड़न को रोकने हेतु कटिबद्ध है और इस सम्बन्ध में समस्त जनपदीय अधिकारियों को समुचित निर्देश एवं अधिकार दिये गये है । कानूनी सहायता कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ जन सामान्य एवं निर्बल वर्ग को पहुंचाने के उद्देश्य से तहसील स्तर पर कानूनी सहायता और परामर्श समितियों का गठन भी शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है । समता मूलक समाज बनाने के लिए शासन एवं प्रशासन में सभी वर्गों की भागीदारी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, हितों तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पर सम्यक् विचार करने तथा सुझाव देने के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है ।

सेवाओं मे आरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है जिसमें अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत को 18 से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया गया है । पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत में, जो क्रमश. 27 और 2 प्रतिशत है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । यह व्यवस्था भी की गयी है कि अध्यादेश के उपबन्धों का नियुक्ति अधिकारी आदि द्वारा जान-बूझकर उल्लंघन दण्डनीय होगा ।

प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में विद्युत् का महत्वपूर्ण योगदान है मेरी सरकार का यह निरन्तर प्रयास है कि इस क्षेत्र की कार्यकुशलता में सुधार लाया जाय । विद्युत् परिषद् के अनावश्यक व्यय में कमी तथा उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं । आनपारा "बी" तापीय विद्युत् परियोजना की 500 मेगावाट की प्रथम इकाई में व्यावसायिक उत्पादन शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है तथा 500 मेगावाट की दूसरी इकाई की आगामी जुलाई, 1994 से उत्पादन पर आने की आशा है । राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए विद्युत् उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कार्य में निजी उद्यमियों की भागीदारी ली जा रही है ताकि प्रदेश का औद्योगिक एवं कृषि विकास तेजी से हो सके ।

पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों में उत्तरोतर होने वाली कमी और उससे होने वाले प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा के स्रोत और अधिक विकसित किये जायेंगे और इस संबंध में मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समस्त संयंत्रों को सामान्य जन में ग्राह्य बनाया जाये और वैकल्पिक ऊर्जा को भरोसेमन्द साधन के रूप मे अपनाया जाये ।

मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अधिक स्रोत विकसित किये जायें । इस परिप्रेक्ष्य में कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अधिक अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जायेगा ।

मेरी सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश मे आवश्यक अवस्थापना सुविधाये उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है क्योंकि औद्योगिक विकास का सीधा संबंध रोजगार से है । प्रदेश मे उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को एक स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा । उद्योग बंधु मे त्रिपक्षीय वार्ता की एक नई प्रणाली आरम्भ की गयी है जिसमे उद्यमी, संबंधित विभाग एवं

उद्योग बंधु वार्ता करके समस्या का तत्परता से समाधान करेंगे । मेरी सरकार द्वारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर इन्हें युक्तिसंगत बनाये जाने को भी प्राथमिकता दी जा रही है जिससे लाल फीताशाही एवं इन्सपेक्टर राज के प्रकोप को समाप्त किया जा सके ।

लघु औद्योगिक इकाइयो को विपणन, तकनीकी एवं आधुनिकीकरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर बल दिया जा रहा है ताकि जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा परम्परागत एवं विनियंत्रक भूमिका के बजाय मार्गदर्शक एवं सहयोगात्मक रवैया अपनाया जा सके ।

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग, प्रदेश की संस्कृति एवं अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है । इस व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा में सुधार करने की दृष्टि से मार्गों के निर्माण में तेजी लायी जायेगी और समस्त अम्बेदकर गांवों को पहुंच मार्गों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जायेगा ।

मेरी सरकार ने प्रदेश में व्याप्त पेयजल संकट को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए समयबद्ध कार्यक्रमानुसार इसे हल करने का निश्चय किया है । कानपुर में बैराज निर्माण का कार्य, भारत सरकार के सहयोग से इस वर्ष प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

उत्तराखण्ड की समस्याओं को देखते हुए तथा मेरी सरकार की पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने की प्रतिबद्धता की पूर्ति की दिशा मे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु मंत्रि-मडल की एक समिति का गठन किया गया है जो उत्तराखण्ड मे विभिन्न स्थानों मे जाकर स्थानीय समस्याओं का आकलन भी कर रही है । इस समिति की संस्तुतियो के आधार पर सरकार द्वारा पृथक उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की दिशा में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी । इस बीच मेरी सरकार द्वारा पीने के पानी की समस्या के निदान एवं मुख्य अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क एवं पुल, विद्युत, सिंचाई आदि कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ पुराने कार्यों को सुदृढ़ करने तथा चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने को शीर्ष वरीयता दी जा रही है । कार्य के सुचारु एवं सुगत संचालन हेतु प्रशासनिक इकाइयों को छोटा करने पर भी विचार हो रहा है । क्षेत्रीय असंतुलन और असमानता को दूर करने के लिए पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के विकास का विशेष ध्यान रखा जायेगा । प्रदेश में पर्यटन को समुचित बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है । पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सभी संभव सुविधायें उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं । इस

क्षेत्र में निजी उद्यमियों की सहायता भी ली जा रही है ताकि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अधिकाधिक संख्या में लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते रहें । पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र का विशेष महत्व है । इसी दृष्टि से अन्य उपायों के अलावा नैनी-सैनी, जनपद पिथौरागढ़ में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है ।

मेरी सरकार द्वारा सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से निर्वाचन का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया आरम्भ हो गई है ।

सार्वजनिक निगमों की उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में अभिवृद्धि के लिए मेरी सरकार कृत संकल्प है । सरकार का यह प्रयास होगा कि इन उपक्रमों के प्रबंध-तंत्र को और उत्तरदायी बनाकर इनके कार्यकलापों में गुणात्मक सुधार लाया जाय । साथ ही इन उपक्रमों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की दिशा में रणनीति तैयार की जायेगी ।

मेरी सरकार ने राज्य के कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 10 रुपया प्रतिदिन की अनन्तिम वृद्धि का निर्णय लिया है । इसी प्रकार बीड़ी मजदूरों को मिलने वाले पारिश्रमिक में भी वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी गयी है ।

प्रदेश की अन्तर्राज्यीय बैरियर व्यवस्था मेरी सरकार ने समाप्त कर दी है जिससे खाद्यान्न के संचरण में सुविधा होगी । व्यापारियों को अनावश्यक उत्पीड़न से राहत दिये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे न चलाये जायं, किन्तु जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय और लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल करने के लिए नवीनीकरण पद्धति के स्थान पर बन टाइम लाइसेन्स का प्राविधान कर दिया गया है । बिक्री-कर के विकल्प की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी ।

प्रदेश में निहित स्वार्थ वाली एवं फासिस्ट शक्तियां विघटनकारी क्रियाकलापों में संलग्न हो शान्ति व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने की यद्यपि कुचेष्टा कर रही हैं किन्तु मेरी सरकार विशेष उपाय करके इन्हें काबू में करने और शान्ति बनाये रखने के लिए यथोचित कार्यवाही कर रही है । मेरी सरकार अपराधों पर नियंत्रण पाने तथा समाज विरोधी तत्वों पर प्रभावकारी अंकुश लगाने की दिशा में भी प्रयास कर रही है । प्रदेश के पुलिस बल को अतिरिक्त तथा आधुनिक उपकरण देकर तथा यथा-अपेक्षित संख्या में वृद्धि करके सुदृढ़ीकृत करने का निर्णय लिया गया है । इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिसजनों को अतिरिक्त सुविधायें प्रदान किये जाने के कतिपय

निर्णय लिये जा चुके हैं । मेरी सरकार ने शान्ति व्यवस्था को बहाल रखने हेतु जिला मजिस्ट्रटों एवं पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है और इसी नीति के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

मेरी सरकार स्वच्छ एवं संवेदनशील प्रशासन की प्रतिबद्धता पर दृढ़ है और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने की दिशा में कार्यवाही कर रही है । जनसाधारण की शिकायतों के सामयिक निराकरण हेतु लोक शिकायत निदेशालय की व्यवस्थाओं को और अधिक चुस्त एवं दुरुस्त बनाया जायेगा, ताकि शासन में उच्चतम स्तर से न्याय मिलने में आसानी हो ।

माननीय सदस्यगण मैंने आपके सम्मुख सरकार की प्रमुख नीतियों और किये जा रहे कार्यों की संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की है । विधान मण्डल के इस सत्र में आपके सामने वर्ष 1994-95 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जायेगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक मांगें भी प्रस्तुत की जायेंगी जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । मैंने विगत सत्र के बाद कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनको प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक तथा कुछ अन्य विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे ।

जिन परिस्थितियों से देश एवं प्रदेश गुजर रहा है एवं जो समस्यायें एवं चुनौतियां हैं, उनका समाधान ढूंढकर प्रदेश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का गुरुतर भार आपके कंधों पर है । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप देश एवं प्रदेश के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने और प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आहूत करता हूं ।‖

जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री ।

(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ...। (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

नियम 31। में मुझे सुन लें । (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाएं । मैंने मद संख्या 3 पुकार लिया है ।

(व्यवधान के मध्य)

‖ ‖ यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हू ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1994 ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलेटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1994 ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलेटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अध्यादेश, 1994 ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 1994 ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

। छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 में शाब्दिक संशोधन का विवरण ।

सचिव विधान सभा-

अध्यक्ष, महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं :-

"विधेयक के पृष्ठ 3 पर अनुसूची दो के क्रमांक 6 की प्रथम व द्वितीय पंक्ति में क्रमशः शब्द "नाम" के स्थान पर "न हो" तथा शब्द "हो सके " के स्थान पर "से कम" कर दिया गया है ।"

दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को विधान मण्डल के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् हुए दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19 (8) के अन्तर्गत पढ़कर सुना रहा हूं:-

"आपके अ0 शा0 प0 सं0 743/वि0स0/संसदीय/25(सं)/93 दिनांक 27 दिसम्बर, 1993 के लिए धन्यवाद ।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा ।"

सादर ।

भवदीय,

ह0 मोती लाल बोरा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993

सचिव विधान सभा-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 के उपवेशन में पारित किया

ऽ छापा नहीं गया ।

था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1993 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993

सचिव, विधान सभा-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1993 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993

सचिव, विधान सभा-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाक 21 दिसम्बर, 1993 के उपवेशन मे पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1993 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993

सचिव, विधान सभा-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1993 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993

सचिव, विधान सभा-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का अनुपूरक) विधेयक, 1993 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1993 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन् मैं शासन की नीतियों के विरोध में इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993

सचिव, विधान सभा-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 के उपवेशन में पारित किया तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 दिसम्बर, 1993 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1993 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1993

सचिव, विधान सभा-

अध्यक्ष, महोदय मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1993 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब पहले मुझे सुनें, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत आपको दिया था...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, नियम 311 में आपकी नोटिस आयी है, आप इसकी ग्राह्यता पर संक्षेप में अपनी बात रख लें ।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना (क्रमागत)

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बहुत विनम्रतापूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले ढाई महीने से जब से यह नई सरकार आई है प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है । इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि मंत्रिगण, मंत्रिपरिषद् के लोग जो संविधान की शपथ लेकर आते है कि वह प्रदेश में कानून का राज्य कायम करेंगे और यदि कहीं अप्रिय घटना होगी तो वह उसे रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे दुख है कि ऐसे माहौल में वाराणसी के एक मंत्री का ऐसा आचरण बिल्कुल नहीं रहा है । एक नाजुक स्थिति में उन्होंने जो कहा उससे वहा स्थिति और बिगड़ी, बद से बदतर हुई । जब राष्ट्रपति शासन के रूप में महामहिम राज्यपाल का यहां शासन था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आई, उसके समय में पूर्ण प्रदेश आतंकवाद की चपेट में था, साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा था, लेकिन राज्यपाल शासन के दौरान वह जड़ मूल से नष्ट हो गया और इन्हें एक ऐसा प्रदेश सौंपा गया जहां यह आराम से शासन चला सकते थे । श्री मुलायम सिंह यादव के मंत्रिपरिषद् में बैठे उनके मंत्रियों ने प्रदेश में जातिवाद को बढ़ावा दिया है, उसमें चूंकि आपने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है, इसलिए मैं उसके ज्यादा मेरिट में नहीं जाऊंगा, किन्तु कानपुर में जो घटना हुई उससे एक नया चेहरा सबसे सामने आया है । इससे दुखद और निन्दनीय कोई घटना हो नहीं सकती है कि एक भूतपूर्व सभासद की हत्या हुई, उससे हम सभी दुखी हैं, किन्तु इस घटना का बहाना लेकर प्रदेश के मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह, जिस रूप में प्रदेश में साम्प्रदायिकता को फैलाने की नाकामयाब कोशिश की है, जो घृणित कार्य किया है, उसकी जितनी भी निन्दा यहां की जाए वह कम है । उस समय यह प्रयास नहीं किया गया कि हत्यारा पकड़ा जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उत्तेजक भाषण देकर साम्प्रदायिक दंगे कराने की कोशिश की, इसकी जितनी निन्दा की जाए कम है । इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई तो नहीं दूंगा .....

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं उनकी आलोचना करूंगा । इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने साम्प्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश की, उन पर जितनी सख्ती आपको बरतनी चाहिए थी, वह आपने नहीं बरती और बधाई आपको भी नहीं दूंगा । बधाई दूंगा तो कानपुर की जनता को । बधाई की पात्र है तो कानपुर की जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद भी कानपुर में साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने दिये । मान्यवर, इसी तरह से हमीरपुर में क्या हुआ? मुख्य विरोधी दल होने के नाते आपकी जिम्मेदारी यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सही बनी रहे । मान्यवर, छापा पड़ता है तो आपके एक भूतपूर्व विधायक के यहां हथियारों का जखीरा मिलता है। मान्यवर, कानून व्यवस्था को समाप्त करके यह प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में ढ़केलना चाहते हैं । आपमें साहस हो तो इस बात से इन्कार करें और स्पष्ट रूप से इन्कार करें कि आपके भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के यहां हथियारों का जखीरा प्राप्त हुआ कि नहीं । यह पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और इस बार आपके दल के प्रत्यासी थे कि नहीं? यह आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि कानून व्यवस्था कायम रहे । भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह प्रयास था कि किस तरह से साम्प्रदायिक दंगे हों । यह बुन्देलखण्ड की धरती को खराब करना चाहते हैं । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जो अमन चैन कायम हुआ था उससे अच्छी स्थिति तो नहीं आई है लेकिन इतना जरूर है कि उससे बदतर हुई है । एक प्रदेश को साम्प्रदायिकता के आधार पर तो दूसरा प्रदेश को जातीयता के आधार पर बांट देना चाहता है । मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस पर चर्चा स्वीकार कर लें । चर्चा स्वीकार करके हमें अवसर दें । हम आंकड़े देकर स्पष्ट कर देंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई है । प्रदेश सरकार इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पा रही है । मुलायम सिंह की सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो रही है । मेरे साथ ही कुछ अन्य लोगों ने भी अपनी सूचना दी है । अग्रवाल जी ने भी दी है । मैं चाहता हूं कि कृपया उनको भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 311 के तहत हमारे तिवारी जी और नरेश अग्रवाल जी ने भी सूचना दी है । पहले इनके विचार जान लूं फिर आपको सुनूंगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सदन की कार्यवाही नियमों के तहत चलती है, वैसी ही चलनी चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा-

हमारी बात भी सुन लीजिये । एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

श्री राम आसरे वर्मा जी आप कृपया बैठ जायें । पहले मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

कोई कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । आप लोग कृपया बैठ जायं पहले मेरी बात सुन लीजिये । अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं कतई नहीं सुनूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

नहीं बिल्कुल नहीं सुनूंगा । कतई नहीं सुनूंगा । कोई कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

(शोरगुल)

पहले मेरी बात सुनिये । ऐसे आप कहते रहिये कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

पहले मेरी बात सुन लीजिये ।

(शोरगुल)

श्री राम आसरे वर्मा-

आपको मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष-

मैं किसी को मौका नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

आप संसदीय मूल्यों के बारे में नहीं सुनेंगे तो मान्यवर, उचेत निर्णय नहीं ले पायेंगे । मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपको मौका नहीं दूंगा । मैं आपकी बात को कार्यवाही से निकाल दूंगा । मैं आपसे एक अनुरोध के साथ कहना [illegible] मैंने

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

माननीय तिवारी जी को उनके द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत जो उन्होंने नोटिस दिया, उसको ग्राह्यता पर सुना । उसके बाद माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात रखना चाहते हैं ।

(शोरगुल)

तो आप लोग नेता विरोधी दल की बात को सुन लेने दीजिये । वह किस नियम के अन्तर्गत क्या कहना चाहते हैं यह आप सुन लेने दें । उसके बाद आपको भी परमीशन मिलेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय नेता विरोधी दल के विचार सुन लें ।

(शोरगुल)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

आप सदन का आधा समय प्रमोद तिवारी जी को दे देते हैं । आप कार्यवाही देखें । आधे समय में हम लोग बोलते हैं और आधा समय सदन का इनको दे दिया जाता है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

श्रीमन् नरेश अग्रवाल जी के इस पर हस्ताक्षर हैं इनको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल दीक्षित-

आप बार-बार इन्हीं को सुनते हैं यह क्या बात है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

पहले आप नरेश अग्रवाल जी को सुन लें उसके बाद विभिन्न दलों के नेताओं को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेताओं को समय मिलेगा, लेकिन पहले नेता विरोधी दल को सुन लेने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

नेता विरोधी दल के रास्ते में हम बाधा नहीं है उन्हीं के दल के लोग उन्हें नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

एक आग्रह नेता विरोधी दल से है । हम आरोप लगायें तब वह जबाब दें तब ठीक रहेगा ।

(शोरगुल)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि मैं जानना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की ओर से जो कुछ यहां कहा जा रहा है उसका उत्तर दिया जायेगा । मैं समझता हूं कि यह बेहतर होगा कि सत्तापक्ष के जो सहयोगी दल हैं, या पिछलग्गू दल हैं जो सत्तापक्ष के पापों को अपने सिर पर ढो रहे हैं वह कांग्रेस मित्र अपनी बात कह लें, मैं उनकी बात सुनने के लिये तैयार हूं । मैं उसके बाद बोलूंगा ।

*श्री नरेश अग्रवाल-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक आरोप लगाया है कि सहयोगी दल और पिछलग्गू दल । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसने प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित कर रही है । मान्यवर, इधर धरती पुत्र की कथनी और करनी में बहुत फर्क आ गया है । माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के दूसरी बार मुख्य मंत्री बने । माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो आपको उपहार स्वरूप शब्द कहे हैं वह कहीं उपहास स्वरूप न शब्द बन जायें । आज ढ़ाई महीने में कानून व्यवस्था की हालत काफी गिरी है आपके शब्द जो कहा सो कर दिखायेंगे । गलत सिद्ध हो रहे हैं । आज कानपुर, बदायूं, फतेहपुर, वाराणसी आदि अनेक स्थान जिस प्रकार से जातीय और साम्प्रदायिक दंगों से ग्रस्त हुए उससे यह लगता है कि सारा प्रदेश हिंसा से ग्रस्त होता जा रहा है । आपके साथ जो सत्ता में भागीदार दल हैं आप उनके डर से काम मत करिये आप इस सम्मानित सदन के नेता हैं । यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस सीट पर बैठने का आपके एक मिनट भी हक नहीं है । लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने चैलेंज किया था कि एक सीट पर चाहे विरोधी पक्ष के सभी लोग साथ चुनाव लड़ें लेकिन 60 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी । गनीमत यह है कि आपको सीटें अधिक मिल गई लेकिन हैसियत तो आपकी कम हो गई है । मध्य प्रदेश और हिमांचल प्रदेश में आपकी सरकार चली गई और राजस्थान में किसी तरह जोड़-तोड़ करके सरकार चला रहे हैं । कानपुर में काला बच्चा की हत्या हुई इसका हमको दुख है लेकिन उसके ऊपर 63 आपराधिक मामले चल रहे थे । आप उसको दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समतुल्य खड़ा कर रहे हैं । आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि मनाना तक भूल गये । काला बच्चा को आप हरिजन नेता बनाना चाहते हैं यह आप कौन सा आदर्श उपस्थित कर रहे हैं । आप अपराधिक विधायक बनाइये, अपराधिक एम0पी0 बनाइये आप मुलायम सिंह यादव के खिलाफ तहसीलदार सिंह को लड़ाइये जबाबदेह तो आप ही होंगे । हम लोग जागरूक हैं और जनता के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हितों की हमें चिन्ता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय नेता सदन ने एक आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने अपराधिक गैंग हैं वह भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के अन्तर्गत शेल्टर पा रहे हैं।

मान्यवर, यह एक गम्भीर आरोप है। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इस सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या आपने एक शब्द भी इस बात का खण्डन किया है? मुख्य मंत्री ने एक आरोप लगाया तो आरोप गम्भीर होगा और मैं समझता हू कि जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाया गया होगा। लेकिन आपको कहना चाहिये था कि आरोप गलत है। अगर आरोप सही है तो मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरा रहे हैं तो इस पार्टी की सरकार को वहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। केन्द्र सरकार को मजबूर होकर वही कदम उठाना पड़ेगा जो पूर्व में वह उठा चुकी है। मैं माननीय नेता विरोधी दल के समक्ष वर्ष 1992 में अपराधों की जो स्थिति थी उसको रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उस समय अपराध बढ़ रहे थे। आपके एक साल में जो राष्ट्रीय आतंकवाद पनपा था उसके आंकड़े देख लीजिये। वर्ष 1992 में इस प्रदेश में 1,96,416 अपराध हुए। वर्ष 1993 में 1 लाख 86 हजार अपराध हुए। इस आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति के शासन काल में जिसको कि आप लोग कांग्रेस का शासनकाल कहते हैं, अपराधों में गिरावट आई थी। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने मंत्रियों और विधायकों को सीख दीजिये। चौधरी जी यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी गुजरात के मुख्य मंत्री श्री चिमन भाई पटेल के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया।

आपके मंत्री श्री आर0के0 चौधरी ने दो दिन के राष्ट्रीय शोक में हरदोई में पब्लिक मीटिंग की। आपको समझना चाहिये कि राष्ट्रीय शोक क्या होता है? राष्ट्रीय शोक के दिनों में एक मंत्री द्वारा इस तरीके से जन सभा करना कहां तक उचित है? आपके मंत्री बनारस में, आपके विधायक हमीरपुर में यदि ऐसा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एम0पी0 कानपुर में ऐसा करेंगे और सारा दोष डी0एम0 और एस0पी0 पर डाल देंगे तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को हर बात के लिये दोषी करेंगे तो कैसे चलेगा? जो लोग इसके दोषी हैं उनको दंड दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर आप पूरे दिन चर्चा कराइये ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति सामने आ सके।

श्री किरन पाल सिंह -

मान्यवर, प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है उसके बारे में हमारे कांग्रेस के भाई ने जो नोटिस दिया है, प्रस्ताव लाये हैं उसको सुनकर ऐसा लगा कि जैसे बी0जे0पी0 का देश में शासन चल रहा है। मैं चाहूंगा कि सदन में

जो बात रखी जाय वह ऐसी न रखी जाय कि हम इधर भी हैं, उधर भी हैं और किधर भी नहीं है ।

कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी यदि कहा जाय, तो केन्द्र सरकार की होती है, लेकिन उसमें सदन के अन्दर जो प्रतिपक्ष के लोग बैठते हैं, वे उसमें सहयोग करते हैं । यह सही है कि माननीय मुलायम सिंह यादव एक बार पांच साल के लिये मुख्य मंत्री हुऐ थे, लेकिन कुछ ऐसा काम उन्होंने किया कि एक साल में ही यह सदन भंग हो गया और इस बार जब मुख्य मंत्री बने हैं, तो वह अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर इस सदन को चलायेंगे और यह कोशिश करेंगे कि इस प्रदेश में बार-बार चुनाव न हो । जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ लिया, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इन्होंने दो-चार ऐलान ऐसे किये, जिससे लगा कि माननीय मुख्य मंत्री का इरादा शान्ति व्यवस्था का नहीं है, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का है । पहले माननीय मुख्य मंत्री ने आदेश दिया कि प्रदेश के अन्दर नकल विरोधी अध्यादेश समाप्त किया जायेगा ।

माननीय कल्याण सिंह ने नकल विरोधी कानून बना कर पुलिस को इतना अधिकार दे दिया था कि वह ठीक नहीं था । नकल अध्यादेश के हम भी खिलाफ थे । लोकेन उत्तर प्रदेश में लोगों ने यह समझा कि अब नकल करने की छूट दे दी गई है । दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि व्यापारी जो भी मिलावट करेगा, और यह मिलावट करके जनजीवन से खिलवाड़ करेगा, जमाखोरी करेगा या इस प्रकार का कोई अपराध करेगा, तो दफा 317 के अन्दर उस पर कोई हाथ नहीं लगायेगा । यह समाज में संदेश गया कि माननीय मुख्य मंत्री अपराधियों पर हमदर्दी कर रहे हैं । इसका मतलब कि अपराधियों के प्रति माननीय मुख्य मंत्री कठोर नहीं हैं । माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि प्रदेश के अन्दर गुण्डा ऐक्ट समाप्त कर दिया जायेगा और गुण्डा ऐक्ट समाप्त कर दिया गया और उसमें तर्क यह दिया गया कि गुण्डा ऐक्ट का मिसयूज होता है, हो सकता है, इटावा में होता हो। यदि ऐक्ट अपनी जगह पर ठीक है, तो माननीय मुख्य मंत्री को उसके मिसयूज होने से रोकना चाहिये था । गुण्डा ऐक्ट समाप्त कर दिया गया, तो गुण्डो को क्या लगेगा कि हमारे लिये सरकार बन गई है, अब हम पर कोई हाथ लगाने वाला नहीं है । मान्यवर, इसी तरह का आदेश माननीय मुख्य मंत्री का प्रदेश में गया, मान्यवर, आप जानते हैं कि एक ग्राम प्रधान लाखो लाख रुपया विकास कार्य में नहीं लेता है, यह संदेश गया कि उस प्रधान पर कोई हाथ नहीं लगायेगा । तो मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा ठीक नहीं है । मान्यवर, अभी इस प्रदेश में अन्दर फूलन देवी को छोड़ा गया, लेकिन ठीक है, मैं वकालत करता हूं, ।। साल तक जेल में रही, उसको छोड़ा जाना चाहिये था, लेकिन क्या बड़ी रैली करके, महिला गुणगान करके, एक नेता बनाकर छोड़ा जाना चाहिये था मैं कहना चाहता हूं कि छोड़ने के लिये मैं समर्थक हूं, लेकिन मैं और मेरा दल इस

बात को कहते हैं कि जिस तरीके से फूलन देवी को नेता बनाकर छोड़ा गया, उससे लोगों के मन में यह लगेगा कि जो जितना ज्यादा कत्ल करेगा, उसको इस प्रदेश के मुख्य मंत्री संरक्षण दे देंगे और छोड़ देंगे । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों कानून व्यवस्था की स्थिति गिरी है । शान्ति व्यवस्था भंग हो रही है और नतीजा यह है कि एक ही प्रकार के नहीं, बनारस में जातीय दंगा हुआ, और मुख्य मंत्री कहते हैं कि जातीय दंगा नहीं हुआ । कानपुर में साम्प्रदायिक दंगा हुआ, हमीरपुर में दंगा हुआ, इलाहाबाद में औरत को नंगा करके घुमाया गया ।

मान्यवर, सहारनपुर में निर्दोष लोगों की हत्यायें हो गई बदायूं में हत्यायें हो गई । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रदेश में ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि साम्प्रदायिक दंगे भी हो रहे हैं और एक दलित जाति की औरत को सरे आम नंगा घुमाया जा रहा है । आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब को इस पर गम्भीरता से सदन में विचार करना चाहिये । हम पिछलग्गू नहीं है असली नकली का जो सहयोग होगा वह सबके सामने आयेगा लेकिन हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि सरकार को इन सबसे निपटने के लिये हम लोग सहयोग दें । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हू कि बनारस में एक घटना हुई उस घटना को आपने न्यायिक जांच बिठा दी लेकिन उसके बाद भी तमाम नेताओं के जो बयानात आ रहे है उससे क्या जांच पर नहीं असर पड़ेगा? जांच की रिपोर्ट होगी वह बाद में सबके सामने आ जायेगी ।

मेरा यह भी आपसे आग्रह है कि आप अपने सत्ता पक्ष के व्यक्ति को बजाए संरक्षण देने के उसको निर्दोष साबित करने का प्रयास करें । संरक्षण देने से स्थिति जनता के मन में अलग बन जाती है । कानपुर में घटना हुई घटना के बाद दंगे भड़क गये तो बयानों से साम्प्रदायिक सद्भाव के बजाए जो साम्प्रदायिकता का वातावरण बनता जा रहा है उससे स्थिति और भी विषम हो जाती है उस पर आज नियंत्रण की आवश्कता है । हम सबको चाहिये कि अपने आपसी मतभेद भुलाकर इन सब विषयों पर गम्भीरता से विचार करें, ताकि प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सुधार हो सके । मान्यवर, कानपुर की घटना में एक अपराधी की हत्या हुई उसमें एक मंत्री को भी मारा गया । मंत्री जी के साथ जो मारपीट हुई वह गलत थी । लेकिन मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के संरक्षण से लीपापोती का काम न करके घटना की सही स्थिति जनता के सामने आनी चाहिये और यदि आप मानते हैं कि कोई निर्दोष है तो उसको निर्दोष साबित करने का प्रयास करें । मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि यह जो घटना होती है और उस घटना के क्रम में जो तत्काल जिलाधिकारियों का जिनको मुश्किल से वहां गये 18-20 दिन ही हुए होते हैं तबादला कर दिया जाता है उसको भी देखने की आवश्यकता है ।

मेरी इस बात को कहने की मंशा यह है कि हम लोगों की दलगत भावना से ऊपर उठकर इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिये कि इस प्रदेश का विकास कैसे हो ? इस प्रदेश का विकास, पिछले 3-4 सालों में चुनाव होते-होते, ठप्प सा हो गया । सब की शक्ति विकास की तरफ लगे । आरोप-प्रत्यारोप से बचकर एक निर्माण के माहौल में हम लोग चलें । हम लोग चलकर देखें कि प्रदेश किस स्थिति में पहुंचा है ? इन्हीं चन्द बातों के साथ माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के रहते हुए जो अपराध हो रहे हैं, उन पर निष्पक्षता से काम करने का कार्य करें । जनता दल आपको सहयोग देगा, यह पिछलग्गू दल नहीं है, हमारा गुण दोष के आधार पर आपको समर्थन है, यह कोई छिपी बात नहीं है । हम आपको सहयोग करेंगे, सहयोग कर रहे हैं । आप एक सद्भावना का वातावरण बनायें । व्यक्ति को जब कलम की ताकत मिल जाती है तो वह जबान की ताकत को इस्तेमाल नहीं करता है । लेकिन जब वह जबान की ताकत भी इस्तेमाल करता है तो स्थिति बदलती है ।

आज उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो गई है जातीय दंगों की । आज जबान की ताकत के बजाय कलम की ताकत की आवश्कता है । आप अपने नेताओं को रोकिये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गालियां देने का काम न करें । इन लोगों को बाबा साहब की किताबें पढ़वायें, यह लोग उनके विचारों को जानें । बाबा साहब जब पैदा हुए थे तो उन्होंने जो शोषण झेला था, वह शोषण आज नहीं है । आपने 18 प्रतिशत से 21 प्रतिशत कर दिया, आप 22-25 प्रतिशत कर दीजिये, कोई ऐतराज करने वाला नहीं, प्रमोशन में कर दीजिये, पढ़ने की छूट कर दीजिये, फीस माफ कर दीजिये, इन सबमें सहयोग करने के लिये तैयार हैं । शोषित समाज को उठाने का काम करें, लेकिन नेतागण जो गाली दे रहे हैं, वह गाली देना बन्द कर दें, उनसे कहिये कि बाबा साहब की भाषा बोलें । उन्होंने कहा था कि हम समाज में बदलाव चाहते हैं, समाज को शोषण से मुक्त कराना चाहते हैं । बाबा साहब ने यह भी कहा था कि इस समाज की शोषण मुक्ति के वक्त हम इस हद तक न बढ़ जायें कि समाज छूट जाय । सहयोगी दल के नाते मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति बदल रही है, उस पर अंकुश लगाने का काम करें । ठीक है आपने जिलाधिकारी, एस0एस0पी0 की जिम्मेदारी दी है । लोहिया जी का मानना था कि जो हिंसा का वातावरण पैदा करता है वह भी हिंसक कहलाता है । इस तरह का वातावरण ही पैदा न होने दें । यह जो 311 में प्रस्ताव लाया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । कानून व्यवस्था की स्थिति जो आप प्रदेश में बिगड़ रही है उसको सुधारने के लिये आग्रह है कि हम लोग सहयोग करें । मुख्य मंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का सहयोग लेकर, जो गल्तियां हो रही हैं, उनको सुधारने का काम करेंगे ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि कल्याण सिंह जी ने, जो नेता सदन रहे हैं, और आज नेता विपक्ष हैं, उन्होंने हम सभी दलो को पिछलग्गू दल भी कहा है और कहा कि आज यह जो कुछ है वह उन्हीं के पापों की वजह से है और सरकार के पापो की वजह से आज प्रदेश की हालत यह है । मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, वे हमारे मित्र हैं, व्यक्तिगत हमारी बड़ी दोस्ती रही है वर्षों वर्षो से ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

आज भी है । मान्यवर, नेता विरोधी दल को मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसी चुनाव में नारा दिया था कि अबकी पांच प्रदेश और आगे सारा देश पूरा हो जायेगा। दूसरा नारा दिया था कि राम का दुश्मन देश का दुश्मन, इसका मतलब यह हुआ कि आप ही राम के सबसे बड़े भक्त एवं हिमायती है, पक्षधर हैं, और बाकी सारे लोग राक्षस हैं, दुश्मन है ? इसीलिये मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि तथ्यों पर बात होनी चाहिये । यह बात सही है आप प्रदेश में कुछ स्थानो पर जैसे कि हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, पश्चिम की कुछ जगहों, वाराणसी में जो कुछ हुआ वह सही नहीं कहा जा सकता, वह शर्मनाक है । अगर यह सब चीजें न हों तो मैं समझता हूं कि शान्ति और व्यवस्था अच्छी तरह से कायम हो सकती है और प्रदेश व देश की प्रगति के रास्ते पर ले जाया जा सकता है । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शान्ति और व्यवस्था को खतरे में डालने वाले लोग भी हमारे देश और प्रदेश में आज भी मौजूद हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और जो हो रहे हैं, अभी माननीय नेता विरोधी दल कहेंगे जब तक हमारी सरकार थी तब तक दंगा नहीं हुआ था, कई बार यह भी कह चुके हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जब तक ये सरकार में थे तब तक दंगे रुके हुए थे और जब यह सरकार में नहीं है तो पूरे प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो क्रिमनल लोग हैं उनको अगर शहीदों का दर्जा देंगे और जुलूस निकालेंगे तो साम्प्रदायिकता फैलेगी कि फूलन देवी को छोड़ दिया गया है इसको लेकर आलोचनायें कर रहे हैं । जब आप तहसीलदार सिंह को टिकट दिलवा सकते हैं, मोहर सिंह को समर्थन दिलवा सकते हैं उनको राजनीति में ला सकते हैं, तो इन्होंने क्या गुनाह किया एक महिला फूलनदेवी को छोड़कर अगर डकुओं और चोरों को जिन्होंने जघन्य अपराध किये हैं उनको राजनीति में ले आयेंगे और टिकट देंगे और तहसीलदार को लड़ायेंगे वह भी किसके खिलाफ मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बिना शर्त उनको समर्थन देंगे । आपने हमे पिछलग्गू कहा तो हम लोग पिछलग्गू नहीं है बल्कि जो कार्य करते हैं वह डंके की चोट पर करते हैं ।

मान्यवर, मैं बनारस की घटना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर घटना घटी । क्या माननीय नेता विरोधी दल इस बात को बता सकते हैं कि जब मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लोक सभा में पास हो गई और मण्डल कमीशन लागू हो गया तो कमण्डल लेकर राम रथ किसने निकाला था ? यह उसी की देन है । अगर माननीय नेता विरोधी दल और उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि दंगा न हो तो दंगा नहीं हो सकता, जातीय हिंसा नहीं हो सकती । यह घटना कमण्डल को लेकर हुई है । जो लोग सामाजिक न्याय के भूखे हैं, जिन्हें सदियों से आपने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था वह अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, संविधान के तहत कानून के तहत, अपने अधिकारों के तहत भाजपा ने जो भाषण दिया उसके रिएक्शन में अगर कुछ बनारस में हुआ और तुरन्त उसको रोका गया तो वह थम भी गया, इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि जातीय दंगा, साम्प्रदायिक दंगा, ऊंच-नीच का दंगा आप लोग मत फैलाइये। अब मनुवादी व्यवस्था इस देश में नहीं चलेगी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस बात को कह देना चाहता हूं । यदि पिछड़े हुए लोग आगे आते हैं, यह उनका अधिकार है, इसीलिये मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कहना चाहता हूं कि जो लोग दंगा फैलाते हैं, साम्प्रदायिकता फैलाते हैं, अपराध करते हैं, गुण्डे हैं, बदमाश हैं, उनके साथ सरकार को बिना भेदभाव के कड़ाई के साथ निपटाना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, जिन गम्भीर समस्याओं की ओर नियम 311 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कांग्रेसी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, कुछ हद तक उनसे अपने को जोड़ता हूं और इस सरकार से अपेक्षा करता हूं कि आज जो इस प्रदेश का माहौल गरम जैसा होता जा रहा है, एक तरफ तो अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ-कुछ जगहों पर साम्प्रदायिक तनाव की बातें सामने आई हैं । मान्यवर, जो भी घटनायें हुई हैं, उन घटनाओं के साथ, कारणों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और जब हम कारणों में जायेंगे तो निश्चित तौर पर इस सरकार को उसके दोष से वंचित नहीं किया जा सकता है । जिम्मेदारी सरकार की होती है, अगर आज हम हर बात में भाजपा का नाम लेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। भाजपा को तो जनता ने सबक सिखा ही दिया है, उसके बारे में हम बार-बार इन्हीं का नाम लेकर कहें तो मैं इसे उचित नहीं समझता । आज जो कुछ भी प्रदेश में हो रहा है, उसके लिये सरकार की जिम्मेदारी है । चाहे कानपुर की घटना हो, फतेहपुर की घटना हो, बनारस का मामला हो या बदायूं का हो अथवा लखनऊ के अन्दर इस्माइलगंज का मामला हो, जिम्मेदारी सरकार की है । अगर सरकार इस

नतीजे पर पहुंचती है कि सदन में बैठने वाले लोगों में से इस तरह की आग लगाने का काम लोग कर रहे हैं तो सरकार को सख्ती के साथ निपटना चाहिये, अगर नहीं निपटती है तो जिम्मेदारी सरकार की है, बार-बार इनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है मान्यवर, इलाहाबाद की घटना में यह सबने कह दिया कि वहां पर एक महिला को नंगा करके घुमाया गया, दौड़ाया गया, लेकिन यह किसी ने भी नहीं बताया कि यह घटना किसकी पारेणाते थी ? एक बिरादरी विशेष के लोगों के ऊपर उंगली उठाई गई उसी बिरादरी के एक 13 वर्षीय बालक के साथ ज्यादती हुई और अगर उस ज्यादती करने वाले व्यक्ति के साथ कार्यवाही नहीं होती है तो प्रतिशोध की भावना के फलस्वरूप किसी भी तरह की घटना हो सकती है । यह कहना चाहूंगा कि अपराधी न किसी जाति का होता है, न किसी मजहब का अपराधी की जाति और मजहब अपराध होता है और उससे सख्ती के साथ निपटने का काम सत्ता का होता है । अगर सख्ती से नहीं निपटा जाता है तो दोष सत्ता का होगा, दूसरों का नहीं होगा ।

मान्यवर, यह सही बात है कि आज प्रदेश के दबे पिसे लोगों ने करवट लेना शुरू किया, दलितों और पिछड़ों ने करवट लेनी शुरू की है और इस करवट से आज तिलमिलाहट पैदा हो रही है । अगर इन लोगों ने अपने सम्मान और न्याय के लिये अपनी आवाज उठाई तो जाति का नाम जोड़ दिया गया कि जाति का विद्वेष बढ़ रहा है । आज से पहले किसी ने नहीं कहा कि जातीय विद्वेष हो रहा है क्योंकि वे दबे हुए थे । मान्यवर, श्री ऊदल जी ने मनु व्यवस्था के बारे में संकेत किया । आज पूरा समाज समझ रहा है कि उस "मनु व्यवस्था" में यह समाज एक होकर नहीं रह पायेगा । अगर समाज को एक करके चलाना है तो दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाना होगा तभी एक सूत्र में सभी को पिरोया जा सकता है, दलित, पिछड़े लोग इस समाज के हैं उनको भी न्याय और सम्मान देना पड़ेगा, उनको भी डा0 भीमराव अम्बेदकर के सपने के मुताबिक सम्मान का महत्वपूर्ण अधिकार देना पड़ेगा । अगर अधिकार नहीं दिये गये जो चाहे जातीय उत्पीड़न कहें, जातीय विद्वेष कहें या जातीय दंगा कहें, आप कहते रहें लेकिन जिनको अपने हकों से वंचित रखा गया है, वे अपने हकों के लिये लड़ेंगे । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस सरकार से आग्रह जरूर करूंगा कि सरकार यह दायेत्व समझे, इस सदन के अन्दर यह कह देना कि इसके लिये दोषी भाजपा के लोग हैं, या जनता दल के लोग हैं या कोई अन्य हैं यह कह देने से वह अपने दायेत्व से मुक्त नहीं हो पायेंगे क्यों कि दोषी कोई भी हो, जिम्मेदारी सरकार की है इससे सख्ती से निपटने का काम सरकार का है । सदन में बात कही जायेगी तो आपसे कही जायेगी, सदन में क्रिया-कलापों का परीक्षण होगा तो आपके क्रिया-कलापों का परीक्षण होगा, दूसरों का नहीं होगा ।

माननीय नेता विरोधी दल ने सहयोगी दलों को पिछलग्गू कहा है। मान्यवर, गुण-दोष के आधार पर समर्थन का निर्णय हमारा है और समर्थन देते रहेंगे। लेकिन मैं माननीय कल्याण सिंह जी से ससम्मान यह पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार ने दबे, पिसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई नीति की घोषणा की है तो क्या उसका विरोध करेंगे ? अगर विरोध नहीं करेंगे तो हम तो पिछलग्गू हैं ही लेकिन उससे कम आप भी नहीं हैं। मान्यवर, गुण-दोष के आधार पर समर्थन देना हमारा नैतिक कर्तव्य है और वह हम दे रहे हैं, और यह भी साथ-साथ कहना चाहूंगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि जहां पर जनविरोधी नीतियां हैं, जहां पर सरकार का निकम्मापन है उस पर कम से कम जनता दल मुहर लगाने को तैयार नहीं है, दूसरे चाहे तो अपनी मुहर लगायें। हम आलोचना भी करेंगे और अच्छे कामों में उनका साथ भी देंगे, समर्थन भी देंगे, अगर पाप का घड़ा भर जायेगा, उस दिन उनके खिलाफ मोर्चाबन्दी करेंगे उसमें भाजपा मुझसे पीछे रह जायेगी। मैं अपना ख्याल बता रहा हूं जितने दिनों में आपका पाप का घड़ा भरा था, उससे कम दिन इसमें नहीं लगेंगे। माननीय नेता विरोधी दल ने जो "पिछलग्गू" शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर मैंने आपत्ति व्यक्त करते हुए अपनी बात कही। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिये सरकार पहल करेगी और सदन के लोग इस प्रदेश को साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना के माहौल से मुक्त करायेंगे। यहां पर जो भी अपराधीकरण की बात आयी हैं, उनसे मुक्त करायेंगे और सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में अपना सहयोग देंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर प्रदेश में अच्छा वातावरण बनाने का काम करेंगे।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कितने माननीय सदस्य बोलेंगे तो मैं उन माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि अगर उनके दल के किसी भी माननीय सदस्य को अवसर मिलेगा और नेता प्रतिपक्ष को अवसर मिलेगा इस विषय पर बोलने के लिये, तो केवल कांग्रेस के इस प्रस्ताव की कृपा से ही उन्हें अवसर मिलेगा। पिछले तीन माह में उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां पैदा की गई हैं, जो अराजकता की स्थिति पैदा की गई है और जिस तरीके के वातावरण का सृजन हुआ है, साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, अपहरण के काण्ड हुए, बलात्कार के काण्ड हुये हरिजन उत्पीड़न हुआ, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है और जो अन्य घटनायें हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में नेता प्रतिपक्ष या उस दल के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा किसी भी नियम के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिकता फैला करके, या प्रदेश में परिस्थितियों का वोटीकरण करके उसका फायदा लेना चाहते हैं। आज इन्हें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इस पर कोई गम्भीर चिन्तन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मैं इन्हें कोई आरोपित नहीं कर रहा हूं। आज चिन्ता तो इस बात की है कि वर्तमान सरकार बनने के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना हुआ है और सरकार कहती है कि हमारे यहां कोई जातीय दंगे नहीं हो रहे हैं और बी0जे0पी0 पर आरोप लगा रहे हैं और बी0जे0पी0 वाले सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज इस बात पर गम्भीरता से सदन को सोचना होगा। आज प्रदेश में 74 हजार गांव सभाओं में कितने तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आखिर इस विषय पर यह सदन गम्भीरता से चिन्तन करेगा या नहीं? केवल न्यायिक जांच बैठा देना ही काफी होगा। कानपुर में जो दंगा हुआ, उसके लिये जिम्मेदार कौन है? एक पूर्व सभासद की हत्या हुई। मैं कहता हूं कि अपराधी चाहे कोई भी हो, वह अपराधी होता है। वह न किसी पार्टी का होता है और न किसी बिरादरी का। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। अगर कोई पार्टी किसी अपराधी को बचाने का प्रयास करती है तो उसकी सर्वथा निन्दा होनी चाहिये। और जिसने हत्या की हो वह भी अपराधी हो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। कानपुर एक व्यवसायिक व मजदूरों का शहर है। जिस तरह से वहां पर साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न हो गई है, वह एक कलंक की बात है। बनारस में जो घटना हुई है, उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से 4 तारीख को उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया, उसके प्रतिक्रियास्वरूप वहां पर 3 हत्यायें हुई परन्तु किसी भी मंत्री ने उसकी न्यायिक जांच की मांग नहीं की। न बनारस के माननीय मंत्री ने और न ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने। लेकिन मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने तत्काल न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। पूरे प्रदेश में लगा कि तत्काल निर्णय ले लिया इससे निष्पक्ष जांच और हो नहीं सकती। लेकिन न्यायिक जांच की आवश्यकता क्या थी? जब दूध का दूध और पानी का पानी जानने की बात होती या संदेह की परिस्थितियां होती तो हम न्यायिक जांच की मांग करते। जो बयान मंत्री जी का आया वह सर्वविदित है। हम कहते हैं न्यायिक जांच की बात छोड़ दें, सदन की समिति की बात छोड़ दें, विरोधी दल के सदस्यों की समिति की बात छोड़ दें, वे अपने ही दल के सदस्यों की समिति बनाकर बनारस भेज दें तो मालूम हो जायेगा, मंत्री जी का बयान दोषी साबित हो जायेगा जिसके विरोध में तीन लोगों की हत्या हो गई तो हम न्यायिक जांच की बात वापस ले लेंगे।

आज पूरे प्रदेश में जिस तरह का वातावरण है मैंने उनसे स्वयं कहा था सदन में भी कह रहा हूं उसमें स्वीकारोक्ति की आवश्यकता है मंत्री जी को बचाने के लिये न्यायिक जांच हो गई। किसी को बचाने की बात इसमें है। आज जो औचित्य का प्रश्न लाया गया है, जिस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के सलाह के लिये सलाहकार नियुक्त करने की बात है और 162 (2) में

मंत्रि-परिषद् जिस तरह से इस विधान सभा के लिये उत्तरदाई होती है उसमें मंत्री जी के वक्तव्य के बाद जो घटना हुई उसमें प्रागदर्शन में सर्वविदित हो गया कि मंत्री जी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया । पक्षपातपूर्ण वक्तव्य से किसी जाति विशेष के खिलाफ बयान देकर यह घटना घटी तो इसमें न्यायिक जांच के बजाय यह कहना चाहिये कि हमारे मंत्रि-परिषद् के मंत्री ने जो संविधान की शपथ ली है, उसमें उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है उन्हें मंत्रि-परिषद् में नहीं रहना चाहिये मैं उनका इस्तीफा स्वीकार करूंगा या इस्तीफे के लिये कहूंगा । पूरा मंत्रिमण्डल या मंत्री चाहे किसी दल का हो अगर इस तरह से अपने कर्तव्य से विमुख होता है उसे मंत्रिमण्डल में बने रहने का औचित्य नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री या उनके दल या उनके सहयोगी दल बसपा की जो बात है उसमें वह अपने दल सपा की जहां तक बात उनको वह नियंत्रित कर रहे हैं उनके विधायक संयम से बयान देते हैं वह प्रयास करते हैं कि उनकी सरकार की छवि धूमिल न होने पाये लेकिन बसपा का जो गठबन्धन है सरकार के बाद जैसे ही हम यहां इकट्ठा हुए सबसे पहली घटना इस सचिवालय के कर्मचारी के साथ जो बात हुई । बसपा के विधायक ने कानपुर के अधिकारी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसके बाद हमीरपुर के जिलाधिकारी के साथ घटना घटी उसमें वहां के जिला अधिकारी को हटाया गया वहां महिला के बलात्कार का आरोप लगाया गया, उसके बाद बनारस में आरोप लगाया गया । इस बात को जनता दल के नेता कांग्रेस विधान मण्डल के नेता कह रहे है किसी भी जिले में देख लें बसपा संगठन के अधिकारी या मंत्रीगण जो हैं उनका रोज बयान छपता है । उनके शासन में होने के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है उसके लिये कौन जिम्मेदार हैं यह बात क्यों माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों वह विवश हैं कि उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं? जो शासन कर रहे हैं उनके लोग ही शोषण के शिकार हो रहे हैं, उत्पीड़ित हो रहे हैं, उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है । तो इसके लिये शासक दल का ही कर्तव्य बनता है, उन्हीं का उत्तरदायित्व है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे ।

जब यह सरकार बनी माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा था यह पहली बार गरीबों की सरकार है । तो ऐसा लगे कि जो गरीबों की सरकार है दलितों की सरकार है, कुचले हुए लोगों की सरकार है । लोगों को ऐसा लगे कि यह सरकार दबे, कुचले हुए पिछड़े हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करती है । मैं कहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें पिछले दो महीनों के अन्दर जो घटनायें हुई चाहे वह बनारस की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, चाहे हमीरपुर की घटना, चाहे बलात्कार की घटना हो उसमें कौन लोग शिकार हुए हैं ? यह सरकार गरीबों के हितों की रक्षक सरकार है, यह सरकार शोषित और पिछड़े लोगों की सरकार है उसके लिये

यह संवेधान की शपथ लेकर आई है उसमें अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है तो वह सर्वहारा लोगों का, गरीबों का और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। मान्यवर, बस्ती जिले का मैं जिक्र करना चाहता हूं। वहां भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई हैं। वहां एक हिन्दू बहिन के साथ बलात्कार की घटना हुई है और जिसे अल्पसंख्यक के लोगों ने किया। इसमें अपराधी के घर की कुकी की गई और उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब उस हिन्दू बहिन के साथ यह बलात्कार की घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माइक लगाकर इस घटना को बताया और प्रदर्शन किया। यदि मुख्य मंत्री इसकी जांच करा दें तो साबित होगा कि सरकार से इनके हटने के बाद आज तक किस तरह से बी0जे0पी0 के लोग जिलों में दंगा कराना चाहते हैं? इसी तरह वहां एक मुस्लिम लड़की के साथ हरिजन भाई ने बलात्कार किया लेकिन उसके संबंध में बी0जे0पी0 का एक भी वक्तव्य नहीं आया। मान्यवर, मैं आरोपित नहीं करना चाहता हूं लेकिन हमने साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसको रोकने के लिये प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी थी उसके परिणामस्वरूप ही आज यह सरकार बैठी है। यदि साम्प्रदायिकता का वातावरण न बढ़ता तो आज यह सरकार न आयी होती और आप विरोध पक्ष में न होते। लेकिन आपने समझा था कि साम्प्रदायिकता ही सबसे बड़ा हथियार है और जिस तरह उसे आपने इस्तेमाल किया उसके परिणामस्वरूप आप वहां विपक्ष में बैठे हैं। इसलिये आप अपनी पराजय के कारणों की जांच नहीं करवा रहे हैं।

मान्यवर, श्री ऊदल जी ने ठीक कहा है कि बी0जे0पी0 तो पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिकता के आधार पर जिस तरह अयोध्या में घटना कराकर यहां उ0 प्र0 में सत्ता में बैठी थी उसी प्रकार उसने दिल्ली में बैठने का हौसला बनाया था और पूरे देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ और मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकारें चली गईं और देश में शासन करने का सपना देखने वाले सिमट कर रह गये हैं।

मान्यवर, हमने मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव जी का बयान पढ़ा है और उन्होंने स्वीकार किया है कि दो महीनों में घटनायें हुई हैं, लेकिन उन्होंने उनको साम्प्रदायिकता का रूप देने का काम किसने किया है, यह सबको पता है? जिस तरह यह गम्भीर घटनायें हो रही हैं वह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, आज वोट की राजनीति की जा रही है और गावों में लोगों के दिलों में मतभेद पैदा किये जा रहे हैं। मान्यवर, आज से 100 साल पहले मन्दिरों के पाट शहनाई से खुलते थे लेकिन आज ऐसा नहीं है और आज पिछड़े लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है।

(व्यवधान)

आप जरा धैर्य से सुनिये । इन परिस्थितियों में जो चीजें हो रही हैं, उस पर हम नहीं सोचेंगे, जिम्मेदार लोग नहीं सोचेंगे तो आखिर फिर कौन सोचेगा ? हमको उस पर कठोर कार्यवाही करनी होगी । इसीलिये इसकी ग्राह्यता पर इतना मैंने कहा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी देर से मैंने नियम 31। पर प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर वर्तमान सरकार के विभिन्न सहयोगी दलों के मित्रों की बातों को सुना । यह सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव हैं, लेकिन मेरी भी अपनी जानकारी यह है कि उनकी भी दिली मंशा यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी भी अपराधी को अपराध करने की छूट दी जाये । यह हमारे पुराने मित्र हैं, हम उनके बारे में जानते हैं । लेकिन उनके सहयोगी दल हर प्रकरण पर... (व्यवधान) क्योंकि हम जानते हैं कि जितने दिन रहो वफादार बनकर रहो । प्रमोद तिवारी जी मैं बहुत दिन पक्ष और विपक्ष में यहां रहा हूं और मैंने भी आपको हर हालत में आपको सदैव से देखा है । जब आप सरकार में थे तब भी आपको देखा है और आज भी देख रहा हूं । हम प्रतिपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष में होने की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार की खामियों को उजागर करे...(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनसे आप ग्राह्यता पर बोलने के लिये कहिये ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

प्रमोद जी जब मैं बोलता हूं आप तिलमिलाने लगते हैं, आप तिलमिलाइये नहीं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिये । दिल-दिमाग लगाकर मेरी बातों को सुनिये । आप पर तो सोते जागते, चौबीसों घंटे भाजपा का भूत सवार है । यहां भाजपा की सरकार रही और उसके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, क्या भाजपा भूत हो गई है ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधि होने के नाते सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये भाजपा को केवल गाली देने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है ।

(घोर-व्यवधान)

आज चाहे प्रदेश में बनारस हो, चाहे बस्ती की घटना हो या और कोई घटना हो, उस पर राजनीतिक विद्वेष की भावना से मैं कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं मैंने तो प्रतिपक्ष के मुलायम सिंह यादव को भी सुना है। लेकिन कुछ लोग किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। डा0 लोहिया की विरासत इस सरकार के नेताओं को ही नहीं मिली है।

मुझे भी सौभाग्य मिला है। मैं भी उसी धरती पर पैदा हुआ हूं जहां हमारे राम सेवक यादव जैसे व्यक्ति हुए हैं। मुझे उनके साथ राजनीति करने का अवसर मिला है। डा0 राम मनोहर लोहिया जैसे थे उन्होंने कभी कुर्सी के लिये कांग्रेस की चापलूसी नहीं की। सिद्धान्तों को मानने वाले रहे हैं। क्षमा कीजियेगा जो मैं कह रहा हूं। हमारे उनके बीच सिद्धान्तों का झगड़ा है। समाज को भड़काने वाले आपके लोग हैं। आपके मंत्री हैं। आप लोग ऐसे नारे दे रहे हैं। हम आज इधर हैं, तो कल उधर होंगे और आप इधर होंगे। समाज में आपका बड़ा भद्दा नारा है। अगर मैं कह दूं तो आप लोग तिलमिला उठेंगे। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं। मान्यवर, बाराबंकी जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। मुलायम सिंह यादव मंत्रिमण्डल के बेनी प्रसाद वर्मा जी इसी क्षेत्र के हैं। बाराबंकी जिले में कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी नहीं बिगाड़ रही है। बसपा के लोग ही वहां पर कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं और विरोधी दल में होने के कारण भाजपा के लोगों का उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रदेश की सरकार बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, अभी प्रमोद तिवारी जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बतलाया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं, मेरी बात सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, राम लखन वर्मा जी खड़े हुए थे । बसपा के नेता हैं, आपने उनको अनुमति नहीं दी ।

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)-

अभी हमारे नेता जी बोलेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अखिलेश-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

मुझे सुन लीजिये । आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य धारण करें मैं ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों की बात यहां लाने के लिये समय दूंगा, लेकिन यह तो देखें कि कांग्रेस के तीन लोगों को समय दे दिया, जनता दल के तीन लोगों को समय दे दिया और लोगों को समय देने के लिये कह दिया है । (व्यवधान)

अब कोई बात नहीं सुनी जायेगी । अब शिव प्रताप शुक्ल जी बोलेंगे ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है समाज में ऐसी धारणा फैली हुई है । मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपके विभाग द्वारा जो आचरण किये जा रहे हैं उन पर इनको अंकुश लगाना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

देवरिया में पोलिंग बूथ पर कब्जे किये जाते हैं । पुलिस भाग जाती है । गोरखपुर में सामुदायिक विकास खण्ड को जबर्दस्ती बसपा का कार्यालय बनाया जाता है । उसके बाद जिलाधिकारी बयान देते हैं कि कोई ऐलाटमेंट नहीं किया गया है । बसपा कार्यालय के नाम पर सामुदायिक विकास खण्ड पर कब्जा करा लिया गया ।

(व्यवधान)

जातीय संघर्ष की स्थिति आपने बना रखी है । जहां-जहां संघर्ष हो रहे हैं वहां सब सपा-बसपा द्वारा कराये जा रहे हैं । उनके समर्थकों द्वारा कराये जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

यह लोग बार-बार खड़े हो जाते हैं क्योंकि यह समर्थन दे रहे हैं । जो भी बात यह कह रहे हैं वह निश्चित रूप से भाजपा के बारे में बात कह रहे हैं और कुछ बात

नहीं है इनके पास । प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सही होना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार अपने संगठन के पदाधिकारियों के व्यवहार पर अंकुश लगाये । उस पर सत्ता का भूत सवार नहीं होता है तो यह प्रदेश को बचा लेंगे ।

(व्यवधान)

*श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं ग्राह्यता के प्रश्न पर बोलते हुए खासतौर से कहना चाहूंगा कि नेता विरोधी दल ने जो बात कही है, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ है । और मुझे आपत्ति भी है । जो राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति सरकार का समर्थन कर रहे हैं । उनको उन्होंने पिछलग्गू कहा है । मैं विनम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि पिछलग्गू हम हैं अथवा नहीं लेकिन प्रदेश की जनता अब आपके चक्कर में पड़ने वाली नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जिस वर्ग के लिये जो कुछ बातें कही हैं उन पर गम्भीरता पूर्वक काम कर रहे हैं । और आगे भी काम करेंगे ।यह उनका इतिहास रहा है इसलिये जनता उनके साथ है और आप भी ऐसा करते तो जनता आपके साथ होती और आप यहां से उठकर वहां नहीं चले जाते । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रमोद तिवारी जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रदेश साम्प्रदायेकता की आग में झुलस रहा था और अभी भी झुलस रहा है । केवल राष्ट्रपति शासन के लागू होने पर साम्प्रदायेक दंगों में कमी आई थी तो क्या इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन ही लागू होना चाहिये ? शायद श्री प्रमोद तिवारी की यह मंशा न रही हो ।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान का जिस तरह से मखौल उड़ाया था संविधान के साथ जिस तरह का विश्वासघात किया था और केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से 28 नवम्बर से लेकर 6 दिसम्बर तक अपराधिक चुप्पी साधी थी उसी के परिणामस्वरूप प्रदेश की जनता को एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन झेलना पड़ा और प्रदेश के सारे विकास कार्य रुक गये लोकप्रिय और जनकल्याणकारी सरकार न होने से मान्यवर, यह बात आई है कि पूरा प्रदेश साम्प्रदायेक दंगों की चोट में है, निश्चित तौर पर यह बात दुखद है, असहनीय है । इस प्रदेश में जब पिछड़े हुए लोगों की सत्ता में हिस्सेदारी करने का मौका मिला, उनकी सरकार बनी तो यह दंगे हो रहे हैं । उस वर्ग के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है यह निश्चित तौर पर चिन्ता का विषय है । इसके लिये पुरी तस्वीर न देखना मैं समझता हूं कि पूरा न्याय नहीं है । इसके लिये वह सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है जो हमारे देश में चल रही है । सरकार चाहे श्री कल्याण सिंह की हो या माननीय मुलायम सिंह यादव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । इसके लिये हम सब लोगों को मिल कर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस अथवा जनता दल हो, दलीय हित से ऊपर उठकर विचार करना होगा । ताकि समाज में जो साम्प्रदायिक तत्व व जातीय तत्व सिर उठा रहे हैं उसका मुकाबला कर सकें । इसके लिये जिम्मेदार लोगों को आगे आना होगा।

मैं चुनौती देना चाहता हूं हाउस में, यदि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से काम करें तो प्रदेश का विकास होगा और साम्प्रदायिक घटनायें नहीं होंगी। उत्तराखण्ड का जहां तक सवाल है मैं कहना चाहूंगा कि 6 दिसम्बर, को जो वीभत्स काण्ड हुआ उसकी कोई प्रतिक्रिया वहां पर नहीं हुई और उत्तराखण्ड में साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहा और कोई साम्प्रदायिक दंगा वहां पर नहीं हुआ।

आपको उत्तराखण्ड से सबक लेना चाहिये । वहां पर शोषण नहीं है, वहां पर साम्प्रदायिक विद्वेष नहीं है और सभी लोग समाज में अच्छी तरह से रहते हैं । जो समाज को वहां पर बिगाड़ना चाहेगा उसको हम वहां पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं देंगे । मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वह अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी के साथ काम करें, समाज को अच्छा बनाने का काम करें, साम्प्रदायिकता को रोकने का काम करें, जातीयता को रोकने का काम करें तो मैं समझता हूं कि यह बातें सामने नहीं आयेंगी और प्रदेश आगे बढ़ेगा । अभी 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कानपुर में एक प्रेस कान्फ्रेन्स की, मैंने उनका बयान समाचार पत्रों में पढ़ा है । उनका कहना है कि माननीय मुलायम सिंह यादव बहुत साहसी हैं, डिसीजन लेने में सख्त हैं लेकिन मुस्लिम कट्टरवादी के पक्षधर हैं । मैं इस पर कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने धर्म का राजनीति में दखल नहीं आने दिया है इसलिये उन पर मुस्लिम कट्टरवाद का आरोप लगाना नैतिकता नहीं है । उनके बारे में कहना चाहिये कि वह साहसी हैं, निर्भीक हैं, कुशल प्रशासक हैं, हमें राजनीतिक विद्वेष को छोड़कर काम करना होगा। जो दबे हैं, पिछड़े हैं, गरीब लोग हैं, उनके उत्थान का काम करना होगा तभी प्रदेश आगे बढ़ सकेगा।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश विधान सभा में चुनकर आने के पश्चात् जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस की घटना का समाचार पत्रों में उल्लेख हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से विधान सभा का सदस्य होने के नाते मैंने बनारस के उन क्षेत्रों का दौरा किया और उन क्षेत्रों का दौरा करने के पश्चात् मैंने पाया कि जिन गांवों में यह घटना घटेत हुई वह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कर्मनाशा नदी के किनारे पर स्थित हैं । अभी सदन के अन्दर माननीय सदस्यों द्वारा की गयी चर्चा को सुनकर ऐसा लगा कि माननीय सदस्यों ने घटना की वस्तुस्थिति

जानने की कोशिश नहीं की है और बिना वस्तु स्थिति जाने अपनी बात को यहां रखने का कार्य किया है । इस क्षेत्र से स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी जो नेता सदन के आसन पर भी विराजमान रहे हैं पहले प्रतिनिधित्व करते थे । उसके बाद चन्द्रशेखर सिंह और अन्य प्रबुद्ध गण ने उस विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है । कर्मनाशा नदी के किनारे जो गांव हैं वह आज भी पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं । आज पक्की सड़कों की बात तो दूर वह गांव मिट्टी की सड़कों से भी नहीं जुड़ पाये हैं । जिस पृष्ठभूमि की तरफ अभी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया और कहा कि वहां पर जातिगत संघर्ष हुआ वह सही नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को आज से लगभग 3 वर्ष से घटित घटनाओं के पहले की पृष्ठभूमि में जाना चाहिए । ग्राम भतखरी के निवासी शमशेर सिंह के भतीजे का अपहरण हुआ था । नेता प्रतिपक्ष उस समय नेता सदन हुआ करते थे । इस घटना की जांच कराने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया । और आज तक उसका पता नहीं चला । उन्होंने अपने स्तर से जांच कराने का प्रयास भी नहीं किया माननीय प्रमोद तिवारी ने राष्ट्रपति शासनकाल का वर्णन किया ।

मैं कहना चाहता हूं कि जून 93 में श्री के0 पी0 सिंह के भतीजे का अपहरण हुआ और उसकी हत्या कर दी गयी । हत्यारों ने उनकी आंखें निकाल लीं । उपरोक्त घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उसी क्षेत्र के गाजीपुर जनपद के जमनियां थानान्तर्गत नरसिंहपुर ग्राम में 3 ठाकुरों की जाति पूछकर लगभग 8 महीने पूर्व हत्या कर दी गयी और उक्त घटना के घटित होने के पश्चात् नेता विरोधीदल तथा अन्य नेताओं को उक्त घटना-स्थल का दौरा करने या उन पीड़ित परिवारों के दुख दर्द उजागर करने की आवश्यकता महसूस हुई ।

मैं उन गांवों में भी गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का वह सीमावर्ती इलाका आज से नहीं, लगभग 3 वर्षों पूर्व से अपराधियों के आतंक से कराह रहा है । बिहार सीमा के अन्तर्गत केसरी नामक गांव में जो बिहार के दुर्गावती थाने के अन्तर्गत आता है, आज से दो वर्ष पूर्व 9 ठाकुरों की सामूहिक हत्या हो चुकी है । माननीय सदस्यगण ने यदि इन बिन्दुओं की तरफ ध्यान दिया होता, तो यह स्पष्ट हो जाता कि ये घटनाएं जातीय संघर्ष न होकर सीधे रूप से अपराधिक घटनाएं हैं । ये सभी घटनाएं लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में पिछले तीन वर्षों से घटित हो रही हैं । अपराधिक घटनाओं की रोक-थाम तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए मैंने दूरभाष से माननीय मुख्य मंत्री से बात किया और माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त क्षेत्र में घटित हो रही अपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश बनारस के स्थानीय प्रशासन को दिया ।

माननीय मुख्य मत्री ने उक्त घटना की न्यायिक जाच बैठाकर यह साबित कर दिया है कि जो भी घटना के दोषी व्यक्ति होगे, वे बेनकाब होगे । मै राम औतार पासवान की हत्या की तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राम औतार पासवान की हत्या की साजिश में देश के बड़े पूंजीपतियों तथा प्रदेश के शीरा उद्योग को प्रभावित करने वाली ताकतों का हाथ है । मान्यवर, मुझे याद है कि इसी सदन में विपक्ष में बैठकर माननीय सदस्य गाजीपुर के मामले पर जब हमने नेता प्रतिपक्ष जो उस समय नेता सदन थे, उनसे घटना की न्यायिक जांच की मांग की थी, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि तत्कालीन विद्वान अध्यक्ष माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने घटना की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिये थे । इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग बनारस में घटित घटनाओं को जातीय संघर्ष का रूप देना चाहते हैं, वे लोग निर्दोषों की मौत पर घिनौना राजनीति का खेल खेल रहे हैं । ऐसे कुत्सित प्रयास निन्दनीय हैं । यदि आपके अन्दर साहस है और यह भावना है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, तो खुले मन से इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए विचार-विमर्श करके ऐसा रास्ता निकालें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, एक गम्भीर विषय के बारे में इस समय ग्राह्यता पर अनेक सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे है । मुझे दुख हुआ कि ऐसे गम्भीर विषय पर भी अपने विचार रखते समय कुछ माननीय सदस्यों ने चीजों को सच्चाई की ओर से मोड़कर और आज जो प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी ओर से सरकार को इगित करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की ओर इगित करने का प्रयास किया है। मान्यवर, 77 दिन आज इस सरकार को बने हुए हो गये हैं और इस 77 दिन मे यह प्रदेश और उसकी जनता अत्याचारों से, अपराधों से त्रस्त होकर कराह रही है । अपराधों की बाढ़ से प्रदेश का कोई जिला, कोई शहर, कोई गांव, ऐसा नही है, जहां प्रति दिन गम्भीर अपराध न हो रहे हों । अभी हमारे कांग्रेस के माननीय मित्रो ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने, माननीय पाल जी ने अपनी बात कही, उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा कि आखिर वह क्या कहना चाहते हैं । वे 1994 की आज की घटनाओं को न कहकर पिछले साल की पुरानी घटनाओं को कह रहे हैं । उन्होंने कहा कि 1992 की तुलना में राष्ट्रपति शासन में अपराध कम हुए हैं ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

और 1992 में । लाख 94 हजार, राष्ट्रपति शासन में अपराध कम होकर । लाख 86 हजार रह गये, 8 हजार कम होकर मानो कि प्रदेश में कोई बड़ा भारी काम

हुआ । वह 31। में मामला लाये हैं आज जो प्रदेश में वर्तमान अपराधों का और अत्याचारों की हालत है वह क्या है ? इस प्रदेश में और इस देश में 1994 के इस वर्ष में दो कीर्तिमान कायम हो रहे हैं, एक कीर्तिमान कायम हुआ है बहुत अच्छी दिशा में । इस देश के एक सपूत कपिल देव ने 432 वां विकेट लेकर दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है और दूसरा कीर्तिमान प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार बना रही है, जिसके 77 दिन के शासनकाल में अपराधों की संख्या उस सीमा तक पहुंच रही है कि जल्दी ही पूरे वर्ष के अपराधों की संख्या तीन महीने में ही पूरा करके यह सरकार एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है ।

आज प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है, जो अपराधों से ग्रस्त न हो । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ देखें, वहां खाते पीते सम्पन्न लोग हैं, आज चोरी डकैती, लूट, हत्या और अपहरण से सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश त्रस्त हो रहा है, थर्रा रहा है वहां चारो तरफ अपराधों की बाढ़ हो गयी है । पूर्व की तरफ देखें तो वहां भी स्थिति ऐसी ही होती जा रही है, मध्य की तरफ देखें तो दोनों ही क्षेत्रों में जो वहां दलित हैं, हरिजन हैं, निर्बल हैं उन पर अत्याचार, बलात्कार, अनाचार का नंगा नाच हो रहा है । हमीरपुर में बलात्कार की शर्मनाक घटना घटित हुई, इलाहाबाद में एक महिला को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया गया उस दिन सरकार का सिर शर्म से झुका हो या नहीं परन्तु सारी मानवता का सिर शर्म से झुक गया । चाहे बनारस का मामला हो, जहां पर इस सरकार में शपथ लेकर बैठे हुए मंत्री हिंसा के लिये लोगों को भड़का रहे हैं और चाहे नृशंस हत्या की कानपुर की घटना हो ।

कानपुर की घटना से हम सभी दुखी हैं । भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सभासद मुन्ना सोनकर जिनको लोग काला बच्चा के नाम से ज्यादा जानते थे, उनकी निर्मम हत्या हो गयी । एक गहरी साजिश के तहत योजनापूर्वक उनकी हत्या की गयी, बमों से मार-मार कर उनकी हत्या की गयी परन्तु सरकार के द्वारा काला बच्चा को अपराधी बताकर घटना की गम्भीरता को कम किया जा रहा है । आज सड़क से लेकर सदन के अन्दर बैठे हुए लोगों तक को अपने अन्दर झांककर देखना होगा कि कितने लोग अपराधी है और उनके साथ क्या व्यवहार हो ? उधर के साथी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल क्या हुआ था ? और आज जो हो रहा है वह कम हो रहा है । सच्चाई पर पर्दा डालकर आप प्रदेश की हालत की हकीकत समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह गलती होगी । आज जो लोग उधर वहां पर बैठे हैं इस बात को समझ लीजिये कि जनता की आवाज चारो तरफ सुनाई पड़ रही है, आज प्रदेश की शासन व्यवस्था और कानून

व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से तेजी से बिगड़ी है आज उसमें लोग अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं । शाम को 7 बजे के बाद अनेकों जिलों में एक अघोषित कर्फ्यू की स्थिति बन जाती है लोग डर की वजह से घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं । अपहरण और कत्लों की एक बाढ़ सी आ गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

आज 31। में जो यह बात रखी गयी है, आपने उसमें घूमा फिरा कर असलियत से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है । मैं सराहना करूंगा माननीय किरन पाल सिंह जी कि जिन्होंने अपने विचारों में सरकार को इंगित किया कि वस्तु स्थिति क्या है ? माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनका ध्यान दिलाने की कोशिश उन्होंने की है कि उनकी सरकार में बैठे लोगों के द्वारा या इनके लोगों के द्वारा जो काम हो रहे हैं वह नहीं रोके गये तो प्रदेश की जनता न तो इस सरकार को माफ करेगी और न इस सरकार के बैठे हुए लोगों को माफ करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री राकेश सचान-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े ही गम्भीर विषय पर यहां चर्चा हो रही है । हम से पूर्व तमाम माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर तमाम बाते कहीं । मान्यवर, चाहे कानपुर हो, बनारस हो बदायूं हो या फतेहपुर हो, चाहे हमीरपुर हो, सब जगह पर बड़े ही सुनियोजित ढंग से एक तय करके, प्लान करके, आज पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा कराया जा रहा है । मान्यवर, कानपुर में जिस पूर्व सभासद की हत्या हुई, इसके पीछे जब 6 दिसम्बर को विवादित ढांचा ढहाया गया था तब कानपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में दंगा कराने का प्रयास किया गया था। लेकिन कानपुर में 9 तारीख तक कोई दंगा नहीं हुआ, सारे शहर में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दंगा रोकने का प्रयास किया गया । 9 तारीख को बाबूपुरवा क्षेत्र में जो दंगे घटनायें हुई, वो पूर्व सभासद काला बच्चा की साजिस से हुईं, इस पूरे क्षेत्र में मुस्लिम और सोनकर समुदाय की आबादी है, एक सुनियोजित तरीके से उस क्षेत्र में आग लगाने का 9 तारीख को किया गया और एक साथ ।। लोगों के घर जलाये गये और पूरे कानपुर में 9 तारीख के बाद से इतने ज्यादा दंगे हुए कि यह पूरे कानपुर में फैल गये । इसके बाद हमारे जनता दल के एक सभासद अमीन बाबा और

उसी क्षेत्र के सभासद काला बच्चा थे । अभी हमारे कांग्रेस के लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे अपने राष्ट्रपति के शासन काल की, जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो एक जांच कमेटी बनी थी दिसम्बर की घटनाओं के सम्बन्ध में और उस जांच समिति ने स्पष्ट रूप से एक नाम दिया था काला बच्चा का और उसे अपराधी घोषित किया था 9 तारीख को चार बजे थाने में एक बैठक बुलायी गयी, उसमें जनता दल के समर्थित सभासद, जो अमन चैन एवं भाई चारे का वातावरण पैदा करने की कोशिश में लगे हुए थे उनको रा0सु0का0 के तहत आठ महीने के लिए बन्दी बना दिया गया । तब कानपुर में तमाम लोगों ने इसका विरोध किया, तमाम धरना दिया, जन आन्दोलन किया और जगह-जगह अधिकारियों से यह मांग की गयी कि काला बच्चा को गिरफ्तार किया जाये लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया । जब लोगों को कहीं से न्याय नहीं मिला और उन लोगों पर अत्याचार हुआ तो उन लोगों ने एक रंजिश के तहत उसकी हत्या की जो कि एक अपराधी था और लोग उससे परेशान थे । भारतीय जनता पार्टी ने उसे राजनीति में लाकर राजनीति का लाइसेंस देने का काम किया था और यही नहीं हत्या हो जाने के बाद उसकी लाश को लेकर राजनीति का खेल खेलने लगे और इसी को लेकर कानपुर में दंगा कराने का प्रयास हुआ । मान्यवर, कानपुर की भौगोलिक स्थिति यह है कि जहां पर मुस्लिम आबादी है वही पर सोनकर का भी उतनी आबादी है और कभी भी वहां पर दंगा नहीं हुआ था ।

लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयासो के तहत पूरे शहर में कार्यकर्ताओ की बैठक करके, टेलीफोन करके दंगा कराने का प्रयास किया गया । पूरे कानपुर में दंगा फैलाया है, अमन चैन नष्ट किया गया है । आज पूरे प्रदेश के अन्दर गांव-गांव में सामन्तवादी ताकतो को पता चल गया है कि प्रदेश में गरीबों और दलितों की सरकार है । जो सदियों से दबे-कुचले लोग हैं, उनको प्रताड़ित करके, आपस में झगड़ा करा करके, एक दूसरे की हत्या करवा के, बलात्कार करवा के यह अमन चैन नष्ट करने का काम कर रहे हैं । आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में नहीं है, इसका इन्हें अफसोस है और यह चाहते हैं कि पूरा प्रदेश जले, पूरे प्रदेश का अमन-चैन चला जाय । भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत कानपुर में जो दंगा फैलाना चाहते थे, उसको वहां की 40 लाख जनता ने आपस में भाईचारा कायम करके नहीं होने दिया । हम लोगों की एक कमेटी बनी थी और पूरे क्षेत्र का दौरा भी किया । एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि कर्फ्यू के दौरान ऐसे लोगों को भी प्रताड़ित किया गया जिन्होंने अन्यथा नहीं किया था, उनके ऊपर फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं । मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को भी आपके द्वारा निर्देश देकर राहत मिलनी चाहिये । इन्हीं शब्दो के साथ मै अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री मित्रसेन यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, 14 करोड़ जनता को रिप्रेजन्ट करने वाला यह सदन है। अगर प्रदेश में कोई गंभीर परिवर्तन होता है, कोई दुखद घटना होती है, उसकी अभिव्यक्ति होना यहां जरूरी है। श्रीमन् लोग यहां पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज जो घटनायें हो रही हैं, इससे भी कहीं ज्यादा पहले होती थी, लेकिन तब न तो अखबार वाले इतना प्रचार करते थे और न दूसरे लोग करते थे। मान्यवर, चाहे काला बच्चा की हत्या हो, चाहे पासवान की हत्या हो, बाबूराम की गाड़ी चला दी जाय, मै इसका समर्थक नही हू, यह किन लोगों ने किया है, माननीय नेता विरोधी दल बैठे हैं, जानते होंगे। बाबूराम जी सरकार में हैं और उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, यदि इनके साथ अगरक्षक न होता और इन्हे शरण न मिल गई होती तो इनको मारा भी जा सकता था, इस तरह के कृत्य के माननीय नेता विरोधी दल भी समर्थक नहीं होंगे।

श्रीमन् हमारे कांग्रेस के लोग भाई मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को समर्थन देकर अपने काले धब्बों को धोना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश में और प्रदेश में बहुत दिन आपकी हुकूमत रही है और आप लोगों के ही द्वारा भिंडरवाले, लिट्टे, उल्फा को पैदा करने का काम किया गया है। बी0जे0पी0 ने तो केवल प्रदेश में किया है, आप लोगों ने तो पूरे देश में किया है। आप लोगों द्वारा भिंडरवाले को पैदा करके न जाने कितनी महान बिभूतियों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ। चाहे राम जन्मभूमि का मामला रहा हो, चाहे अन्य कहीं का हो, सब आपकी ही देन है। श्रीमन् हमारे प्रदेश की जनता की यह आकांक्षा थी कि हम गरीबों की सरकार बने और अखबार वाले भी शायद पता नहीं लगा पाये थे कि मुलायम सिंह यादव के समर्थक लोग इतनी बड़ी संख्या में, इस प्रदेश के अन्दर जीतकर आयेंगे लेकिन इस जनता का जनादेश जिस प्रकार का मिला उससे एक भावना यह जगी थी कि प्रदेश के अन्दर अब सत्ता के बाद कुछ व्यवस्था का भी परिवर्तन होगा। व्यवस्था के बारे में हमारे माननीय मुख्य मंत्री बराबर कहते रहे कि सत्ता पाना ही हमारा काम नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन करनी है। हमारी जनता बहुत ही गहराई से देख रही थी, पता नहीं उस व्यवस्था परिवर्तन करने में जो कदम बढ़ रहे हैं उसे कुछ सामंती लोग देखना नहीं चाहते हैं। जहां भी जातीय दंगों के नाम पर प्रचार कर रहे हैं वह सही मायने में साजिशों के तहत हो रहा है, चाहे जिस घटना को देख लीजिये कोई भी घटना आकस्मिक नहीं हुई है।

माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो कमजोर, दलित और हरिजनों को हथियार का लाइसेंस दीजिये। एक-एक गांव मे कम से कम दूसरे लोगों के पास 10-10 हथियार हैं लेकिन आपने किसी गांव में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजन को हथियार दिया है ? दूसरे लोगों के हथियार के लाइसेंस रोककर आप हरिजनो को लाइसेंस क्यो नही देते हैं ? आप हथियार दीजिये, देखिये सुरक्षा कैसे नही होती है ? आज पुलिस के लोग भी इसमें शामिल है, यह नही कि इसमे कुछ वर्ग विशेष के लोग हो। इसमे सरकारी कर्मचारी, कुछ सामन्ती प्रवृत्ति के लोग, राजनीतिज्ञ सभी मिलकर इस कार्य को रोक रहे हैं और आप उसको गहराई से नहीं देख रहे है। आप जानते है कि पूरे प्रदेश में थोड़ी सी जमीन के लिये करोड़ो हरिजन 122-बी के मुकदमें में भाग रहे हैं ? कभी आपने ध्यान दिया ? उनके मुकदमें क्यों नहीं आप खारेज कराते हैं ? उन भूमिहीन हरिजनों को सीरदार बनाने के लिये तुरन्त संशोधन क्यो नहीं करते ? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह मार खायेंगे, उत्पीड़न होगा। हमारा आपसे निवेदन है कि कुछ बोसिक कदम उठायें जिससे अपराध रुके क्योंकि अपराध इन व्यवस्थाओं के कारण हो रहा है। मुझे खुशी है कि कल आप अयोध्या गये थे। अवध विश्वविद्यालय को आप 20 लाख रुपया देकर चले आये लेकिन आपने अवध विश्वविद्यालय को नहीं देखा। वहां पर 35 आदमियों की नियुक्ति की गई है, जिस पर रोक लगी थी, सारे आरक्षण को काटकर उनकी नियुक्ति की गई। आपने तो 20 लाख रुपया दे दिया। उन 35 आदमियों के ऊपर 24 लाख रुपये का खर्च आयेगा यह बात मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं और बहुत सी चीजें हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी पूरे प्रदेश की 14 करोड़ जनता और हम लोग आपके साथ हैं। यह सब जो साजिशें हो रही हैं, आपकी सरकार को बदनाम करनें के लिये किया जा रहा हैं, चाहे मीडिया कर रही हो, चाहे सरकारी मशीनरी कर रही हो या कुछ अन्य लोग कर रहे हो चाहे राजनीतिज्ञों का हाथ हो उन सबका सफाया हो जायेगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, चाहे हम चर्चा करें या न करें। चाहे वह बनारस, इलाहाबाद या फतेहपुर की घटना हो, किसी घटना की सच्चाई छिपी नहीं है। ये सारी घटनायें साजेशों और फासिस्टवादी, सामन्तवादी और साम्प्रदायेक शक्तियों की देन है। आज जो कुछ हो रहा है उसे आप देखें और इस प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुकूल कदम उठाने की कोशिश करें।

हम लोगों का पूरा सहयोग आपकी सरकार को है लेकिन कांग्रेसी भाइयों से भी यह कहना चाहूंगा कि आपके कुछ लोग इस साजिश में हाथ बटाते हैं, वह कम साजिश नहीं कर रहे हैं। इसलिये हम और आप अपने गिरेवान में झांके, अपने पीछे देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सबको मालूम है कि क्या बात है ? इसलिये माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल आप इस सदन के सबसे बड़े जिम्मेदारी के पद पर हैं। कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, हम लोग अपेक्षा करते थे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आयेंगे, परन्तु वह नहीं आये। हम

तो चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के नेताओं को बुलाकर एक बैठक करेंगे और बतायेंगे कि किस तरह से हाउस को रिप्रेजेन्ट करना है और प्रदेश की क्या समस्यायें हैं ? परन्तु नेता सदन के बुलाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष बैठक में नहीं आये । यह आचरण कौन कर रहा है ? नेता सदन व नेता प्रतिपक्ष को सदन चलाना है और हम सहयोग करने को तैयार हैं । सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज प्रदेश में शान्ति व अमन बनाते हुए प्रदेश को विकास के पक्ष पर आगे बढ़ाया जाय । आज जो वर्तमान सरकार है यह दबे व कुचले लोगों की सरकार है । इसे देखते हुए कुछ लोगों के दिमाग में जो द्वेष की भावना है, उसे निकालकर काम करना होगा, तभी शान्ति होगी ।

श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दलितों, पिछड़ों की जो आकांक्षायें थी इस सरकार से कि उन्हें न्याय मिलेगा, आज उसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा है । आज ये अपराध कौन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को कौन रोक रहा है इस पर सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ? इस प्रदेश में जब मायावती काण्ड हुआ था तो पूरे प्रदेश में तहलका मच गया था कि एक औरत को नंगा घुमाया गया है । आज जब कई दलित महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है । आज जब कई दलित महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है परन्तु उनके लिये बोलने के लिये कोई आगे नहीं आया ।

इस समय 2 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिये । हमारे क्षेत्र में एक हरिजन बस्ती है । एक मंत्री जी वहां पर गये । राशनकार्ड बनाने की बात कही । दूसरे सम्प्रदाय के कुछ अपराधी लोग वहां गये और राशनिंग विभाग के जो लोग वहां खड़े थे, उन्हें मारा-पीटा और तोड़-फोड़ की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । हमारे यहां सरफराजगंज में 158 बीघा जमीन पर जो हरिजनों व दलितों की है, वहां पर कुछ अपराधियों ने उन्हें मारा पीटा और उनकी जमीन को धीरे-धीरे दूसरे सम्प्रदाय के लोगों ने हड़प लिया है परन्तु बी0एस0पी0 का कोई भी सदस्य वहां पर नहीं गया और शासन के पास भी इसकी कोई सूचना नहीं होगी । थानेदार को जब सूचना दी जाती है तो वह कोई कार्यवाही नहीं करता उल्टे उन्हें ही बन्द करता है और न ही पुलिस प्रशासन सुनने वाला है । दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वीकर सेक्शन के बारे में सोचा जाना चाहिये और उसकी बात को सुना भी जाना चाहिये । मान्यवर, एक विधायक कह रहे थे कि प्रदेश में 4 संदेश गये । मैं कहता हूं कि 16 तारीख को इस विधान सभा में जो कृत्य किया गया, उसी घटना से सारे प्रदेश में यह पांचवा

संदेश चला गया था कि यह सरकार आगे क्या करने जा रही है वही प्रदेश में होना प्रारम्भ हो गया है। कानपुर की घटना की बात की जाती है, काला बच्चा की बात की जाती है। उसको हथगोले से मारा गया। उनके चिथड़े उड़ गये यह गलत हुआ। इससे भी बड़ी बात यह है कि वह एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति था तथा हरिजन समाज के लिये उठ खड़ा हुआ था इसलिये उसको मारा गया। इसी प्रकार माननीय मंत्री जी के साथ जो कुछ हुआ, वह भी एक गलत बात है। काला बच्चा की लाश को उनके घरवालों के मांगने के बाद भी धोखाधड़ी से उसे जला दिया गया और हरिजन महिलाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पुलिस ने उनको घसीटा और मारा-पीटा परन्तु बी0जे0पी0 का कोई भी उनके पक्ष में बोलने के लिये नहीं गया। जो हरिजन भाजपा से जुड़ा है वह हरिजन नहीं है। आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है आगे न हो, इस बात पर सभी लोगों को विचार करना चाहिये। इस प्रकार सरकार से जनता की जो अपेक्षायें हैं, वह तभी पूरी हो पायेंगी। जब सरकार में बैठे लोग दलगत भावना से उठकर महिलाओं के अपमान पर विचार करें, कार्यवाही करें, नहीं तो भविष्य में हम केवल सदन में चर्चा ही करते रह जायेंगे।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातिवाद और सम्प्रदायवाद उभर रहा है, जिस तरह से उसे उकसा रहे हैं हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है उनका यह इतिहास रहा है। कानपुर में काला बच्चा की हत्या हुई उनके हत्यारे घूम रहे हैं लेकिन निर्दोष मुसलमान बन्द किये गये हैं। शासन काला बच्चा के हत्यारों को बचा रहा है। काला बच्चा का अपने ही लोगों से जमीन का झगड़ा था उसके साथियों ने, उसके रिस्तेदारों ने काला बच्चा की हत्या कर दी। हत्या के लिये मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़का रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

यह सदन के साथ अत्याचार हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य शान्ति रखें।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय मुख्य मंत्री जी काला बच्चा के हत्यारों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर जांच बैठायें कि काला बच्चा के रिश्तेदारों ने उसके साथियों ने उसकी हत्या कराई (व्यवधान) आज जो उत्तर प्रदेश

में हो रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार के लोग, बसपा के लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं को दबाने के लिये कांग्रेस पार्टी, सत्ता पार्टी और सभी पार्टी के लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी की धर्मान्धता को खत्म करने के लिये कार्य करना चाहिये और उसी के लिये कांग्रेस ने सत्ता पार्टी का साथ दिया है जो धर्मान्धता और जातिवाद को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है उसको खत्म करना चाहिये। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये गांधी जी सामूहिक कार्यक्रम चलाते थे। कांग्रेस पार्टी और सत्ता पार्टी सपा, बसपा और जनता पार्टी के लोगों को रैली निकालनी चाहिये। मुझे इतना ही कहना है।

श्री शिव कुमार बेरिया-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब मस्जिद गिरा दी गयी थी तो सारा प्रदेश आग में जल रहा था उससे इन्सान-इन्सान के बीच में खाई पैदा हो गई थी तो ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को नयी दिशा देने के लिये, पिछड़ों को, दलितों को, जो समाज में पिछड़े हैं उनको नेतृत्व देने के लिये माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सत्ता सौंपी। मान्यवर, उसके बाद कानपुर के अन्दर काला बच्चा की हत्या हुई, कौन नहीं जानता कि काला बच्चा का क्या इतिहास रहा है? सारा प्रदेश जानता है उसके ऊपर सी0आर0पी0सी0 की कौन सी धारा नहीं है जो उसके ऊपर न लगी हो [× × ×] से लेकर मकानों पर कब्जा करने तक की सारी घटनाओं में वह अपराधी है सी0आर0पी0सी0 की कोई ऐसी धारा नहीं जो उस पर लागू न हो। मान्यवर, हत्या किसी की हो जाये तो हमारी सरकार को यह नहीं मानना है कि हत्या जायज है। इसलिये हत्या कोई हो उसकी जांच होनी चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि काला बच्चा की हत्या से भाजपा के किसी व्यक्ति को कोई भी अफशोस नहीं है। मान्यवर, उससे कोई हमदर्दी नहीं थी और यदि होती तो मंत्री जी जब वहां से निकल रहे थे तो उनकी कार पर काला बच्चा के परिवार के लोग यदि आक्रमण करते तो मैं मानता लेकिन मंत्री जी की कार जब फूंकी गई तो वहां भाजपा पार्टी के माने जाने नेता वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मंत्री जी को पीटा गया और उनकी कार को फुंकवाया गया। मान्यवर, यही नहीं उनको तो जान से मार देने की बात थी लेकिन सौभाग्य मानेंगे कि मंत्री जी उस घटना से बाल-बाल बच गये।

नोट:-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, काला बच्चा अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मान्यवर, कोई भी नेता जो जेल में जाता है उसके बारे में और उसके ऊपर अपराधिक धारायें लगती हैं, अभी हमीरपुर की जनसभा में भाजपा के एक प्रादेशिक नेता ने प्रदेश के मुख्य मंत्री को अपराधी कह दिया अगर मुलायम सिंह यादव जी अपराधी हैं तब तिलक गोखले से लेकर डा0 लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, भगत सिंह व अफशाक उल्ला खां सभी अपराधी हैं क्योंकि जन आन्दोलनों में सभी पर अपराधिक धारायें लगी थी। यदि मुख्य मंत्री, मुलायम सिंह यादव अपराधी हैं तो कल्याण सिंह भी अपराधी की श्रेणी मे आते हैं। श्री मुलायम सिंह यादव को अपराधी कहने वाले लोगों ने महात्मा गांधी, आचार्य नरेन्द्र देव आजादी के लिये लड़ने वाले श्री भगत सिंह आदि तमाम नेताओं में कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसको आपने अपराधी की श्रेणी में न खड़ा किया हो। इसलिये काला बच्चा की हत्या की आड़ में साम्प्रदायिकता फैलाकर, दंगा कराकर सत्ता सुख भोगना चाहते हैं कानून जो तोड़ेगा उसे कानून की हिफाजत के लिये सजा दी जायगी।

*श्रीमती प्रेमलता कटियार-

अधिष्ठाता महोदय, जो यह चर्चा चल रही है जिसके संबंध में हमारे माननीय नेताओं ने विस्तृत चर्चा यहां किया है और अपनी बातें रखी हैं उसमें मैं मुख्य बिन्दु कानपुर की घटना के संबंध में कहना चाहती हूं जिसमें जानबूझकर एक साजिश के तहत इस जघन्य घटना को लगातार मोड़ दिया जा रहा है। मान्यवर, एक ऐसे व्यक्ति को अपराधी कहना जो अनुसूचित जाति का होते हुए समान्य रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते वह ऐसे सामान्य क्षेत्र से चुनकर आया था जो सामान्य जनता में अपनी पैठ बनाये था। उसका स्वभाव और चरित्र ऐसा था जिससे वह अनुसूचित जाति का होते हुए भी सामान्य सीट से जीत कर आया था। मान्यवर, उसकी हत्या के लिये दिसम्बर, 1992 के बाद से लगातार उसे इस तरह की धमकियां मिल रही थीं जिसका उसने मुझसे मिलकर कानपुर के प्रशासन को अवगत कराया था और उसकी सुरक्षा की प्रार्थना मैंने किया था। यह सच है कि मुझसे पूर्व वक्ता ने जैसा कहा था, मैं भी कहना चाहती हूं। चूंकि वह एक जनप्रतिनिधि था, अपने क्षेत्र का सभासद था, उसका एक अपराध था। वह यह कि जिस समय कानपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए सन् 92 में, उस दंगे में उसने झोपड़ियों में रहने वाले अनुसूचित वर्ग के लोगों, खटिक जाति के लोगों और दूसरे अनुसूचित जाति और दलित जाति के लोगों को पनाह दी थीं। जिन लोगों के पास छत भी नहीं थे, जिनके हर समय प्राण संकट में थे उनको उसने अपने यहां पनाह दी थी। साथ ही उसने गरीब और बेसहारा तमाम मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी पनाह देकर उनके जान माल और आबरू की रक्षा की थी।

(इस समय 2 बजकर 56 मिनट पर श्री अधिष्ठाता पुनः पीठासीन हुए)

उसने एक बेमिसाल एकता का इतिहास बनाने का काम किया था, साम्प्रदायिक सद्भाव की आदर्श मिसाल खड़ी की थी। दिसम्बर, 92 में और उसके बाद भी छपने वाले कानपुर के तमाम अखबार इसके साक्षी हैं। आज भी वहां की तमाम जनता में, गरीबों में और अनुसूचित जाति के लोगों में लोकप्रिय हैं। लोग उसकी तारीफ करते हैं और इसमें हिन्दुओं के साथ मुसलमान भी बराबर शामिल रहे हैं। उसकी एक अच्छी और जनप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता की छबि थी। मैं इस बात की पक्षधर नहीं हूं कि किसी मंत्री की कार को आग लगाई जाए, लेकिन यह आग लगाने वाले न तो उस पीड़ित परिवार के लोग थे और न किसी राजनैतिक दल के लोग थे। यह वह स्थिति थी जो उसकी लाश को लोथड़ा सामने रखकर धरना दे रहे थे, जो उसकी निर्मम हत्या से अत्यधिक दुखी थे। इस जनता ने एक बार नहीं कई बार वहां के प्रशासन से इस बात की मांग की थी कि उसकी जान को खतरा है, उसकी रक्षा की पुर्ण व्यवस्था की जाये। वहां के प्रशासन को इस जघन्य काण्ड की पूर्व जानकारी थी और थाने के द्वारा उसको इस बात की सूचना दी गई थी कि काला बच्चा की जान को खतरा है। लेकिन प्रशासन ने उसकी जान बचाने के लिये कोई कारगर प्रयास नहीं किया जिससे उसके प्राण सुरक्षित रह सकते। इन परिस्थितियों में हुई नृशंस हत्या के बाद उस लाश को देखकर हजारों-हजारों जनता को उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें अभी मानवता और संवेदना शेष बची है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। जिस समय कानपुर के विधायकों और नेताओं को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था उस समय भी वहां की जनता ने ऐसा ही उग्र प्रदर्शन किया था। जिसके घर परिवार का बेटा मरा हो, मरना न हो, मारा गया हो और इस बुरी तरह मारा गया हो कि जिसकी लाश का कोई अंग भी साबुत न बचा हो, उसके 6-6 बच्चों को बड़े जालिमाना तरीके से जिस समय गिरफ्तार करके जेल में डालने के लिये ले जाने का काम हो रहा था, उस समय भी जनता ने जो आक्रोश व्यक्त किया था, जो उग्र विरोध किया था उसके बच्चों को छुड़ाने का काम किया था, यह काम भी उसके किसी परिवार वाले या राजनैतिक दल के लोगों ने नहीं किया था, उसे दसों हजार जनता ने अपने दिल से, स्वप्रेरणा से किया था। रसूलाबाद जैसे कस्बे में हजारों की तादाद में जनता उपस्थित थी। उसने तय किया था कि इन्हें जेल नहीं जाने देंगे और उसने नहीं जाने दिया। एक बड़ी साजिश के तहत सत्ता पक्ष ने हमारी पार्टी के और जनता के उस प्रिय नेता को बदनाम करने और अपराधी ठहराने का काम किया है। उसके खिलाफ अवश्य कुछ केसेज राजनीतिक भावना से थे, जिसमें से अब केवल 4 बचे हैं, शेष या

तो स्पंज हो गये हैं या उनमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। उसके खिलाफ यदि मुकदमें थे और मुकदमों की सूची थी, तो उसको पुलिस एन्काउन्टर में मार डालना चाहिये था, लेकिन उसकी हत्या जो इस तरह से हुई है, इसकी जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है। शासन और पुलिस प्रशासन इस जघन्य हत्या की जिम्मेदारी से कभी बच नहीं सकता है। मेरा कहना है कि उसके बच्चों के लिये दुधमुंहे बच्चे के लिये मुआबजे की समुचित व्यवस्था की जाए।

(व्यवधान)

(श्रीमती कटियार के साथ अनेक सदस्य साथ-साथ बोलते रहे)

उसकी लाश उसके परिवार वालो को नहीं दी गई, आश्वासन के बावजूद वह उन्हें नहीं सौंपी गई और रात्रि के अंधेरे में सूर्यास्त के बाद गुपचुप तरीके से उसका अन्तिम संस्कार कर दिया गया। यह रात्रि का दाह संस्कार हिन्दू धर्म के रीति-रिवाजों के बिल्कुल विपरीत है। ऐसा करके उसके परिवार और सम्पूर्ण हिन्दुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने का भी इस सरकार ने कार्य किया है। मार-मार कर, पीट-पीट कर, लाठी डंडे चलाकर उसकी मां से लाश छीन ली गई और रातों रात उसकी लाश का दाह संस्कार करने का प्रयास किया गया। वह अपराधी हो सकता है तो यहां पर बैठे हुए हर दल के नेता के साथ भी इस तरह की स्थितियां रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब यही बचा है कि आप सहृदयता का परिचय देकर उसके परिवार के पालन-पोषण के लिये मुआबजा आदि देने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)-

|| × × × × ||

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जायं। मेरी बात सुन लें। आप जो कुछ कह रहे है वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राम दास पाल-

|| × × × × ||

नोट:-||×××|| यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप लोग बैठ जायं, मैं सबकी बात सुनूंगा । अगर आप लोग शान्ति कायम नहीं रखेंगे तो सदन की कार्यवाही इस तरह नहीं चल पायेगी । आपकी बात यहां सुनाई नहीं दे रही है । कार्यवाही में नहीं लिखेगी तो क्या फायदा ? इसलिये यदि आप लोग शान्ति व्यवस्था नहीं रखेंगे तो एक भी कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

नियम 31। के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)-

मान्यवर, यह बोल चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, नियम 31। में प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव दिया था उसकी ग्राह्यता पर बोल रहे थे । मैं नियम 31। की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इसमें दिया हुआ है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम दास पाल-

मैंने आपके निवेदन का परिपालन किया है, मुझे बोलने का समय दिया जाय मैं सदन से कहना चाहता हूं कि स्व0 काला बच्चा की हत्या उनके रिश्तेदारों ने कराई है । यह राजनैतिक हत्या नहीं मेरे पास लिस्ट है । मान्यवर, यह लिस्ट उनके कृत्यों की, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । यह आप देख लें । एक-एक जुल्म को सिद्ध कर सकता हूं । मुझे समय दिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मेरा विचार है कि सबके विचार आ जाएं । व्यवस्था का प्रश्न जो माननीय सदस्य रख रहे हैं, उसको सुन लें फिर और सदस्यों को बुलवायेंगे ।

श्री शिव कुमार बोरेया-

मान्यवर, काला बच्चा की हत्या हुई। काला बच्चा की हत्या जिला प्रशासन की सांठ-गांठ से कराई गई है। मैं माननीय नेता सदन से जानना चाहता हूं कि क्या वह काला बच्चा की हत्या की उच्च स्तरीय जाच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

*श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 311 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह नियम उस नियम के लिये निलम्बित कर दिया जाएगा।" माननीय प्रमोद तिवारी जी ने नियम 311 में प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर कहा। आप सदन के नियमों को निलम्बित करके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, जनरल बात यह है कि ग्राह्यता पर सभी नेताओं को सुन लिया जाता है। राज्यपाल के अभिभाषण पर एक तारीख तक चर्चा होगी सब माननीय सदस्य उसमें बोलेंगे लेकिन आप नियमों के अन्तर्गत सब सदस्यों को बुलवाने के बाद प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेंगे फिर कौन से सदस्य उस पर चर्चा करेंगे ? पहले नेता प्रतिपक्ष बोल लें फिर नेता सदन बोलें उसके बाद आप बतायें कि प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ऐसे सदन का समय खराब हो रहा है।

(व्यवधान)

आप नेता प्रतिपक्ष को बुलवा लें वह अपनी बात कह लें फिर नेता सदन अपने जबाब दे दें उसके बाद आप निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सदस्य को बुला लिया है पहले यह दो मिनट में अपनी बात खतम कर लें, इन्हें दो मिनट का समय दें रहा हूं फिर नेता प्रातेपक्ष बोलें।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना (क्रमागत)

श्री राम प्रसाद टम्टा-

मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति के क्षेत्र से विधायक के रूप में अपनी बात आपके बीच में रख रहा हूं। पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो रहे हैं जिस प्रकार के यहां अनुसूचित जातियों के दंगे साम्प्रदायिक दंगो के रूप में हो रहे हैं । फिर भी कुछ घटनायें इस समय ऐसी हो रही हैं जैसे हमारे क्षेत्र में मकान मिलते हैं आज वन पंचायत की भूमि बनाई जा रही है जमीन मिलती है उनको जमीनों से बेदखल किया जा रहा है । भूमिहीन अनुसूचित जाति के कब्जादारों से मुआवजा सरकार वसूल कर रही है ।

अन्य मामलों में जो अनुदान मिलता है उसमें घांधली है । (घोर व्यवधान) तो जो पत्थर काटने वाले मजदूर और दस्तकार लोग हैं उनका उत्पीड़न हुआ है । वह बेरोजगार हुए हैं इन्हें पत्थर निकालने के पट्टे दिये जाने की आवश्यकता है । मैं इस संबंध में बागेश्वर जिला आन्दोलन का ध्यान माननीय मुख्य मंत्री जी को दिलाना चाहता हूं जिला वह उत्तराखण्ड राज्य के साथ न जोड़कर बागेश्वर को जिला कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये अतिआवश्यक मानकर जिला बागेश्वर बनाया जाय । जो भी समस्याए है उनका समाधान करेंगे । इन शब्दो के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू ।

*श्री कल्याण सिंह (नेता विरोधी दल)-

श्रीमन् इस सदन में बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और इस संबंध में बहुत से माननीय वक्ताओ ने अपने विचार रखे हैं उन विचारों को दो भागो में बांटा जा सकता है । विचार का एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध और चर्चा का दूसरा खण्ड है भाजपा के ऊपर बेबुनियाद प्रहार । जहां तक पहले खण्ड का प्रश्न है किसी भी दल के किन्हीं माननीय सदस्य का भाषण उठाकर देख लीजिये सभी ने लगभग एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि इस समय उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बहुत बढ़ गया है इस समय जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ हमारे कांग्रेस के मित्र भी इस पाप से अपने को मुक्त नहीं कर सकते । यह बात अलग है आज सरकार पर उसकी विफलता के बारे में कहने के बजाय उनको भाजपा के बारे में कहना ज्यादा पसन्द लग रहा है । इसे हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ? उनके ऊपर एक प्रकार से भाजपा का फोबिया सवार हो गया है भाजपा का भय है । उसे मैं बुरा नहीं मानता वह मैं स्वाभाविक मानता हूं परन्तु यह ठीक है कि जो कुछ बाते वह कह रहे हैं प्रदेश की जनता उनके इन घड़ियाली आंसुओं को भलीभांति जानती है और पहचानती है । एक ओर तो आलोचना करते रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार असफल हो गयी है और दूसरी ही सांस में यह कहना कि सरकार को हम टिकाये रखेंगे, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दोनो भाषाओ को इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है ।

श्रीमन् बहुत विस्तार से जब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आयेगा उस समय मैं अपनी बात कहूंगा लेकिन आज की चर्चा

में जो कुछ बिन्दु उठाये गये हैं उनके बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। क्या आज प्रदेश मे कोई इस बात से इकार कर सकताहै कि प्रदेश में अपराधो की बाढ़ सी आ गई है ? क्या कोई सरकार इस बात से इकार कर सकता है कि आज प्रदेश मे हत्या, लूट, अपहरण, जातीय संघर्ष और बहू बेटियो के साथ बलात्कारों, जघन्य घटनाओ की बाढ़ सी आ गई है ? क्या कोई इस बात से इकार कर सकता है कि आज प्रदेश मे अराजकता व्याप्त है ? क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है ? क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि प्रदेश में आज कानूनके राज्य के बजाय जंगल का राज्य कायम हो गया है ? क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि आज जनता पूरी तरह से भयग्रस्त हो गई है ? गुण्डे अपने को भयमुक्त महसूस कर रहे हैं। सच तो यह है कि आज इस सरकार को बने हुए 82वां दिन है। पुरानी सरकारों के इतिहास को उठाकर देख लें किसी भी सरकार में, उसके 82 दिनों में अपराधों का ग्राफ, जघन्य अपराधों का ग्राफ इतना ऊंचा नहीं गया है जितना कि वर्तमान सरकार के जमाने में गया है। यह जो कुछ हो रहा है जब तक उनके कारणों पर चर्चा नहीं हो जाती है तब तक चाहे रोज चर्चा कर लें, सदन के अन्दर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लें, अपनी चमड़ी बचाये रखने और अपने पापों पर पर्दा डालने के लिये सरकार की तरफ से कुछ भी कहा जाय लेकिन इसका मूल कारण क्या है जब तक उनका पता नहीं लगाया जाता और उन कारणों का निवारण नहीं किया जाता तब तक प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था कायम होना कठिन है, जनता की जान माल, इज्जत की सुरक्षा देना कठिन है। किसी सरकार का सबसे पहला धर्म है और सबसे पहले दायित्व है जनता की जन माल और इज्जत की सुरक्षा की गारंटी देना।

मैं कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार अपने इस पहले कर्तव्य और पहले दायित्व, पहले धर्म को निभाने में असफल हुई है। आज जनता की जान माल, उसकी बहू बेटियों की इज्जत की सुरक्षा नही रह गई है। इसका कारण क्या है ? अभी सदन में एक माननीय सदस्य बहुत अच्छी मीमांसा कर रहे थे, श्री किरनपाल सिंह जी। जब हम यह सन्देश देंगे कि शासन में आने पर हम गुण्डा ऐक्ट, गैंगेस्टर ऐक्ट खत्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक संदेश, मैसेज जायगा और अपराधियो को जघन्य अपराध करने का लाइसेंस मिल जायेगा। श्रीमन् जिस दिन गुण्डा ऐक्ट और गैंगेस्टर ऐक्ट समाप्त करने की बात कही गई उसी दिन उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी हैं, बदमाश हैं, गुण्डे हैं, माफिया हैं, उन सबको इस बात का विश्वास हो गया कि अब वर्तमान सत्ता के समीकरण बदल गये हैं और कोई भी अपराध करने

का लाइसेंस जैसा मिल गया है । दूसरी अपराध करने वाले, बदमाशों, बलात्कारियों, माफियाओं को सत्ता के गलियारों में पहुंचने का अवसर मिल गया है । वह आज अपने को बेहतर महसूस कर रहे हैं । तीसरी बात जितने भी बदमाश, गु अपराधी, बलात्कारी और माफिया हैं, उनको सत्ता का खुला समर्थन प्राप्त है और एक

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

चौथा कारण है, अगर कोई अधिकारी अपने विवेक से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सही काम करना चाहता है, तो उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है, 72 घंटे के अन्दर उसका बिस्तर गोल करा दिया जाता है । तो इस तरह से अधिकारियों में प्रशासनतंत्र में इस प्रकार की भावना आयेगी कि अगर किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही की और सही काम किया, तो फिर या तो उसका ट्रान्सफर कर दिया जायेगा या तो उसको किसी महत्वहीन पद पर भेज दिया जायगा । तो जो कोई प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम करना चाहता है, तो वर्तमान शासन उसे प्रताड़ित करेगा और यही कारण है कि आज प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हुई, 7 बजे के बाद वहां पर कर्फ्यू लग जाता है, दर्जनों अपहरण हुए । अपहरणकर्ताओं को छोड़ने के लिये लोगों ने बीच में दलाली की । क्या इसकी जांच सरकर करायेगी, वकील लोगों का हाथ है, लूट, हत्या, डकैती, अपहरण यह आये दिन की बात हो गई है । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया उत्तर प्रदेश के अपराधी थे, वे दिल्ली में जाकर शरण ले रहे हैं ।

(नेता विरोधी दल का माइक खराब होने के कारण व्यवधान)

तो श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि माननीय प्रमोद तिवारी जी या माननीय नरेश अग्रवाल जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी समझदार लोग हैं और वे इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि केन्द्र (दिल्ली) में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी श्रीमन् माननीय पी0वी0 नरसिंह राव जी ने अपने हाथ में ले रखी है । वहां की विधान सभा बड़ी लुंज-पुंज है और अगर अपराधी वहां पर शरण पा रहे हैं, तो जो कोई इसका आरोप लगा रहा है, तो यह माना जायगा कि वह केन्द्र सरकार और माननीय पी0वी0 नरसिंह राव के विरुद्ध आरोप लगा रहा है ।

श्रीमन्, अपराधों के बारे में 2-3 बाते और कहूंगा लेकिन उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं । बड़ी चर्चा की गई खास तौर से सपा-बसपा की ओर और कांग्रेस की ओर से साम्प्रदायेकता की । मैं कहता हूं कि एक बार बहस हो जाय कि साम्प्रदायेकता किसे कहते हैं इसकी परिभाषा उसमें तय हो जाय और

उसके बाद कसौटी पर देखा जाना चाहिये कि साम्प्रदायिक कौन है ? सच तो यह है कि आज देश में साम्प्रदायिक पार्टी अगर कोई है तो वह है कांग्रेस पार्टी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक कौन है ?

श्री कल्याण सिंह-

मुलायम सिंह यादव जी आपसे कम साम्प्रदायिक हैं आप साम्प्रदायिकता में टाप पर हैं। क्या मिजोरम में चुनाव में कांग्रेस ने लिखकर नहीं दिया था कि अगर इसाई हमको वोट देंगे तो हम उनके अनुसार काम करेंगे ? क्या केरल के अन्दर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन नहीं किया और सरकार चलाई ? क्या यह साम्प्रदायिकता नहीं है ? शाहबानों के प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया था जो बहुत अच्छा था कि कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को तलाक दे तो तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी पति की होगी। क्या कट्टरपंथी और साम्प्रदायिकता के सामने घुटने टेक कर लोक सभा में अपने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस ने संविधान को नहीं तोड़ा समूची नारी जाति के साथ अन्याय नहीं किया गया जहां तक अपराधियों का प्रश्न है क्या यह सच नहीं है कि आज जिन पिछड़ों और दलितों का दम भरने का काम किया जाता है. और सरकार दलितों और पिछड़ों की है। क्या यह सच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दमन चक्र पिछड़ों पर हो रहा है दलितों पर हो रहा है, सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति की बहू बेटियों की, दलितों की बहू बेटियों की इज्जत पर डाका डाला जा रहा है ? क्या यह सच नहीं है कि इलाहाबाद के दौना के अन्दर एक दलित वर्ग की महिला को तीन घंटे तक नंगा घुमाया गया है उसके घर में दुबारा आग लगा दी गई है ? क्या सच नहीं है कि इसमें बसपा के लोगों का हाथ है और यह आरोप सपा बसपा पर लगाया जा रहा है क्या यह सच नहीं है कि बदायूं के अन्दर अनुसूचित जाति के 51 घर जलाकर राख कर दिये गये ? क्या यह सत्य नहीं है कि इन घरों को जलाने वाले सपा के समर्थक हैं ? क्या यह सच नहीं है कि फतेहपुर में 31। कन्जड़ों के डेरों को उजाड़ दिया गया और तीन लोगों की हत्या कर दी गई वहां भी सपा बसपा के लोगों का हाथ है ? क्या यह सच नहीं है कि अभी हाल में लखनऊ जिले के इस्माइल गंज के अन्दर दलित वर्ग के 11 लोगों को आग लगा दी गई और क्या यह सच नहीं है कि फैजाबाद के 10 लोगों के घरों को आग लगा दी गई क्या इसमें सपा बसपा का हाथ नहीं है ? क्या माननीय मुख्य मंत्री एक-एक घटना की निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हैं या सदन की एक कमेटी बनाई जाय या सर्वदलीय समिति हो उसकी रिपोर्ट सदन में रखिये सच और झूठ का

पर्दाफाश हो जायेगा और दूध का दूध पानी का पानी अलग करने की इसमें जरूरत है जब बलात्कार होता है तो कोई भी बेटी होगी किसी भी कौम की होगी मैं उसका विरोध करता हूं। जब कहीं भी किसी के बिटिया का बलात्कार होता है तो समूचे प्रदेश के अन्दर रहने वाले जो लोग हैं उन सबकी इज्जत पर डाका पड़ जाता है। ये सीता और द्रोपदी का देश है सीता का हरण हुआ तो रावण और उसके परिवार की क्या दशा हुई थी एक द्रोपदी का चीर हरण हुआ था तो कितनी बड़ी दुर्दशा हो गई थी? इनकी सरकार की स्थिति इससे भिन्न नहीं है। बाराबंकी में क्या बलात्कार नहीं हुआ है, हमीरपुर के अन्दर बलात्कार नहीं हुआ है? वाराणसी के अन्दर बलात्कार की घटना घटित नहीं हुई है? हमीरपुर में एक पिछड़ी लोधी जाति की मानवती के साथ बलात्कार हुआ। हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद यह पहली घटना हुई कि 36 घंटे के अन्दर घटना की फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। उस समय की कलेक्टर उमा वर्मा ने उस लड़की का अलग से बयान लिया 45 मिनट तक बयान लिया फिर जाकर वह मुतमईन हुई कि बलात्कार की घटना हुई है उन्होंने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिये आदेश दे दिये। 2 तारीख को वहां मैं था मेरे साथ सांसद उमा भारती थी लड़की ने, लड़की की सास ने पैर पकड़कर कहा कि हमें यहां से निकाल लें, हमें निकालकर ले चलें। एस0पी0 से पूछा, कहा कि हमने कोई मना नहीं किया है। लेकिन जब गांव में पहुंचे तो वहां पर एस0एस0पी0 ने कहा कि उनसे पूछ लें। हमने कहा कि यह लड़की अपनी इच्छा से जाना चाहती है, अपनी मर्जी से जाना चाहती है, लेकिन कानून किसका चलता है, कहा गया कि लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सामने है। आपकी सुरक्षा की पोल उस समय खुल जाती है कि एक खेमचन्द्र नाम के व्यक्ति की पत्नी ने लड़की के घर जाकर उसको डराया कि अगर उल्टा सीधा बोलेगी तो जान खत्म कर दी जायेगी। इसे मैं क्या मानूं कि प्रशासन की शह पड़ गई थी, शासन में बैठे लोगों के मामले पर शह पड़ गई थी? लौटकर पहुंचे तो हमीरपुर में हमने पूछा कि लड़की जाना चाहती है उसे क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं कहा गया कि जब यहां खुद कहेगी जाने के लिये तब बन्दोबस्त करेंगे। कलेक्टर, एस0पी0 के सामने उस लड़की ने लिखकर दे दिया, सांसद उमा भारती ने लिखकर दिया कि हम इसे अपने जिम्मेदारी पर ले जा रहे हैं यह लड़की स्वेच्छा से हमारे साथ जा रही है। जब वहां से चलने लगे तो एस0पी0 ने कहा कि लड़की को रोक लो, गाड़ी से बाहर निकाल दो और उसको बाहर निकालने में कोई बाधा डाले तो उसे गोली मार दो।

डी0एम0 ने सूझबूझ का परिचय दिया और कहा कि यह हत्याकाण्ड ठीक नहीं है। डी0एम0 ने उस लड़की को अपने पास बिठाया। उमा भारती जी वहां बैठ गईं, तब जाकर कहीं वह लड़की निकल पाई। वहां यह बात कही गई कि हम पर लखनऊ से दबाव पड़ रहा है कि लड़की को जाने न दीजिये। क्या इससे बलात्कार रुकेंगे ? परिणाम क्या है, उसी हमीरपुर में राठ में दलित लड़की के साथ बलात्कार हो गया। एक दूसरा गांव पड़ता है बाकीपुर यहां पर एक ललित लड़की के साथ बलात्कार होता है। अगर हमीरपुर की घटना पर, जिनके नाम हैं, उन पर कार्यवाही हो गई होती तो यह जो हमीरपुर में और घटनायें हुई हैं यह घटनायें घटित न हो पाती, यह जो रिपीटीशन हो रही है, श्रीमन् जन संघर्ष की बात चली है तो क्या यह सच नहीं है सपा बसपा के नेताओं के जहरीले भाषणों से पूरे प्रदेश के अन्दर जहर पैदा हो रहा है, जातीय संघर्ष पैदा हो रहे हैं ? मैं उन नारों को दोहराना नहीं चाहता हूं और वह नारे समाज को तोड़ेंगे ही नहीं, बाटेंगे ही नहीं बल्कि इस पूरे समाज को धू-धू करके जला देंगे और यही साजिश हो भी रही है। अभी यह कहा गया कि किसी पासवान की हत्या हो गई। मैं सरकार की तरह से यह नहीं कहना चाहता हूं कि अपराधी था इसलिये उसकी हत्या हो गई बल्कि मैं उसकी निन्दा करता हूं। लेकिन कोई मंत्री अगर यह कह दे कि जब तक तीन लाशें नहीं बिछेंगी तब तक कलेजा ठंडा नहीं होगा यह उचित नहीं है। बनारस में, इलाहाबाद में, गाजीपुर में तीन लोगों की हत्या हो गई। क्या इस प्रदेश में दलितों की इसी तरह से हत्या की जायेगी? मैं और मेरी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि जो यहां पर शोषित रहे, दलित रहे, उजड़े रहे, पिछड़े रहे उनको समाज में, राजनीति में, आर्थिक नीति में और भी सभी चीजों में बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिये। हम भी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। बुनियादी अन्तर केवल इतना है कि सामाजिक न्याय का जो नारा है वह नफरत की नींव पर न होकर ममता की नींव पर खड़ा होना चाहिये। दलितों को, उजड़ों को, पिछड़ों को उनका अधिकार मिलना चाहिये लेकिन रास्ता क्या होगा इसको हमें देखना है। नफरत की आग भड़काकर यह नहीं मिटायी जा सकती और इससे किसी का भी हित नहीं हो सकता है। मान्यवर, आज गहरी चिन्ता की बात यह है कि राजनीजिक हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। हमारे बुलन्दशहर में दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। नामजद एफ0आई0आर0 होने के बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई क्योंकि जिन्होंने हत्या की थी उनकी पहुंच सत्ता के गलियारों तक थी। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसमें एक का नाम सतीश यादव था और दूसरे का नाम जीतेन्द्र यादव था। उसमें सतीश यादव की शादी अभी एक महीना पहले ही हुई थी।

जब मैं वहां पर गया, उसकी विधवा को सांत्वना देने के लिये तो मैंने केवल यह कहा कि मैं तुम्हें क्या कहकर सांत्वना दूं । मैंने उसे बेटा कह कर सम्बोधित किया था । उसने मुझसे यह कहा कि जब आपने मुझे बेटा बना ही लिया है तो मै अपने बाप से केवल इतना ही फरियाद करूंगी कि मुख्य मंत्री जी से कहें कि जिन्होंने मेरे पति को मारा है उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाय और मुझे न्याय दिलाया जाये । मैं सतीश यादव की विधवा बनकर जी लूंगी । इसी तरह से हमारे फर्रूखाबाद मे भी भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, मैनपुरी मे चेयरमैन नगरपालिका, व्यापार मण्डल के उपाध्यक्ष की दिल दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई । कसूर केवल इतना था कि कुछ लोगों ने सामान खरीदा और जब उसने पैसे मांगे तो उन्होंने यह कहा कि जानता नहीं किसकी सरकार है और यह कहकर उसे गोली मार दी । बुढ़हना, मुजफ्फरनगर में भी भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी । लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है । कानपुर में काला बच्चा की भी बम फेंक कर हत्या कर दी गई । मुझे अफसोस है कि उनकी हत्या पर अफसोस जाहिर करने के बजाय कुछ ऐसा दृश्य यहां पर उपस्थित किया गया सपा और बसपा, कांग्रेस के लोगों ने, मैं जनता दल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बड़ा नामी गिरामी अपराधी था, अच्छा हुआ कि उसकी हत्या हो गई । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी हत्या की साजिस लखनऊ में नहीं रची गई थी? हत्यारों को पकड़ने की जल्दी इनको नहीं थी बल्कि यह देखा जा रहा था कि कितने केस इसके ऊपर चल रहे थे, 62 केसों में वह मुजरिम था मुझे जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से 4-5 केस लम्बित होंगे, बाकी सारे केसों में वह निर्दोष पाया गया । एक बात किसी ने कही कि वह हिस्ट्रीशीटर था तो क्या शासन की मंशा यह हो गई है कि जितने हिस्ट्रीशीटर हैं, वह अपराधी हैं, उनकी हत्या करवाई जायेगी, अगर ऐसा है तो यह सरकार बहुत जल्दी अल्पमत में आ जायेगी । कैसे रुकेगा अपराध श्रीमन्, काला बच्चा एक राजनैतिक कार्यकर्ता था, एक दमदार कार्यकर्ता था, लोगों ने कह दिया कि साम्प्रदायिक जहर फैलाया, कलेक्टर, एस0पी0 आज भी इस बात को नहीं मानते । वहां के प्रशासन का व्यवहार जो उसके परिवार वालों के साथ रहा, वह उचित नहीं था । परिवार वालों को, उसकी मांग पर लाश नहीं दी गई, जबकि वायदा किया गया था । हिन्दू परिवारों में रात को अन्त्येष्टि नहीं दी जाती, किन्तु उसकी अन्त्येष्टि रात में जबरदस्ती कर दी गई और पंचनामें पर हस्ताक्षर करवा के लाश को फूंक दिया गया । श्रीमन्, उसकी हत्या करने के लिये पहले रिहर्सल किया गया, मेरा

आरोप है कि उसकी हत्या की साजिश लखनऊ में बैठकर की गई। मान्यवर, वहां के डी0एम0, एस0पी0 ने मुझे खुद बताया, आप चाहे इसको बेरीफाई करा लीजिये कि काला बच्चा ने यह नहीं देखा पिछले दंगों के दौरान, कि कौन अगड़ा है, पिछड़ा सवर्ण हैं, शोषित हैं, कौन दलित है, कौन हिन्दू है, मुसलमान है उसने कैम्प लगाकर सबको समान रूप से सहायता की थी और एक अनुसूचित जाति का होते हुए भी सामन्य सीट से जीतकर आना उसकी लोकप्रियता का कोई मामूली पैमाना है ? मैं श्री शिव कुमार बेरिया के पेट का दर्द समझ सकता हूं, जब काला बच्चा इनसे चुनाव में केवल 600-650 वोटों से पीछे रह गया, वरना आज बेरिया की जगह काला बच्चा यहां बैठा होता। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे इसकी जांच करा लीजिये, इस प्रदेश में आग लगाने के लिये पाकिस्तान खुफिया तंत्र सक्रिय हो उठा है, जिसका नाम आई0एस0आई0 है। इसके जाल में लखनऊ भी शामिल है, कानपुर भी है मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद भी शामिल है, तराई के जिले हैं और बनारस व इलाहाबाद भी है। जितने बड़े-बड़े संवेदनशील शहर हैं, आज आई0एस0आई0 का जाल वहां बिछा हुआ है, डी0जी0पी0 ने भी इसकी पुष्टि की है। मैं आज यह कहना चाहूंगा कि केवल मुलायम सिंह यादव की सरकार ही इसके लिये दोषी नहीं है, साथ ही कांग्रेस की केन्द्र सरकार स्वयं पाकिस्तान की इस खुफिया एजेन्सी के खिलाफ कारवाई नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वह कारवाई करेगी तो यहां के मुसलमान उसको वोट नहीं देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह देश की एकता-अखण्डता के साथ खिलावाड़ किया जायेगा ? मैं आज सचेत कर रहा हूं कि इसके खिलाफ ऐक्शन लेना जरूरी है और अगर केन्द्र सरकार पाकिस्तान की इस खुफिया एजेन्सी के खिलाफ कोई ऐक्शन लेना चाहे तो मैं और मेरा दल इसके लिये पूरा सहयोग करने को तैयार है। काला बच्चा की यहां बहुत बात हुई, मैं मांग करता हूं कि इस मामले की सी0बी0आई0 से जांच कराई जाये जिससे सारे सत्य उजागर हो जायेंगे। क्या सरकार आज इस बात की घोषणा करने को तैयार है कि वह इसकी सी0बी0आई0 से जांच करायेगी ? माननीय बाबूराम जी के साथ जो व्यवहार हुआ, मैं उसको उचित नहीं ठहरा रहा हूं, जिस किसी ने भी किया, वह गलत है। लेकिन जो वहां महिलाओं ने बताया कि कहा गया कि उन महिलाओं की जगह यहां नहीं, इनको कोठे पर होना चाहिये। जो व्यवहार इनके साथ हुआ, मैं उसके औचित्य को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। श्रीमन् एक बात यहां आई, मनुवादी व्यवस्था के बारे में। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में पक्ष बहुत स्पष्ट है कि

प्रदेश और देश का शासन न किसी मनुस्मृति से चलेगा, न किसी शरियत से, बल्कि प्रदेश और देश का शासन संविधान से चलेगा हमने अनेक बार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। क्या आपकी सपा की सरकार इस पर कोई रोशनी डालेगी? बसपा के माननीय नेता जी ने यह घोषणा कर दी कि ओ0बी0सी0 का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिये। सरकार का क्या स्टण्ट है इसमें? 20 जुलाई, 1985 को भोपाल में और 3 दिसम्बर, 1993 को बंगलौर में प्रस्ताव पास करके हमने अपना मत पेश कर दिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण यथावत जारी रहेगा, परमोशन में भी। दूसरी बात मण्डल कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा लेकिन जो अति पिछड़े हैं उनका भी ध्यान रखा जायेगा। पिछड़ेपन के कारणों में से गरीबी एक प्रमुख कारण है इसलिये अनुसूचित जाति-जनजाति के अलावा शेष जातियों के जो अति पिछड़े लोग हैं उनको भी 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाये। यह हमारा सूत्र है। मैं चाहूंगा कि यह जो भ्रम पैदा हो गया है कि हम ओ0बी0सी0 का आरक्षण नहीं चाहते हैं, सरकार का क्या स्टण्ट है? मैं सरकार से यह भी चाहूंगा जिससे अस्थिरता पैदा हो रही है, प्रशासनतंत्र में उन्होंने कह दिया कि तीन महीने सरकार चलेगी, उसके बाद खत्म कर देंगे और यह भी कह दिया कि भाजपा, कांग्रेस और जनता दल चुनाव से कतराते हैं नहीं तो हम चुनाव तीन महीने में करा दें। कांग्रेस और जनता दल यह जाने, भाजपा हर समय चुनाव के लिये तैयार है। केवल 82 दिनों के अन्दर ही प्रदेश की जनता में पछतावा आ रहा है कि गलत निर्णय लिया। श्रीमन् केवल एक बात कहकर मैं विराम दे रहा हूं। इस सरकार के बलबूते उत्तर प्रदेश का अपराध नहीं रुक सकता। इस सरकार के रहते बलात्कार, हत्याकाण्ड, लूट-पाट पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार, दमन नहीं रुक सकता, पिछड़ों और दलितों की बहू-बेटियों की इज्जत पर पड़ने वाले डाके इस सरकार के रहते नहीं रुक सकता क्योंकि इसी सरकार में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बाहर से समर्थन करने वाले हैं वही इस प्रकार के घिनौने कार्यों में लिप्त हैं और अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि अपराध करने वाला किस पार्टी का है, उस पार्टी के हिसाब से फैसला लिया जा रहा है, दोष भाजपा के ऊपर मढ़ा जा रहा है। मैं तो चाहूंगा कि सदन में जितने भी दल हैं सब बैठकर निष्पक्षता के साथ इस पर विचार करें और इसके निराकरण की बात सोचें क्योंकि यह आम जनता की जिन्दगी और मौत का सवाल बन चुका है। इन 82 दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश नरक बन चुका है इस प्रदेश की आग को

बुझाने की आवश्यकता है जो जातीय संघर्ष फैला रहे हैं उन जातीय संघर्ष को कैसे रोका जाये जब मंत्री बयान देंगे कि:-

"ढ़ोल, गंवार, विप्र, पशु चारी ।
ये सब जूतन के अधिकारी ।।"

क्या समाज के अन्दर इससे समरसता आयेगी, क्या इससे समाज के अन्दर कोई वैमनस्यता पैदा नहीं होगी ?

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगवायें । मैं नहीं कहता कि वह मंत्रियों से ऐसा कहलवा रहे होंगे । अगर मंत्री ऐसी बात करता है तो उसे मुख्य मंत्री को रोकना चाहिये, यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खाते में भी यह आरोप चला जाता है । इस संबंध में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कि इसे कैसे रोका जाय, इस पर चिन्तन करें और विचार करें । हम अपनी बात विस्तार से कहेंगे । आंकड़ों के साथ कहेंगे जब महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी । इतनी बात कह कर यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 31। के अन्तर्गत जिससे मामला उठाया है, उसे बोलने का मौका दिया जाता है । या तो मुख्य मंत्री जी अपना जवाब दे लें, फिर मुझे आप मौका दे दें, या पहले दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी ग्राह्यता पर काफी विचार आ गये हैं । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी शासन की ओर अपना पक्ष रखें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं केवल आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी बात यहां पर रखी । माननीय मुख्य मंत्री जी को भी जवाब देने में आसानी होगी ।

श्री रंगनाथ-

।× × × ×।

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप अपनी बात श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के समय रख सकते हैं । यह चर्चा का विषय नहीं है । चूंकि श्री तिवारी जी ने यह सूचना रखी थी, इसलिये अन्त में बोलने के लिये मैंने उन्हें मौका दिया है ।

नोट:-।××× यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम 311 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियम 311 को देखने की कृपा करें। कोई माननीय सदस्य, जिनको अधिकार दिया गया है कुछ नियमों को निलम्बित करके किसी विषय पर चर्चा कराने के लिये आपसे प्रार्थना करते हैं। मान्यवर, आप हमें ग्राह्यता पर सुनते हैं लेकिन आज चर्चा हो गई।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं कराई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं समझता हूं कि वह भी नियमों के सम्मत नहीं हुआ। आपसे ग्राह्यता पर इतने लोगों को सुना नियमों में कहीं इसकी व्यवस्था नहीं है। क्या यह कोई प्रस्ताव है जो प्रस्तावक उत्तर भाषण दें। इसलिये किसी व्यक्ति को जो बोल चुका है उसे दुबारा मौका देना मेरे मतानुसार नियम संगत नहीं होगा। यदि आपने बोलने का मौका दिया तो यह परिपाटी होगी कि इस पीठ से एक प्रस्ताव पर उत्तर भाषण का मौका दिया गया था। इससे आप सहमत होंगे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक लाइन नियम 311 की आप पढ़ लें। "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चत की जायेगी।"

तो मान्यवर, आपके अधिकार असीमिति हैं। आपके अधिकारों को कोई चुनौती नहीं देगा।

श्री अध्यक्ष-

इसी के तहत आपको सुनने के लिये दो मिनट का समय दिया है।

(घोर-व्यवधान) (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, हमें भी बोलने का मौका दें (व्यवधान) केवल दो लोग सारे सदन का समय ले रहे हैं उन्हीं को आपका संरक्षण मिल रहा है यह ऐसा विरोधी दल है जो विरोधी दल नहीं है ? (व्यवधान) मान्यवर, नेता सदन बाले (व्यवधान) म उनके भाषण का स्वागत करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात सुन लें। (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रंगनाथ-

यह बोल चुके हैं फिर बुलाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री हरवंश कपूर-

मान्यवर, नेता सदन बोलेंगे तो हम सुनेंगे (व्यवधान)

श्री रंगनाथ-

आपने ग्राह्यता पर सबको विचार प्रकट करने का मौका दिया हम लोग एक मिनट भी नहीं बोले, यह बार-बार बोल रहे हैं मान्यवर, जिस बनारस की घटना का संबंध है उस पर हमें बोलने का मौका दें (व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह तो अपने-अपने को रेवड़ी बांटने वाली बात है।

श्री किरन पाल सिंह-

माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को नियंत्रित करें। (व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय किरन पाल सिंह और माननीय प्रमोद तिवारी ही सब पर बोलेंगे। यह तो सदन में हावी होने की बात है।

श्री रंगनाथ-

माननीय नेता सदन बोले नहीं तो हमें भी बोलने का मौका दें। नहीं तो यह अन्याय है। (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। हम आपके अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह सारे संसदीय मापदण्ड को भंग कर दिया गया है, सदन की गरिमा नष्ट की जा रही है, यह परम्परा गलत है। (व्यवधान)

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी को किस नियम के तहत आप बोलने की इजाजत दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरे बोलने पर पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री)-

मान्यवर, आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपने सदस्यों को संयम बरतने के लिये कहें तो अच्छा होगा। हम जितने

सदस्य हैं वह आपसे बोलने के लिये अनुरोध करते हैं और आज इजाजत देते हैं तो बोलते हैं। श्री प्रमोद तिवारी जी ने आपसे बोलने की आज्ञा मांगी और आपने बोलने की इजाजत दिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि वह न बोलें तो इससे माननीय सदस्य के जो अधिकार हैं, उन पर तो आज जबरदस्त कुठाराघात कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी को बोलने दें और आप लोग शान्त रहें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, दूसरे लोगों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग जानते हैं कि सदन में यह परम्परा रही है कि जिस माननीय सदस्य का आपके द्वारा बोलने की अनुमति दी जाती है तो उसकी बात को यहां सुना जाता है। श्री प्रमोद तिवारी को आपने बोलने की अनुमति दिया और वह बोलना चाहते हैं। लेकिन भाजपा के माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि श्री प्रमोद तिवारी जी न बोलें। मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग बोलना चाहते हैं तो वह बोलें, मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जो बोलना चाहते हैं उनको न बोलने दिया जाए यह उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष के निर्णय के बाद कोई सदस्य अपनी बात न रखे और माननीय अध्यक्ष पर दबाव डाले, कि उन्हें न बोलने दिया जाए, यह सदन की परम्परा नहीं रही है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था-शायद मुझे गलत समझ लिया गया, मैं एक मिनट में यह अपनी बात स्पष्ट कर लूं। मेरा आशय माननीय प्रमोद तिवारी जी को बोलने से रोकने का नहीं है, आप केवल नियमों को देख लें और फिर जैसा आपका आदेश होगा, मुझे मान्य होगा। प्रमोद तिवारी जी ने पहली पंक्ति छोड़कर पढ़ा था। इसमें यह भी है- कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाये तो यह आपकी सम्मति से प्रस्ताव होगा। इसमें जितने लोग बोले हैं उन लोगों ने नियम 31। के अधीन नियम निलम्बित करने के लिये आपको प्रस्ताव दिया था उस पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था। आपने सम्मति की ग्राह्यता पर सबको सुन लिया और नेता सदन को भी सुन लिया और शायद अन्य नेता भी बोलना चाहेंगे। हम किसी को बोलने से वंचित नहीं कर रहे हैं, हम केवल नियम और परिपाटी की बात कर रहे हैं। मै केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस विषय पर अपने तर्कों को प्रस्तुत कर चुका है, उसको पुनः इसी पर मौका देना उचित नहीं है। जो एक बार बोल चुके हैं, उनको बोलने का, अपनी राय से उत्तर देने का कोई मौका नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मैं यह जानना चाहता हूं कि नियमों में कहां पर वह है, इसे आप दिला दीजिये कि जो माननीय सदस्य किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, वह दुबारा नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप यह दिखा देंगे तो मैं प्रमोद तिवारी जी से कहूंगा कि वह दुबारा अनुमति न लें। सदस्य को बोलने का अधिकार है और उचित भी है कि कोई भ्रम रह जाता है तो वह उसका निवारण कर सकता है।

श्री मयंकर सिंह-

एक ही विषय पर एक बार बोलने के बाद पुनः दुबारा बोलने का कौन सा नियम है, यही आप दिखा दें।

श्री अध्यक्ष-

हमारे माननीय सदस्य, तिवारी जी ने जो नोटिस नियम 311 में दिया, उस पर मैंने बहुत से सदस्यों को सुना। अब मैं तिवारी जी से अन्त में यह जानना चाहता हूं कि वह अपनी नोटिस वापस ले रहे हैं या उस पर बल दे रहे हैं। इसके बाद उन्हें मौका नहीं है।

डाक्टर सरजीत सिंह डंग-

ठीक है, तो आप इनसे हां या न में उत्तर ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

अगर नोटिस के बाद इस तरह की बात होगी और इस तरह से यह होगा तो एक अच्छी परिपाटी नहीं बनेगी। ग्राह्यता पर सुनने के बाद तो यह सदन की परिपाटी बन गई है, उसे अब हम क्या हां या न उनके कहने से वापस करेंगे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

श्रीमन्, आप तिवारी जी को इसमें भाषण देने का अवसर देंगे तो उससे मान्यताओं पर आघात होगा। केवल ग्राह्यता वापस लेने पर वह हां या न में बता दें।

(श्री प्रमोद तिवारी बोलने के लिये खड़े हुए और उनके बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

गुप्त जी अब आप अपने सदस्यों को शान्त कर लें। आप कहते हैं कि हम बड़े अनुशासित हैं, लेकिन अनुशासन नहीं है, देखिये किस तरह खड़े होकर मेरी व्यवस्था के बाद बोल रहे हैं। माननीय गुप्त जी तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई है कि किन्हीं नियमों और परम्पराओं के अन्तर्गत श्री तिवारी जी को

बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिये उन्हें बोलने की अनुमति न दी जाय, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन जो परम्परायें पड़ी हैं, वह भी कभी नई ही होगी। मैं उस नई परम्परा के अन्तर्गत ही माननीय प्रमोद तिवारी जी को यह कहते हुए अनुमति दे रहा हूं। प्रमोद तिवारी जी।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण सदन का आभारी हूं कि सम्भवतः संसदीय इतिहास में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में नियम 311 में दी गई नोटिस पर इतने विस्तार से चर्चा हुई। यह वास्तव में एक गम्भीर विषय है जिस पर लगभग 4 घण्टे ग्राह्यता पर सुना गया। मैं आभारी हूं कि मेरे द्वारा उठाये गये विषय पर इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सर्वथा ग्राह्यता का प्रश्न है और अब इसकी ग्राह्यता पर कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे नियमों के अनुसार इतना कहना है (व्यवधान) मुझे तो ऐसा लगता है (× × × ×) यह संविधान की क्या बात करते हैं ? यह प्रदेश को देश को साम्प्रदायिकता के नाम पर बांटने वाले हैं। इन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की है। इनकी बात को आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी धर्म निपेक्ष है। साम्प्रदायिक दल अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है इस बात को माननीय कल्याण सिंह जी स्वीकार करें। फासिस्टवादी ताकतें विधान सभा मे उपस्थित है और साम्प्रदायिकता का जहर फैला रही हैं। समाज को बांटने का काम इन्होंने किया। इन्होंने ही अंग्रेजो का साथ दिया था। मान्यवर, यही वह लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के हत्यारो का साथ दिया था और देश की आजादी की खिलाफत की थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी सूचना को नियम 311 में स्वीकार करें। (व्यवधान)

श्री रगनाथ-

नियम 311 में जो बनारस की सूचना दी गई है उसमें बनारस का एक भी प्रतिनिधि नहीं बोला है। प्रमोद तिवारी जी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, यह उस घटना के बारे में पूरे विस्तार से क्या जानते हैं ? हमें भी बोलने का अवसर दिया जाय।

नोट:- (×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल ने बता दिया है।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता कांग्रेस दल प्रमोद तिवारी जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी, जगदम्बिका पाल, जनता के माननीय नेता किरन पाल, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माननीय ऊदल जी, मित्रसेन जी....

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, यह लोग औरतों वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। नेता सदन बोल रहे हैं और यह खुसर-फुसर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप भी तो इन्हीं के साथी हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय नेता विरोधी दल और भारतीय जनता पार्टी के अन्य माननीय सदस्यों ने प्रदेश की शान्ति व्यवस्था, हत्याओं, लूट, अनुसूचित जाति की महिलाओं के समय जो अत्याचार हुआ है, इसकी चर्चा की। और आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इतना ज्यादा समय देकर के सरकार की नीयत साबित कर दी है कि किसी भी तथ्य को छिपाना नहीं है। यह पहला अवसर है मेरी जानकारी में कि नियम 311 पर चर्चा नहीं होती है, ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसके बावजूद आपने बड़ी कृपा की माननीय नेताओं पर, माननीय सदस्यों पर और प्रदेश की जनता पर, जो प्रदेश सरकार की नीयत है, जो वास्तविकता है उसको आपने सुना, यह सही बातें प्रदेश की जनता तक पहुंचेगी। मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी का बहुत आभारी हूं कि इस मामले को कल आना था लेकिन आज इस पर पूरी चर्चा ही हो गई। जिससे सदन के समय का सदुपयोग हुआ है। माननीय सदस्यों के सुझाव और जो टिप्पणी, आलोचनायें हुई हैं या जिनकी निन्दा करनी चाहिए थी, हुई है, मैं उसको स्वीकार करता हूं मैं सभी वक्ताओं का आभारी हूं। माननीय तिवारी जी ने सही समीक्षा की मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारी सरकार की जो कमजोरियां होंगी उसको सुधारेंगे। लेकिन विपक्षी दल की भूमिका क्या है उसकी भी इन्होंने सही तस्वीर खींची है। इस प्रदेश की जो सही स्थिति है उसको हम रखेंगे, किसी भी प्रकार से उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कथनी करनी में भेद न हो। मैं आपको आज भी आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार की बोली और करनी में कोई भेद नहीं है, और न ही आगे भेद होगा। यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा और न ही यह सरकार इसके आधार पर निर्णय लेगी, और न ही इसके आधार पर कोई कार्य करेगी। मुझे आश्चर्य होता है माननीय किरनपाल जी पर, वह इस सदन के विद्वान नेता हैं, मेरे साथ भी काम किया है। आपने काफी अध्ययन किया है। आप संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज आप पूरी तैयारी से नहीं आए और अचानक कुछ कहने लगे। आपने दो तीन बातें

कहीं, मैं समझता हूं कि आपको पूरी जानकारी नहीं हो सकी, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था । आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में जो कहा, यह समझ लेना चाहिए कि यह हमारे चुनावी घोषणा पत्र में मुद्दा था । जनता ने इसको स्वीकार किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से जो शोषण होता है अत्याचार होता है । हमने इंसाफ की बात कही है इंसाफ सबको देना है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

विपक्ष सहमत है या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह तो मेजें थपथपा रहे थे । इंसाफ सबके लिए है गांव की खेती के लिए नीति हमारी आपकी है । हम किसानों को, अनुसूचित जाति के लोगों को पिछड़े वर्ग के लोगों को अवसर देंगे ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

इंसाफ देंगे लेकिन हम उद्योग व्यापार मण्डल को भी इन्साफ देंगे । जिन्होंने वायदा किया है लगातार ठगा है, उनकी कथनी और करनी में फर्क है । हमारी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है । मैंने धारा 3/7 शपथ के पहले दिन ही आवश्यक वस्तु अधिनियम को निलम्बित किया और क्यों किया । जब यह आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हुआ था तो माननीय नेता जनता दल से मैं कहना चाहता था तो उस वक्त इसका लक्ष्य यह था कि जिन चीजों का अभाव है उस पर यह लागू होगा । लेकिन धीरे-धीरे आवश्यक वस्तु अधिनियम ऐसा हो गया कि इससे उद्योग व्यापार मण्डल के लोग त्राहि-त्राहि करने लगे । छोटे से छोटा कर्मचारी व्यापारियों को अपमानित कर सकता था कि एक किलो कम है दो किलो ज्यादा था । इसलिए हमने उसको मुअत्तल किया । आपने दूसरे गुण्डा ऐक्ट के बारे में कहा । आपको याद होगा गुण्डा ऐक्ट जब सदन में पेश किया गया था तो चौधरी साहब की हालत बहुत खराब थी और वह अमेरिका गए थे । माननीय नेता विरोधी दल सदन में मौजूद थे और जहां तक मुझे ख्याल है चन्द्र भानु जी भी यहीं मौजूद थे । उस वक्त हमने और आपने मिलकर उस गुण्डा ऐक्ट का विरोध किया था और यह कहा था कि इसका दुरुपयोग होगा और यह राजनीतिज्ञों पर लागू होगा । पुलिस को मौका मिलेगा और वह असली अपराधियों को छोड़ेगे अपनी कमजोरी छिपाने के लिए और गुण्डा एक्ट का इस्तेमाल करेंगे । इसलिए हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं है । जब मैंने देखा कि इसका दुरुपयोग हुआ, इटावा का नाम मत लीजिए । जो आग अब राख बन चुकी है उसको आप पुनः जलाना चाहते हैं । हमारा और इटावा का नाम मत लीजिए । हमारे साथियों पर जो जुल्म हुए हैं उसको मैं भूल गया हूं और इसलिए भूल गया हूं क्योंकि जनता ने फैसला कर लिया । हिन्दुस्तान और दुनियां के किसी मुल्क में हम पर और हमारे साथियों पर 17 महीनों में जो अत्याचार हुए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलेगी । आपने किस मानसिकता से काम किया था मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं इटावा में प्रचार करने भी नहीं गया केवल दो घण्टे से ज्यादा प्रचार नहीं किया और इटावा की सभी सीटें जीतकर दिखा दीं । हरिमोहन सिंह जी को पूरा सदन जानता है 18 साल लगातार विधान परिषद् के सदस्य रहे और बचपन से महापालिका के सभासद चुने गए । कटियार जी भी बैठी हुई हैं वह भी उनकी हमदर्द हैं यहां भले ही कुछ न कहें । हिन्दुस्तान में 100 परिवार शरीफों के छांटे जाएं तो उसमें चौधरी साहब का नाम जरूर होगा उनके

ऊपर गुण्डा ऐक्ट लगाया । इनका विश्वास तो किसी बात में है ही नहीं । इसी तरह से मायावती जो एक पार्टी की महामंत्री थी उन पर भी गैंगस्टर लगाया था वह भी एक महिला पर । इस गुण्डा एक्ट गैंगस्टर को कोई भी स्वीकार करें लेकिन हम जैसे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे । इसके स्थान पर अपराधियो को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलायेंगे गुण्डा ऐक्ट का दुरुपयोग राजनीतिक लोगो के लिये किया जाता था । 100 से ऊपर ऐसे मामले मैं जानता हूं जिसमें गुण्डा ऐक्ट का दुरुपयोग किया गया । इसीलिए हमने कहा कि हम गुण्डा ऐक्ट को खत्म करेंगे । हमने किसी से छिपाकर नहीं कहा था, हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लिखकर और प्रदेश की 14 करोड़ जनता के सामने रखा था कि यदि हम सरकार में आयेंगे तो जो गुण्डा ऐक्ट का दुरुपयोग राजनीतक लोगों के लिए हो रहा है उसको खत्म करेंगे । अभी गुण्डा ऐक्ट खत्म नहीं हुआ है न जाने आपने कहां से पढ़ लिया कि गुण्डा ऐक्ट खत्म कर दिया है । हमने प्रदेश की 14 करोड़ जनता के सामने रखकर यह बात कही है किसी से छिपाकर या चोरी से यह नहीं कर रहे हैं । जनता के सामने मैंने गुण्डा ऐक्ट को खत्म करने का बचन दिया था और उसको हम खत्म करेंगे । लेकिन किसी अपराधी या असमाजिक तत्व को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं देंगे । गुण्डा ऐक्ट में उसी दिन जमानत हो जाती है । गुण्डा ऐक्ट से बड़ी धारायें पहले से ही हैं । सजा देने के कानून हैं अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाय तो 6 महीने जेल से नहीं निकलेगा । गुण्डा ऐक्ट में तो हाईकोर्ट से स्टे ले आयेगा । इटावा में बहुत से लोगों पर गुण्डा एक्ट लगाया गया, जैसे कहा गया मुलायम सिंह का भाई है, भतीजा है, पार्टी का नेता है, वैसे ही जज के दिमाग में आ जाता था और उसी दिन स्टे दे देता था । इटावा में ढाई सौ लोगों पर गुण्डा ऐक्ट लगवाया गया था । प्रमोद तिवारी जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हाईकोर्ट में हमारे लोगों की मदद की । जो आपने किया वह मैं नहीं कर सकता हूं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका लड़का, आपका रिश्तेदार या परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा उसकी आपसे शिकायत करुंगा । मैं बदले की भावना से कार्य नहीं करता हूं । मैं आपको विरोधी दल का नेता मानूंगा और कभी दुश्मन मानकर ऐसा काम नहीं कर सकता हूं ।

मान्यवर, प्रधानों को मुअत्तल करने के बारे में कहा गया है । क्या एस0डी0एम0 एप्वाइंटिंग अथारिटी है जो प्रधानों को मुअत्तल करेगा । मैंने यह कहीं नहीं कहा है कि अगर प्रधान चोरी करेगा, गलत काम करेगा तो उसको छोड़ दिया जायगा । अगर वह गलत काम करता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट होगी, उसका चालान होगा और वह जेल जायगा । आप पंचायत राज की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रधानों की मुअत्तली का अधिकार हम एस0डी0एम0 को

नहीं दे सकते । आप प्रधानों के बारे में जांच लायें, अनियमितताओं की बात आप लायें उसकी जांच होगी और अगर दोषी पाया जायगा तो उसी दिन जेल भिजवा दिया जायगा । अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको मुअत्तल करने का अधिकार अध्यक्ष जी को है लेकिन आपको कमिश्नर या कलेक्टर मुअत्तल कर दे तो आपको कैसा लगेगा ? एस0डी0एम0 प्रधानों के एप्वाइंटिंग अथारिटी नहीं हैं जो उनको मुअत्तल करें । हमने पंचायत राज का सपना देखा है और चौखम्भा राज्य का वायदा किया है इसलिए मैंने कहा कि एस0डी0एम0 को प्रधानों को मुअत्तल करने का अधिकार नहीं होगा और आप जैसे लोग भी यह कहने लगे कि फूलन देवी को मैंने छोड़ा । फूलन देवी ।। साल जेल में रही, उसे गम्भीर बीमारी थी और महिला थी, आपने कभी याद किया । तहसीलदार जैसे अपराधी कितने साल पहले छोड़ दिये गये । तहसीलदार को तीन साल के अन्दर छोड़ा था । यह मैंने सारी बातों को देखकर, महिलाओं के बारे में विशेष अवसर देखकर ऐसा किया था । महिला अगर डकैत बनी हुई है, तो उसे सुधारा जा सकता है ।

(व्यवधान)

मेरे खिलाफ किसको हीरो बनाकर लड़ाया था और इसलिए मानवीय आधार पर आज हीरोइन बना दिया । माननीय नेता विरोधी दल की पार्टी ने जो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ रहे थे, मैं मध्य प्रदेश के लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं और चार साल, पांच साल बाद छूट गये और उन्होंने फूलन देवी से कम से कम 10-15 गुना अधिक अपराध किये थे । 22 लोगों को मारने की बात आपने कही । ये 22 लोगों को मारने वाले तो पहले ही छूट गये । अन्दाजा मत करो । वह दलित परिवार की लड़की है, महिला है, बीमार है । तहसीलदार सिंह छूटेंगे, तो नहीं कमेंट होगी, मोहर सिंह छूटेंगे, तो नहीं कमेंट होगी और अगर एक महिला छूटेगी, तो कमेंट होगी । मान्यवर, मुझे खुशी है, माननीय ऊदल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं कि जब-जब आप बोलते है, चाहे पक्ष में हों या विपक्ष में हो, आप हैं, माननीय मित्रसेन जी हैं, आप सब सही ढंग से अपनी बात सदन में रखते हैं । आप इस सदन के सबसे वरिष्ठ माननीय नेता हैं, आपने अपनी बात अनुभव के आधार पर रखी और दिल से बोले, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं । इसी के साथ माननीय राकेश सचान जी, माननीय अखिलेश जी और माननीय पाल जी सदन के अन्दर सच्चाई के साथ अपनी बात को रखते हैं । माननीय अखिलेश और माननीय पाल जी ने कहा कि काला बच्चा की हत्या के बारे में संदेह होता जा रहा है । एक दिन भी मैंने इसके बारे में नहीं बोला। याद रखना माननीय किरन पाल सिंह, आपने चौधरी साहब के नेतृत्व में काम किया है, अगर गलती होती है, तो ऊपर से होती है । अगर कलेक्टर सही हो जायगा, तो लेखपाल अपने आप सही हो जायेगा । एस0 एस0 पी0 सही

होगा, एस0पी0 सही होगा, तो इन्सपेक्टर सही होगा और दरोगा सही होगा। इसीलिए मेरी दृष्टि नीचे नहीं है, हमारी दृष्टि ऊपर जाती है। हमारा गुस्सा कमजोरों पर नहीं जाता है, हमारा गुस्सा हमेशा शक्तिशाली लोगों पर जाता है, बड़े लोगों पर जाता है। कमजोरों पर गुस्सा नहीं आता है। उसका नतीजा आपके सामने आ जायेगा, आपने अन्दाजिया बयान दिया है। असलियत क्या है ? तथ्य क्या है ? उनको आपको रखना चाहिए था। मैंने डी0एम0 और एस0पी0 को जिम्मेदार ठहराया है। सबसे पहले मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि यह आपकी चिन्ता नहीं है, सबकी चिन्ता है और मेरी चिन्ता है। काला बच्चा के ऊपर चाहे 62 केस हों और चाहे 52 केस रहे हों, उसकी हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में कोई किसी की जान नहीं ले सकता है और अगर कोई ले सकता है तो अदालत ले सकती है। गजट हो जाता है, हमने किया है, 54 लोगों को 55 लोगों को किया है। अगर गलती हो रही है, तो आप बता दें, हम उसको सुधार लेंगे। पुलिस ही नहीं जनता भी मार सकती है। काला बच्चा के मामले में आपने कोई कार्यवाही की है ? आपकी सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? आप तो काला बच्चा के हमदर्द थे। आपको इस मामले में राजनैतिक रंग नहीं देना चाहिए था और राजनैतिक रंग देकर जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया है, वह बड़े दुख की बात है। मैं भी दुखी हूं। दुखी इसलिए कि आपने उसको राजनैतिक रंग दे दिया। आपने साम्प्रदायिक दंगों को उभाड़ने की कोशिश की है। इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है ? आप भी सरकार में रह चुके हैं और मैं भी रह चुका हूं। आप भी कई बार सदस्य रह चुके हैं तो मैं भी 4 बार रह चुका हूं। आप लीडर आफ अपोजीशन हैं, तो मैं भी रह चुका हूं। हमारे राजस्व मंत्री की कार जलाई गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इसमें जो लोग दोषी पाये जायेंगे, दंडित किया जायेगा। आपकी पार्टी के लोगों ने घर जलाया है, मिनिस्टर पर हमले किये हैं, क्या आपने कभी उनसे जबाब मांगा है, क्या आपने उन पर कार्यवाही की है, हमने की है। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष डी0एफ0ओ0 दफ्तर में चला गया और उसने गलती की, जिला प्रशासन सोच रहा था कि क्या कार्यवाही की जाये ? मैंने अपने साथियों से कहलवाया कि उसको जेल में डाल देना चाहिए। आपने किसी भी एक को जेल में डलवाया हो तो बता दें। काला बच्चा क्या हमारे जमाने का अपराधी है, आपके जमाने का अपराधी है, क्या आपने उसको जेल में डलवाया ? अगर आप उस पर कार्यवाही करते तो हो सकता है कि आज वह सुधर गया होता और आज यह नौबत न आती। मैंने उसको जेल भेज दिया। यह कानून है। कानून किसी को माफ नहीं करता है। 22 लोगों की सूची दी थी, लेकिन आपने क्या किया ? आपके समय में माफियाओं का राज था। आपने स्वयं साबित कर दिया है कि आपकी पार्टी माफियाओं की रही है। आपको हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा माफिया मिला था, जिसे आपने हमारे खिलाफ लड़ाया।

जब आप यह कहते हैं कि संरक्षण देते हैं, मैं आप जैसा छोटापन नहीं दिखाता हूं वरना यह दिखा दूंगा कि आपके विधायकों में कौन अपराधी है लेकिन इतना मैं छोटापन नहीं दिखाऊंगा ।

(टोकाटाकी होने पर)

यह पूरा चिट्ठा विधायकों का है जिन पर आज भी मुकदमे विचाराधीन हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

माननीय मुख्य मंत्री जी जब इसे सदन के पटल पर ले आये हैं और सदन के संज्ञान में ला दिया है, तो इसे बतायें ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप तो ऐसी सूची लाये थे जल्दी-जल्दी में हड़बड़ाहट में ले आये थे कि उसमें मथुरा के एम0एल0ए0 को शामिल कर लिया था आपने तो पूरी सूची जारी कर दी थी हमको शामिल कर दिया । अब कहते हो कि अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाओं हमारे मंत्री पूरे संयम और संयत के साथ रहेंगे । यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं लेकिन आप अपने विधायकों को ठीक करिये जो खड़े होकर कह रहे थे कि वह अपराधी बैठा है । यह कौन सी भाषा है, माननीय सदस्य को समझाओ, पहले अपनों को समझाओं अभी ऊंगली उठाकर कहा है कि वह अपराधी बैठा है । मान्यवर लगाम लगाना है तो किस पर लगाम लगाना पड़ेगा? इधर तो, सब संयम से बैठे रहेंगे यह साबित कर दिया । गाड़ी जलाने की बात आई है ।

(टोकाटाकी करने से व्यवधान)

लेकिन मान्यवर, हम सरकार में हैं और हमारी सीमाएं हैं हमारी सरकार नहीं बोल सकती थी । हमारी पुलिस नहीं बोल सकती थी लेकिन हमारे पास नौजवान लोहिया वाहिनी, छात्र वाहिनी और यूथ ब्रिगेड की कमी नहीं है ।

(व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, इस बात से, आप अवगत होंगे कि आपने संयम से काम नहीं लिया आपको याद है कि आपके लोगों ने आगरा में मध्य प्रदेश के नेता पर हमला किया था । 24 घंटे के अन्दर क्या हाल कर दिया गया था आपका, घरों में घुसे रहे थे एक-एक हफ्ते पता चल गया था, यह अहसास करना चाहिए था, यह आपको सोचना चाहिए था । जब राजस्व मंत्री पर हमला हुआ था तो मैंने स्वयं राजस्व मंत्री से टेलीफोन पर कहा था कि चुपचाप मैनपुरी चले जाइये अगर पता चला कि बाबूराम जी घायल हो गये हैं, गाड़ी जला दी गई है तो हो सकता है कि वहां के हमारे कार्यकर्ता भी उत्तेजित हो जायें । इसलिए हम तो संयम से काम कर रहे हैं हमारी तो पूरी लगाम है इससे भी ज्यादा बतायें तो कोड़ा भी लगा दूं आप तो लगाम ही लगवा दें तो बहुत है । हिंसा कौन कर रहा है अपराधियों को बढ़ावा कौन दे रहा है ? मंत्री जब जाते हैं तो एक-एक अंगरक्षक

साथ चलते हैं लेकिन उनके साथ दो गनर थे इसलिए बच गये । हमला कर दिया, गाड़ी जला दी, वे बैंक में घुस गये, पत्थरबाजी कर दी । आपने एक भी निन्दा नहीं की । आपकी पार्टी के एक भी नेता ने एक भी सदस्य ने इसकी निन्दा नहीं की कि गलत काम किया है । हमने लोगों को जेल भेज दिया, हमने काला बच्चा की घटना पर अफसोस भी जाहिर किया, अपराधी हों कुछ हों, किसी को मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, जितनी कार्यवाही हम कर सकते थे हम कर रहे हैं । जांच से सही स्थिति पता चल जायेगी । अखिलेश साहब रायबरेली के पाल साहब ने, बेरिया जी ने कहा है, चर्चा है, लेकिन फिर भी हमने गौर नहीं किया । मैं सोच रहा था कि आपको सुनूंगा और आपसे कुछ जानकारी मिलेगी । आपका कोई नेता मुझसे मिलेगा लिख करके तथ्यों को देगा बातचीत में और भी तथ्य सामने आयेंगे उन तथ्यो को भी मैं दिखवा लूंगा लेकिन कोई नहीं मिला न लिखकर के दिया सीधे आन्दोलन कर दिया । नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि को भी आप उस समय भूल गये, आप काला बच्चा की राजनीति में लग गये । यह आस्था है आपकी अपने नेताओं के प्रति और लोगों के प्रति भी क्या आस्था हो सकती है यह आप जाने । अपराधों की बाढ़, अराजकता प्रदेश मे यह सब कहा गया, आप पता लगा लीजिये । हमारी सरकार आयी है 4 दिसम्बर को 1-12-93 से 15-12-93 तक जितने कुल अपराध है उसमें 41 हजार 6 सौ 82 की संख्या है, कितनी बाढ़ है, हमारे पूर्व मंत्री जी वरिष्ठ साथी आगरा के बैठे हुए हैं हम समझ रहे थे कि संयमी हैं जानकारी के साथ बोलते हैं लेकिन उन्होने कितनी बार कहा कि बाढ़ आ गयी है अपराधों की 41 हजार 6 सौ 82 और आपके समय में जब भयमुक्त समाज और दंगारहित प्रदेश की बात कही जाती थी उस समय अपराध थे 82 हजार 8 सौ 82 ।

(सत्ता पक्षा की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

अगर इसमें एक भी बात छिपी हो तो बता देंगे मैं 10 मानने के लिए तैयार हूं गिरावट हो रही है, सुधार हो रहा है, अगर माननीय नेता विरोधी दल, माननीय गुप्त जी एक भी अपराध के बारे में बता देंगे कि हम छिपा रहे हैं तो हम एक की जगह 10 मानने के लिए तैयार हैं ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के 15 अपहरण ऐसे हैं, जिनके बारे में बता सकता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप मत बोलिये हमसे मैं आपकी और आपके भाईयों की मदद कितने केसों में कर चुका हूं आप मत बोलिये । हमने आपकी बहुत मदद की है, आप उसको केयर करिये, कम से कम आप तो चुप बैठिये ।

(व्यवधान)

डकैती 360 आपके जमाने में 451 फिरौती और अपहरण 74 आपके जमाने में 85, यह भयमुक्त समाज के समय की बाते बता रहा हूं आपकी, लूट 34, आपके में 61 बताइये कि क्या मैं यह आंकड़े गलत बोल रहा हूं । मेरे समय में कुछ हत्याएं बढ़ी हैं । यह मैं मानता हूं । अगर मुझे छिपाना होता तो मैं यह क्यों कहता कि हत्याएं ज्यादा हुई हैं, बलात्कार में भी हमारी संख्या कुछ ज्यादा है । लेकिन यह क्यों ज्यादा है ? आपने कहा कि गुण्डा ऐक्ट आपने कहा कि भड़काव वाले हमारे बयान हैं । लेकिन आपने यह नहीं देखा कि आपने कसम खायी थी संविधान की और मेरे सामने जो हिन्दुस्तान का सबसे उच्च राजनीतिक मच है, उसमे आपने आश्वासन दिया था कि हम कानून पूरी तरह से लागू करेंगे लेकिन आपने क्या किया अयोध्या मे । मस्जिद टूट गयी . . .

एक सदस्य-

लिखित दिया था या मौखिक दिया था ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

लिखित में दिया था और शपथ-पत्र दिया था । तो आपने संविधान नहीं माना, आपने कानून नहीं माना, न्यायालय का आदेश नहीं माना, आस्थाओं में काम किया, भावनाओं से काम किया तो इससे आपने पूरे प्रदेश में आग लगाने का कार्य किया । 6 दिसम्बर के बाद से इस हिन्दुस्तान के अंदर लगभग साढ़े आठ हजार जानें गयीं और 20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है । बम्बई और कलकत्ता में क्या हुआ यह भी आप जानते हैं । बम्बई में 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और केन्द्र सरकार ने साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये स्वीकार किया । आपने कानून को नहीं माना, संविधान को नहीं माना लेकिन उसके बावजूद जो आज की विषम परिस्थितियों में ग्राफ गिरा है वह पिछले सालों से कम ही है जितनी शांति व्यवस्था इस समय है वह कभी नहीं रही होगी इन ढाई महीनों में ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक भी जातीय संघर्ष बता दीजिये उत्तर प्रदेश के अन्दर । आप फतेहपुर की बात करते हैं । वहां तो यह नारा लग रहा था कि मुलायम सिंह, कांसीराम जिन्दाबाद । आपको पता है कि सपा ने मारा, बसपा ने मारा, कांग्रेस ने मारा या जनता दल ने मारा है मगर हम तो उसे अपराधी मानते हैं चाहें वह किसी भी पार्टी का हो । आपके दिमाग में यह बसा है कि सपा का है या बसपा का है आपको पता है, फतेहपुर में किसने मारा, सपा, बसपा ने मारा । मैंने तो जाकर उन्हीं से पूछा, जिन्होंने समर्थन किया था, आपकी पार्टी के विधायक मेरे साथ थे, मैंने कहा बताओं, क्या कहना चाहते हो । आपने भी पहले उनसे पूछा तो होता, घटना कैसे हुई, क्या हुयी ? उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि

इसको रफा-दफा कैसे करना चाहिये ? बाद में यह मामला रफा-दफा हुआ और 71 लोगों की गिरफ्तारी हुयी । मैंने वहां कड़ी कार्रवाई की और इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया । मै तो जाति मे विश्वास नहीं करता, आप तो गोत्रो तक में चले जाते हैं । आप स्वयं देखिये जातिवादी कौन है, गोत्र कौन ढूंढता है, खानदान कौन देखता है ? मैंने नहीं देखा, इंस्पेक्टर की जाति क्या थी ? हमने उसको गलत समझा, मुअत्तल कर दिया और लोगो को भी सख्त सजा दी और यह भी कह दिया, जनता दल के लोगो से कि लिखकर दे दोगे कि अमुक निर्दोष है तो उसको छुड़वा दूंगा । मेरे चले जाने के बाद किसी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुयी और किसी पर अत्याचार नहीं होने दिया। जो दोषी है, वह जेल जायेगा, लेकिन अगर कोई निर्दोष है, तो वह अवश्य छोड़ा जायेगा । आपने तो अपने समय में टांडा में तमाम निर्दोषों को जेल में डाल दिया था और हमने जब जांच कराई तो जो निर्दोष थे, उनको छुड़वाया और अपराधी जो थे, उनको नहीं छोड़ा, लेकिन यह परम्परा किसने डाली, अपराध बढ़ाने की, निर्दोष लोगों को फंसाने की। यह परम्परा डाली है आपकी सरकार ने। मेरा तो मानना है, जो दोषी है, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे किसी दल का हो, सबसे पहले उसको जेल भेजा जायेगा । यह आपके यहां होता था, किसको छोड़ा जाय, किसको बचाया जाय । हमारी सरकार में तो जनता की जानमाल की रक्षा का उत्तरदायित्व पहला है, इस पर मेरा संकल्प है और इसीलिए आज शान्ति व्यवस्था ठीक है और कहीं जातिगत दंगा नहीं है । माननीय प्रमोद तिवारी जी पर आप लोग इसीलिए नाराज होते हैं क्योंकि वह हमें उन्हीं सिद्धान्तो पर समर्थन दे रहे हैं, जिनको आप नहीं मानते हैं । हमें इन्हीं सिद्धान्तों पर जनता दल के लोग भी समर्थन दे रहे हैं, सी0पी0आई0 भी दे रहे हैं, क्योंके हम वसूल पर चल रहे हैं, यह कोई मामूली काम नहीं है कि सारे के सारे लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारे वसूल हैं और हम उन वसूलों पर कायम हैं, हमारा वसूल सच्चा है और सच के रास्ते पर यह सरकार चल रही है, आपको भी हमारा समर्थन करना चाहिए, सही बात का समर्थन करना चाहिए आप क्यों हट रहे हैं? हम तो आपका समर्थन करेंगे और करते रहे हैं । माननीय गुप्ता जी सही बात बता देते मैं मान लेता, आप बता दे मैं मान लूंगा । लेकिन माफियाओं की राजनीति में हिस्सेदारी है, यह मत उठाइये । आप हमसे कहते है कि मुलायम सिंह अपराधी है, बच्चा पाठक अपराधी है । मैं यह कभी नहीं कह सकता शिव कुमार बेरिया जी से कहूंगा कि वह भी मत कहें । इनको कहने दीजिए । डेढ़ साल माफिया-माफिया और भय मुक्त समाज चिल्लाते रहे, उसी का नतीजा है कि सारे प्रदेश को चौपट कर दिया है । मैं 15 दिन में ठीक कर दूंगा । मेरे पास तो इतने जवाब है, इतने मसाले हैं, मैं नहीं बोलूंगा । आप मजबूर मत करें । आपने कोई चीज छोड़ी नहीं है । मैं आदर करता हूं नेता विरोधी दल का मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, साथ-साथ काम भी किया है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

सत्ता मे साथ-साथ काम किया है या विपक्ष में ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

आप बार-बार धमकी दे रहे हैं । यह गलत पारेपाटी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

गलती से उधर बैठे हैं, इन्हें तो यहां बैठना चाहिए । कहते तो मैं आपको टिकट दे देता । मान्यवर, मैं कभी चुनौती नहीं देता, चुनौती आपके नेता विरोध दल दे रहे हैं । मान्यवर, विधान सभा के चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव अगर चाहते हैं तो ।।9 लोक सभा के सदस्य हैं, पहले उनका इस्तीफा दिला दो और अगर 50 भी जीतकर आ जाते हैं तो मैं विधान सभा भंग कर दूंगा । चुनाव हुये अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल की पदवी बहुत गरिमापूर्ण है । उन्होंने कहा कि सत्ता में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं । आप माननीय नेता विरोधी दल सूची जारी कर दो मैं उस पर कार्यवाही कर दूंगा । नाम बता देंगे तो मैं अभी घोषणा कर दूंगा, उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं । आप स्पीकर साहब को चिट्ठी लिख दीजिये मैं उसकी जांच करा दूंगा । एक बात मैं बता दू कि मैं किसी कीमत पर सत्ता में अपराधियों को संरक्षण नहीं दे सकता ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)-

टेस्ट के तौर पर केवल एक केस प्रस्तुत कर रहा हूं । जनपद हमीरपुर के थाना-चरखारी के अस्तौन गांव में पिछड़ी जाति की महिला मानवती के साथ बलात्कार हुआ । मेरा आरोप है कि उक्त मामले में 24 घण्टे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी और कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें आपको क्या कहना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए । विधायक पर आरोप लगाया गया है कि विधायक ने बलात्कार किया है । अगर उसका हाथ है तो जांच भी करवा देंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि ऐसा ही आरोप भाजपा. के सांसद विनय कटियार पर लगाया गया था और उसमें जुडीशियल इन्क्वायरी भी हुई थी, उस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने क्या किया था, जरा इसके बारे में भी बता दें ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, अब भी मैं कह रहा हूं कि अगर विधायक का हाथ है, मैंने अपने तरीके से जांच करायी है । यदि विधायक का दूर का रिश्ता बलात्कार से होता तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय कांशी राम जी से कह कर मैं विधायक का इस्तीफा ले लेता । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आन्दोलन चलाये । श्री अशोक कुमार सिंह जी ने आन्दोलन चलाया, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सच्चाई के साथ बतायें कि क्या इसमें एम0एल0ए0 का हाथ है तो उन्होंने कहा कि एम0एल0ए का हाथ नहीं है । इसलिए माननीय नेता विरोधी दल जी आप सम्मानजनक बोलिये । बिना अशोक कुमार सिंह जी के आप आन्दोलन भी नहीं चला सकते थे । यदि एम0एल0ए0 का हाथ होता तो मै उनके खिलाफ कार्यवाही करता। आप कह रहे हैं कि अच्छा काम करने वाले को इनाम नहीं दे रहे हैं । मै कहना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश मे आज तक कभी इतना इनाम नहीं दिया गया। हमने माफियो के खिलाफ एक सूची जारी की । जिन पर 2 लाख रुपये का इनाम रखा गया उनका दूसरे दिन सफाया, जिन पर 50 हजार का इनाम रखा गया, उनका दूसरे दिन सफाया । क्या 4 दिसम्बर के बाद ही ये माफिया आये । जब आप थे, तब ये कहां थे । इस बात को सच्चाई से पश्चिम के लोग दिल पर हाथ रखकर बतायें । 25 हजार, 50 हजार, एक लाख व दो लाख का इनाम रखा है, जाति-बिरादरी का कोई सवाल नहीं है । कांस्टेबल पकड़ेगा तो उसको हेड कास्टेबल बना दिया जायगा । यदि हेड कास्टेबल पकड़ेगा तो उसे सब इन्सपेक्टर बना दिया जायेगा अगर सब इन्सपेक्टर पकड़ेगा तो उसे इन्सपेक्टर बना दिया जायेगा और अगर इन्सपेक्टर पकड़ेगा तो उसे डी-वाई0एस0पी0 बना दिया जायेगा । ये है इनाम उत्तर प्रदेश में अपराध व माफिया का जो इतिहास रहा है आपकी सरकार में, उतना हिन्दुस्तान में किसी की सरकार में नहीं रहा है । क्या 4 दिसम्बर के बाद ही माफिया हो गया ?आप तो मुख्य मंत्री भी रहे चुके हैं और नेता विरोधी दल हैं । 4 दिसम्बर के बाद माफियाओं का सफाया हो रहा है । आपके लोग घर में बैठायें उन्हें तो हम क्या कर लेंगे, श्री नरसिंम्हा राव जी क्या कर लेंगे ? यह सहयोगी है ऐसा नहीं है कि झूठ बोलेंगे । जब हमने दबाव दिया तो दिल्ली के आपके लोग परेशान हैं, आपके कार्यकर्ता इतने परेशान हैं जितने किसी के नहीं है । आप पूछ लें पश्चिम के लोग बैठे हैं वह मुझसे मिले हैं । माननीय हरेन्द्र मलिक हमारे साथी

भरी सभा मे वहां के लोगों ने हाथ उठाकर कहा अपराधी पाश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलो से भाग रहे हैं, तेजी से स्थिति ठीक हो जायेगी उसमें आपका सहयोग चाहिए । अपने लोगों से कह दीजिये अगर गल्ती से गिरफ्तार हो रहे हैं तो मैं मान लूंगा, मैं कार्यवाही नहीं करूंगा इनाम दे दूंगा । अगर हम कार्यवाही करेंगे तो आप कहेंगे कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं । हमारे पास रिपोर्ट है हम कोई डर की वजह से नहीं कर रहे हैं, जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं । बदायूं की बात कही, सवाल यह नहीं है, अपराध होते रहते हैं लेकिन आपका सहयोग रहेगा तो जल्दी काबू पा लेंगे ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

हम जानना चाहते हैं कि अगर श्री राजेन्द्र जी अपराधी पकड़ कर देंगे तो उनका क्या प्रमोशन होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

बदायूं में जो हुआ, जो कहा उस पर तत्काल कार्यवाही हुई । अपराध होते हैं अभी हम यहां बैठे हैं कोई सड़क पर घटना हो जाती है । यह बहुत बड़ा प्रदेश है 14 करोड़ की जनसंख्या है । सरकार की नियत पहचाननी चाहिए, यह देखना चाहिए कि बचाव की कार्यवाही हुई या नहीं । फतेहपुर की बात है जहां तुरन्त गये 10 दिन के अन्दर कार्यवाही हो गयी । विधायक जी जानते हैं जहांनाबाद मे सारे लोगो ने आपके सामने बधाई दी कि इतनी जल्दी नियंत्रण कर लिया । इसी तरह से इलाहाबाद मे जो महिला को नंगा करने की घटना हुई उसमें मैंने कहा यह कत्ल के बराबर संगीन अपराध है, मैंने उसे गम्भीरता से लिया है और वहां के कानिस्टोबेल, सब-इंस्पेक्टर, डी0एस0पी0, एस0एस0पी0 के विरुद्ध कार्यवाही की, लेखपाल, कानूनगो को मुअत्तल किया, एस0 एस0 पी0 का ट्रांसफर कर दिया । हालांकि इलाहाबाद के लोगों ने कहा कि इतनी कड़ी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये, जब मैं वहां गया शादी में तो लोगों ने कहा आपने कड़ी कार्यवाही की । यह ज्यादा कर दिया । मैंने कहा यह इसीलिए किया कि महिला नंगी करना कत्ल के समान संगीन अपराध है । आपके विधायक ने शाहजहांपुर में महिला को नंगा कर घुमाया तो आप जांच कराने के लिए तैयार नहीं हुए । माननीय हीरा लाल जी ने विधान परिषद् में मामला उठाया, हमारे लोगों ने यहां के विधायकों ने मौके पर जाकर मुआयना किया । एक नहीं कम से कम 16, 17 महिलाओं के साथ यह हुआ माननीय अध्यक्ष जी आपकी जानकारी में है उन्हें नंगा किया गया जो आपके विधायक के इशारे पर हुआ और आप जांच कराने के लिए भी तैयार नहीं हुए

बस्ती में जो हुआ उसके बारे में श्री जगदम्बिका पाल ने कह दिया है । हां, बलात्कार हुए हैं उसमें चाहे हिन्दू हों या मुसलमान । क्या यह इस तरह की हिन्दू और मुसलमान की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है ? बलात्कार हुए । बलात्कार क्या संगीन अपराध है ? लेकिन आपके लोगों ने लाऊडस्पीकर लेकर बस्ती में प्रदर्शन किया और कहा कि हिन्दू लड़की के साथ मुसलमान ने बलात्कार किया है इसलिए हिन्दुत्व की प्रतिष्ठा का सवाल है और आप लोग सड़कों पर आये और आप कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जी ने ज्यादा उत्तेजित भाषण दिये हैं । मान्यवर, यह सही है कि गरीबों और मजदूरों के बल पर यह सरकार बनी है लेकिन मनु व्यवस्था पर सरकार बनाने वाले लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं । गलती हो रही है कि आज गरीबों की सरकार बनी है जिससे आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं । आज गांधी जी का सपना साकार हो गया है लेकिन उनके साथ आपने क्या किया था ? जिसके बारे में श्री प्रमोद तिवारी जी बता चुके हैं ।

आपने कहा कि हमने मंडलायुक्तों की सिफारिश के आधार पर सामाजिक समता और न्याय दिलाने पर जोर दिया है ..।

श्री ऊदल-

उनकी समता यह है कि रज्जू भैया जो प्रोफेसर हैं वह सरसंचालक नहीं बन सके हैं, उनकी यह समता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, जिस दिन सामाजिक समता की बात माननीय नेता विरोधी दल के दिमाग में आ जाएगी तो उसी दिन वह इधर बैठ जाएंगे । मुझे ताज्जुब है आप लोग बचपन के दिन भूल गये और आपकी जबान पर ताला पड़ा है और वहां बैठे हैं ।

मान्यवर, मंडलायुक्तों की सिफारिश को हमने लागू किया जिसको आपने निरस्त कर दिया था । आप सामाजिक समता और मंडलायुक्त की सिफारिश की बात कर रहे हैं । आपने एक बार बढ़ा दिया तो हमने सोचा कि आपके दिल में कुछ है लेकिन आगे आप बदल गये थे । तो कथनी और करनी में आपकी अंतर है ।

श्री कल्याण सिंह-

जानकारी के लिए बता दूं कि हाईकोर्ट में लम्बित था लेकिन कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के बारे में एक सर्वांगीण पूर्ण विधेयक लाएगी जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों और गरीब सवर्ण जो हैं उनको भी एक साथ आरक्षण का मसला आएगा । इसलिए इसका हमने कभी विरोध नहीं किया है, रेकार्ड में मौजूद है, जिसे देख सकते हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अब और आप फंसते जा रहे हैं । वह तो मैं कर दूंगा और 10 प्रतिशत कर चुका हूं । हाईकोर्ट में स्टे था तो 6 महीने कैसे बढ़ा दिया था ? आपने लैप्स कराया था । आपने अवधि नहीं बढ़ाई थी ।

अब आप कह रहे हैं कि देश को तोड़ने वालों को सबक मिलेगा । सबक तो सिखा दिया जिससे उधर बैठ गये और कह रहे थे कि पांच साल नहीं 25 साल हमारी सरकार चलेगी किन्तु 17 महीने भी सरकार नहीं चला पाये ।

आप यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि निहत्थों पर गोली नहीं चलवायेंगे और वह चाहे जो करें । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के अन्तर्गत कानून के अन्तर्गत राज्य चलाने के लिए यदि कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी किन्तु संविधान के अन्तर्गत कानून के अनुसार काम होगा तो निहत्थों पर हम कभी भी लाठी चलाने के लिए इजाजत नहीं देंगे ...।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

श्री मुलायम सिंह यादव-

लेकिन यदि संविधान को तोड़ेंगे, कानून को तोड़ेंगे, अदालत का सम्मान नहीं मानेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर से कठोर कार्यवाही हम निश्चित रूप से संविधान सम्मत करेंगे । अभी थोड़े दिन में आपको इसका पता भी चलेगा (व्यवधान) पूरे देश में अराजकता, बाढ़, सम्पत्ति की हानि सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी आप बताएंगे कि शारदा प्रसाद रावत, जो कि एक सम्मानीय नेता थे, शारदा प्रसाद रावत की हत्या करने वाले सबसे पहले किसके घर में घुसे थे, छुपे थे । शारदा प्रसाद रावत भूतपूर्व मंत्री हमारे नेता नहीं थे, उनकी हत्या करने वाले हत्यारे कहां छुपे थे, यह सारा उत्तर प्रदेश जानता है । आप शान्ति स्थापना की बात करते हैं (व्यवधान) मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप उनके मुकाबले बहुत छोटे हैं, जिन्होंने हत्यारे को छुपाया, लेकिन वह आपकी ही पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के टिकट पर जीते हैं । उस समय मैं यहां पर बैठा था; आप कार्यवाही निकाल कर देख लें, माननीय महेन्द्र सिंह भाटी ने यहीं असेम्बली में आपके सामने कहा था कि मैं दूसरी असेम्बली में नहीं आ पाऊंगा । फिर भी क्या आपने उनकी रक्षा की ? शारदा प्रसाद रावत, श्री किरन, नवीन जोशी और महेन्द्र सिंह भाटी जैसे नेता थे । आज महेन्द्र सिंह भाटी जिन्दा होते तो हो सकता है वह यहां पर बैठे होते । मेरे उनसे बड़े अच्छे सम्बन्ध थे, भले ही वह हमसे अलग हों, हमारी पार्टी से अलग रहे हों । किन्तु हो सकता है कि इस चुनाव में जीतकर वह यहां पर बैठे होते, वह असेम्बली में ही न होते, मिनिस्टर होते और वरिष्ठ मिनिस्टर होते । माननीय महेन्द्र सिंह भाटी जी द्वारा अपनी हत्या की पूरी सम्भावना आपसे कहने पर भी आप

उनकी रक्षा नहीं कर पाये । उल्टे यहां हमसे कहते हैं कि जंगलराज हो गया है । यह अवश्य है कि इधर हत्याएं थोड़ी ज्यादा बढ़ी हैं, किन्तु उसके जिम्मेदार आप हैं । आपने ऐसा माहौल बना दिया था, किन्तु मैंने आते ही इसको सुधार लिया । कहीं भी धार्मिक जातीय संघर्ष नहीं हुए । क्या फतेहपुर, इलाहाबाद और आजमगढ़ में जातीय संघर्ष हुए । लुटेरों की क्या कोई जाति होती है । हमीरपुर मे अभी क्या हुआ ? रेप किया है किसी ने तो आपको इसके लिए मुझसे मिलना चाहिए था, लेकिन आप तो राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं, उन्होंने आपको भगा दिया, आपसे बात नहीं की और कह दिया कि यहां आप क्यों आए हो? कागज देना हो तो वहां दे दो, लेकिन यहां क्यों चले आए हो ? मेरी बहन प्रेमलता कटियार अभी जो कह रही थीं, उनकी बातों से मुझे बड़ा दुख हुआ, उसे आप अपने घर में बिठा लेतीं और हमारे यहां ले आतीं, लेकिन एक लड़की जिसकी उम्र ज्यादा न हो, उसके साथ यदि रेप हुआ है तो आप यहां ले आतीं, लेकिन उसको पूरे हिन्दुस्तान में घुमा रहे हो । एक जगह और था ऐसा मामला वहां दो दिन पंचायत होती रही, मैंने उसकी रपट लिखवा दी । यह पंचायत इसलिए होती रही कि लड़की की इज्जत की बात कहीं बाहर न निकलने पाए, हमारी लड़की की समाज में कहीं चर्चा न हो जाए, लेकिन आप एक लड़की की इज्जत पर पूरे हिन्दुस्तान में राजनीति कर रहे हो । आपका क्या जवाब है, आप रेप की बात करते हैं । आपके जनरल सेक्रेटरी भाग लिए, दिल्ली से मद्रास में भगा दिया । यह रेप का आरोप मैंने नहीं लगाया है । एक जनरल सेक्रेटरी जिस पर रेप का आरोप लगाया उसे दिल्ली से मद्रास भेज दिया । हम नाम नहीं ले रहे हैं । यह आपका चरित्र है । यह दुख दर्द आप समझते हैं किसी का । दुख दर्द समझने वाले तो हम हैं । लड़की की इज्जत का सवाल था तो आप मुझसे कहते, मुझसे मिलते, लिखकर देते और तब देखते कि हम क्या कार्यवाही करते हैं ? अपराधी को सजा देते हैं कि नहीं । आपने तो उस लड़की को पता नहीं कहां-कहां घुमाया, कहां-कहां नहीं ले गये । इस तरह से क्या उसकी इज्जत रखी है आपने । राजनीति करने के तो बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से मौके हैं, बहुत से मुद्दे हैं, वहां राजनीति करते किसी लड़की की इज्जत का तमाशा बनाकर राजनीति कर रहे हैं ? मैनपुरी तो आपके अलीगढ़ के नजदीक ही है । आप वहां गये ? सुमन गुप्ता से मेरे सम्बन्ध कैसे थे, आपको तो पता होना चाहिए । सुमन गुप्ता की लड़की का मामला था, बाबूराम जी भी साथ में गये थे । मेरा उनके घर आना-जाना था । चाय पानी, खाना-पीना था । उसको मारने वाले कौन थे बजरंग दल के नेता थे जो विधान सभा के उम्मीदवार भी थे । देखिये

हमने क्या कार्यवाही की है कानून व्यवस्था को कौन भंग कर रहा है और नाम हमें दिया जा रहा है । हम तो उसे ठीक कर रहे हैं । आपने तो हर तरह से कोशिश करके देख लिया । दंगे कराने चाहे पर वह हो नहीं सके । जातीय संघर्ष कराना चाहा, वह नहीं करा सके । काला बच्चा की बात कर रहे हैं उससे हमदर्दी होनी चाहिए थी, उसके प्रति दर्द होना चाहिए था वह आपके अन्दर नहीं है, वह दर्द हम समझते हैं और हमारे अन्दर है क्योंकि हमारी उससे जान पहचान थी । ऐसा है जब किसी से जान-पहचान होती है तो उससे मिलते भी थे, नमस्ते भी होती थी । वह मुझे मिलने भी आते थे । पहले भी मिले थे । इस बीच में भी मिले थे । आप लोग जो उसके नाम पर इतनी बातें बना रहे हैं आप में से किसी के चेहरे पर दुख नहीं दिखाई पड़ रहा है, किसी के दिल में उसके प्रति हमदर्दी के भाव नहीं दिख रहे हैं । काला बच्चा पर चर्चा करनी थी तो उस विषय को गम्भीरता पूर्वक सदन में रखना चाहिए था । आपने इतनी देर कुछ इधर की कही कुछ उधर की कही । काला बच्चा से भी कुछ दंगे करवाये, कुछ गलत काम करवाये । किसी राजेश के तहत हो सकता है, उसकी हत्या की गई हो । आपने तो हर तरह से वहां पर दंगे करवाने की कोशिश की परन्तु हमारे शासन ने उसे नियंत्रित कर लिया और उसके बाद आपका बस नहीं चला । आपको दुख है मुझे भी दुख है । दाह-संस्कार का आपको पता नहीं है । उनके परिवार के सामने उनकी परिवार की सहमति से दाह-संस्कार हुआ है । आप जैसे भड़काऊ नारे देकर नहीं हुआ । उनके परिवार वालों की तस्वीर है, दस्तखत हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

तस्वीर तो है दस्तखत कैसे कराए इसकी जांच करा लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जलाते हुए, दाह-संस्कार करते हुए तस्वीर है । दाह-संस्कार रात में नहीं हुआ है शाम को 6 बजे के आसपास हुआ है ।

श्री कल्याण सिंह-

मैं समझता हूं आप अब भाषण का अन्त करने जा रहे हैं । अब थोड़ा सच भी बोल दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं एक-एक बात सच बोल रहा हूं । जिनको सच नहीं लगता वह समझें क्या है ? आप नारा देकर आई0एस0आई0 का नाम लेकर, जो साम्प्रदायिक सद्भाव

बढ़ा है उसको खत्म न करें । आई0एस0आई0 अलीगढ़ में हो तो उसके बारे में आप बता दें उस पर चर्चा नहीं हुई है । आई0एस0आई0 वाले सब अलीगढ़ में आपकी जानकारी वाले हैं अगर इटावा में हो तो बता दें । अलीगढ़ में होंगे तो उसका आप पता नहीं लगा पा रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह से विदेशी शक्तियों की दखल हमारी पाटी में, उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगा । नेपाल की सीमा पर कुछ हैं । भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का सम्पर्क बना है - तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने सारी चीजों का निराकरण मिलकर कर लिया है । बड़े अधिकारियों ने कर लिया है ।

(इस समय 5 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेई पीठासीन हुए)

केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारियों से हमारा सम्पर्क है किसी विदेशी शक्ति की दखल हमारी सरकार के रहते नहीं हो सकती है । अलीगढ़ में यदि कोई हो तो आप बता दें ।

श्री कल्याण सिंह -

लखनऊ में हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के बारे में मैंने कहा डी0जी0पी0 ने सार्वजनिक रूप से कहा है । जो सी0आई0डी0 वालों ने जांच की है उसको देख लें आपके डी0जी0पी0 ने स्वीकार किया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मेरी आई0जी0 से बात हुई ऐसी संभावना की जा सकती है । मुझे सावधान किया है, सचेत किया है । सावधान किया है अभी निश्चित रूप से क्या है अभी किसी के पास रिपोर्ट नहीं है । उत्तर प्रदेश के अन्दर सम्भावना यह की जाती थी कि नेपाल के बार्डर से लेकर उस बार्डर पर आ सकते हैं वहां पर से प्रवेश किया जा सकता है । इसके लिए केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की एजेंसी मिलकर उसका पूरा प्रबन्ध किया है । इन बातों से प्रचार करने से हमारे देश का साम्प्रदायिक सद्भाव टूटेगा, इसलिए मेरा कहना है कि इन बातों को हर जगह चिल्लाने से अच्छा है आप इनकी जानकारी हमें दें और हमारी सरकार उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी । यह प्रचार करने से दोनों सम्प्रदायों के बीच तनाव बढ़ेगा । जो देश के हित में नहीं है यह मेरी राय है । हम विदेशी शक्तियों का दखल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे । आप साम्प्रदायिकता की बात करते हैं मैंने इसी सदन में धर्म संसद के एक प्रस्ताव के बारे में आपसे पूछा था कि

आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं लेकिन आपने उस वक्त मौन धारण कर लिया था और कोई जबाव नहीं दिया था। हमने किसी भी तरह के साम्प्रदायिक व्यक्ति से चुनाव में सहयोग नहीं लिया है। हम किसी भी तरह की साम्प्रदायिकता के खिलाफ हैं। हमने असली धर्म निपेक्षता को साबित कर दिया है। जब 30 अक्टूबर, 1990 को हमारी सरकार द्वारा हिन्दुओं पर गोली चलाई और उसी अयोध्या में 9 सीटों में से 8 सीटें जीत कर दिखा दी। हमने धार्मिक नेताओं को समझाया आदर के साथ चिट्ठी भी लिखी मैंने कहा कि इसमें दखल मत दो और जम कर मुझे अल्पसंख्यकों ने वोट दिया और फैजाबाद जनपद के हिन्दुओं ने वोट दिया उससे बड़ा और हमारा क्या इम्तिहान ले सकता है? अयोध्या ने फैसला कर दिया है और कल भी अयोध्या ने फैसला कर दिया है जब में वहां गया था तो इतना जोरदार स्वागत वहां पर हुआ आप प्रदेश के पिछड़ेपन और विकास की बात करें यही हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। शांते व्यवस्था की जहां तक बात है आपके इस संबंध में जो सुझाव आएंगे हम उनको स्वीकार करेंगे और उत्तर प्रदेश को साम्प्रदायिकता की लपेट में नहीं आने देंगे। जातीय आधार पर मेरी कलम से एक भी फैसला नहीं होगा। इन्सानियत के आधार पर मेरी कलम से फैसला होगा। आप सभी लोग गहराई से शान्ति व्यवस्था पर अपने विचार रखते तो मुझे खुशी होती। आपने नियम 311 को लाकर मुझे बोलने का मौका दिया और प्रदेश की सही तस्वीर सामने आई। मैं माननीय प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही जनता दल, सी0पी0आई0, कांग्रेस पार्टी और आप को भी धन्यवाद देता हूं। इस प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए शान्ति व्यवस्था के लिए जो सरकार तेजी से काम कर रही है उसमें आप भी मदद करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में सहयोग करेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों द्वारा जो नियम 311 की सूचना दी गई थी और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने और कई माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक अपने विचार रखें, आपकी सूचना को मैं निरस्त करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 19 फरवरी, 1994 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 21 फरवरी, 1994 से 6 मार्च, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अधिष्ठाता,-

(सदन के दिनांक 21 फरवरी, 1994 से 6 मार्च, 1994 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय:-

फरवरी, 1994

21 सोमवार	11.00 बजे पूर्वाह्न राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण । 12.30 बजे अपराह्न (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना । (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन, आदि यदि कोई हो ।
22 मंगलवार	(1) निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त) (2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
23 बुधवार	(1) श्री कपिल देव, क्रिकेट खिलाड़ी को विश्व कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई प्रस्ताव (प्रश्न काल के उपरान्त) (2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
24 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
25 शुक्रवार 26 शनिवार 27 रविवार 28 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मार्च, 1994

। मंगलवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा । (अन्तिम दिन)
2 बुधवार	असरकारी दिवस ।
3 गुरुवार	विधायी कार्य ।
4 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन) । 2-विधायी कार्य (आधा दिन) ।
5 शनिवार	बैठक नहीं होगी
6 रविवार	

2-दिनांक 22, 23, 24 फरवरी, 1994 तथा । मार्च, 1994 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 की सूचना न ली जाय ।)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों, जिसकी सूचना माननीय अधिष्ठाता ने सदन में दी है, से सहमत है ?

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न ।।.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के ।। बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
21 फरवरी, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

पी0एस0यू0पी0 एल0 238 विधान सभा (462)-813-1994 (ई0टी0) ।